

कक्षा
9 से 12

कक्षा
9 से 12

हिन्दी व्याकरण एवं रचना-प्रबोध

हिन्दी व्याकरण एवं रचना प्रबोध

हिंदी व्याकरण एवं रचना-प्रबोध

(कक्षा 9, 10, 11 व 12 के लिए)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति

पुस्तक— हिंदी व्याकरण एवं रचना-प्रबोध
(कक्षा-9, 10, 11 व 12 के लिए)

संयोजक— डॉ. शिवशरण कौशिक, वरिष्ठ व्याख्याता, हिंदी विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा

- लेखकगण—**
1. डॉ. नवीन कुमार नंदवाना
सहायक आचार्य, हिंदी विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
 2. श्रीमती दर्शना ‘उत्सुक’, प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
चरण नदी-II, जयपुर
 3. श्री रामेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोखमपुरा, जयपुर

पाठ्यक्रम समिति

हिंदी व्याकरण एवं रचना-प्रबोध

(कक्षा-9, 10, 11 व 12 के लिए)

संयोजक :-

डॉ. आशीष सिसोदिया, सहायक आचार्य

हिंदी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

सदस्य :-

1. डॉ. दीपिका विजयवर्गीय, व्याख्याता

राजकीय स्नातकोत्तर महिला कॉलेज, चौमूं जिला-जयपुर

2. डॉ. नवीन नन्दवाना, सहायक आचार्य हिन्दी विभाग

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

3. श्री संजय कुमार शर्मा

डाइट , हनुमानगढ़

4. श्री रमाशंकर शर्मा, व्याख्याता

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर

5. श्री अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रलावता, अजमेर

6. श्री महेशचन्द्र शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, कुण्डगेट, सावर, अजमेर

प्राक्कथन

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा स्वीकृत नवीन पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 9, 10, 11 तथा 12 के लिए 'हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध' विद्यार्थियों में भाषा-कौशल के विकास को दृष्टिगत रखकर तैयार की गई है। शुद्ध लिखने तथा शुद्ध बोलने के लिए व्याकरण के नियमों की छात्रों को जानकारी होना आवश्यक है इसलिए व्याकरण के सभी आवश्यक अंगोंपांगों का इस पुस्तक में समावेश किया गया है।

यद्यपि आज हिंदी व्याकरण की पुस्तकों की कमी नहीं है लेकिन फिर भी भाषा नियमों की जानकारी के साथ व्यावहारिक व्याकरण की एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो विद्यार्थियों को शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना एवं व्याकरण के नियमों, उपनियमों को उदाहरण सहित अधिकाधिक स्पष्ट, सरल तथा सुबोध बनाने का कार्य कर सके। भाषा ही वह माध्यम है जो व्यवहार करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण तथा पहचान कराती है। देश में अनेक प्रान्तीय भाषाओं के साथ अँगरेजी, उर्दू आदि का प्रचलन भी रहा है किन्तु सम्पर्क भाषा तथा राजभाषा के रूप में हिंदी देश के विशाल भू-भाग में बोली जाती है। इसलिए हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप तथा मानक रूप व्याकरण के नियमों की जानकारी के अभाव में नहीं बन सकता। अशुद्ध भाषा बोलने वाले व्यक्ति को शर्मिन्दा होना पड़ता है तथा शुद्ध बोलने वाले का आत्मविश्वास दिन दूना और रात चौंगुना बढ़ता जाता है। आज हिंदी हमारे देश की भावात्मक राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है।

प्रायः व्याकरण पढ़ते समय विद्यार्थियों में नीरसता का भाव आ जाता है। इसलिए इस पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि समकालीन विषय जैसे-कम्प्यूटर प्रयोग, पर्यावरण प्रदूषण, सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों का समावेश कर निर्बंधादि पाठों को आकर्षण बनाया गया है। साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा व्याकरण कौशल परीक्षण की पद्धति अपनाई गई है। विद्यार्थियों के लिए वर्तमान भाषिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तथा उनमें पारिभाषिक शब्दावली का विकास हो, इस दृष्टि से पारिभाषिक शब्दावली परिशिष्ट भी पुस्तक में जोड़ा गया है।

लेखकगण

विषय-सूची

क्र.सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	भाषा-व्याकरण एवं लिपि का परिचय	1-4
2.	वर्ण-विचार एवं आक्षरिक खंड	5-7
3.	शब्द-विचार (क) परिभाषा एवं प्रकार-	8-17
	(1) उत्पत्ति के आधार पर (तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी)	
	(2) रचना के आधार पर	
	(3) प्रयोग के आधार पर	
	(4) अर्थ के आधार पर	
4.	शब्द-विचार (ख)	18-33
	(1) विकारी- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण	
	(2) अविकारी- क्रिया-विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक	
5.	पद-परिचय	34-36
6.	शब्द शक्तियाँ	37-39
7.	शब्द रूपांतरण-लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य	40-53
8.	संधि : अर्थ एवं प्रकार	54-65
9.	समास : अर्थ एवं प्रकार	66-71
10.	उपसर्ग, प्रत्यय (कृदन्त, तद्धित)	72-82
11.	वाक्य विचार	83-95
12.	अर्थ विचार (पर्याय, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी)	96-110
13.	विराम चिह्न	111-113
14.	शुद्धीकरण (शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि)	114-131
15.	मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ	132-154
16.	अलंकार :	155-160
	अर्थ एवं प्रकार (अनुप्रास, उपमा, श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा उदाहरण तथा विरोधाभास)	
17.	पत्र एवं कार्यालयी अभिलेखन	161-176
18.	संक्षिप्तीकरण एवं पल्लवन	177-181
19.	निबंध	182-194
20.	अपठित	195-199
21.	परिशिष्ट	200-210



अध्याय-१

भाषा-व्याकरण एवं लिपि का परिचय

मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्त्व सम्प्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है-भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान-विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं।

संसार में संस्कृत, हिंदी, अंगरेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगू, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रैन्च, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएँ हैं। भारत अनेक भाषा-भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र-भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा (राजकार्य भाषा) है।

भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक व दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिन्तन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक-सी नहीं रहती अपितु उसमें दूसरी बोलियों-भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान-प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द-भण्डार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भण्डार के मिश्रण से किया है किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी-फारसी, अंगरेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे-धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई-नई भाषाएँ बनती रहती हैं। इसी कारण संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है।

भाषा के भेद-जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं।

(1) मौखिक भाषा (2) लिखित भाषा।

मूलतः सामान्य जन-जीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है, इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर सम्झेण-व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र लिपि-चिह्नों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है।

भाषा और बोली-

एक सीमित क्षेत्र में बोले जानेवाले भाषा के स्थानीय रूप को 'बोली' कहा जाता है जिसे 'उप भाषा' भी कहते हैं। कहा गया है कि 'कोस-कोस पर पानी बदले, पाँच कोस पर बानी'। हर पाँच-सात मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता व शब्दकोश भी नहीं होता, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है।

हिंदी की बोलियाँ-

हिंदी केवल खड़ी बोली (मानक भाषा) का ही विकसित रूप नहीं है बल्कि जिसमें अन्य बोलियाँ भी समाहित हैं जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार हैं-

1. पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल हैं।
2. पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बाँगरू (हरियाणवी), बुन्देली तथा कन्नौजी शामिल हैं।
3. बिहारी की प्रमुख बोलियाँ मगही, मैथिली तथा भोजपुरी हैं।
4. राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियाँ शामिल हैं।
5. पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊँनी तथा मंडियाली बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ हैं।

इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है।

हिंदी भाषा और व्याकरण-

हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देनेवाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना

तथा उसके विभिन्न घटकों-प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण-विचार, शब्द-विचार, वाक्य विचार आदि तीन वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है।

नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी—

भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिह्नों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात् किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिह्नों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी (गोवा), नेपाली आदि भाषाओं की लिपि ‘देवनागरी’ है। इसी प्रकार अँगरेजी की ‘रोमन’, पंजाबी की ‘गुरुमुखी’ तथा उर्दू की लिपि फ़ारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है।

देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप-

स्वर—

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, औ, औ
मात्राएँ—अ की कोई मात्रा नहीं, । ॥ ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

अनुस्वार—अं (̄)

जैसे—अंश, अंदेशा, संपदा, हंस।

अनुनासिक— ̄ (चंद्रबिन्दु)

जैसे—हँसना, धुआँ, चाँद।

विसर्ग— अः (:)

जैसे—अधःपतन, दुःख, मनःस्थिति।

व्यंजन—

क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ड़, ठ, ठ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ,
ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह।

संयुक्त व्यंजन—क्ष, त्र, ज्ञ, श्र।

हल चिह्न (˘)

जैसे—प्रह्लाद, पट्टा, अपराह्न।

गृहीत स्वर—ओ (ॐ)

गृहीत व्यंजन—क़, ख़, ग़, ज़, फ़

अँगरेजी भाषा से गृहीत स्वर—ॉ

जैसे—डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज।

फ़ारसी से गृहीत ध्वनियाँ—

जैसे—गरीब, ग़ज़ल, फ़न, क़ौम, खत।

पुनः याद रखने योग्य—

- हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं।
 - भाषा के दो रूप होते हैं—(1) मौखिक (2) लिखित।
 - मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन-चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उसे 'लिपि' कहते हैं।
 - भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जानेवाले स्थानीय रूप को 'बोली' या 'उपभाषा' कहते हैं।
 - हिंदी की 18 से 22 बोलियाँ 5 उपभाषाओं/विभाषाओं में विभाजित की गई हैं—पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी।
 - भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं।
 - हिंदी भाषा की लिपि 'देवनागरी' है।

अभ्यास प्रश्न

- प्र. 1. निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है-

(अ) मेवाड़ी (ब) मारवाड़ी
(स) अवधी (द) मेवाती []

प्र. 2. सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं-

(अ) राजभाषा (ब) राष्ट्रभाषा
(स) उपभाषा (द) संपर्क भाषा []

प्र. 3. निम्नलिखित में से किसकी लिपि 'देवनागरी' नहीं है-

(अ) नेपाली (ब) हिंदी
(स) पंजाबी (द) संस्कृत []

प्र. 4. 'खड़ी बोली' हिंदी के किस स्वरूप से निकली है-

(अ) पूर्वी हिंदी (ब) पश्चिमी हिंदी
(स) राजस्थानी (४) पहाड़ी []

उत्तर- 1. (स) 2. (स) 3. (स) 4. (ब)

- प्र. 5. भाषा किसे कहते हैं?

प्र. 6. भाषा के कौन से दो रूप होते हैं?

प्र. 7. भाषा और बोली में क्या अंतर है?

प्र. 8. हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए।

प्र. 9. लिपि का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा की लिपि बताइए।

प्र.10. व्याकरण किसे कहते हैं?

प्र.11. व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन-कौनसे होते हैं?

अध्याय-2

वर्ण-विचार एवं आक्षरिक खंड

भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, वर्ण कहलाते हैं, जैसे एक शब्द है-पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएँ तो वे होंगे-

पी + ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएँ तो होंगे-प् + ई तथा ल् + आ।

अब यदि प् ई, ल् आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती हैं—स्वर तथा व्यंजन।

वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुँह से उच्चरित होनेवाली ध्वनियों और लिखे जानेवाले इन लिपि चिह्नों (वर्णों) को दो भागों में बाँटा जाता है—

1. स्वर 2. व्यंजन।

स्वर—जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण (स्वर) की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 हैं—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। अ, इ, उ मूल स्वर हैं। ये हस्त स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। ऋ का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण रि (र् + इ) के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है इसका उच्चारण रि (र् + इ) होता है।

स्वर के भेद—

1. हस्त 2. दीर्घ

1. हस्त स्वर—जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, वे हस्त स्वर कहलाते हैं। ये तीन हैं—अ, इ, उ, ऋ

2. दीर्घ स्वर—जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये सात हैं—आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

अँगरेजी के ऑं स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे—डॉक्टर, कॉलेज।

व्यंजन

जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं।

व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली साँस मुख के किसी अवयव (उच्चारण स्थान) से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चरित होगा। जैसे-प का उच्चारण करने पर प् + अ की सहायता से उच्चरित होगा।

हल्-चिह्न () व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर-रहित व्यंजन के साथ हल् का चिह्न लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिह्नों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। उसके अद्वृ रूप का प्रयोग किया जाता है।

जैसे—अपराहन, पाठ्य, विद्या, पट्टा आदि।

हिंदी व्यंजन निम्नानुसार हैं—क् ख् ग् घ् ङ् च् छ् ज् झ् ज् द् द् ड् ड् ढ् ढ् ण् त् थ् द् ध् न् प् फ् ब् भ् म् य् इ् ल् व् श् ष् स् ह्।

स्वर-युक्त व्यंजन व उनका वर्णकरण—

(अ) उच्चारण स्थान के आधार पर—

वर्ग	व्यंजन	उच्चारण स्थान	नाम ध्वनि
क वर्ग	अ आ क ख ग घ ड तथा विसर्ग-ह	कंठ	कंठ्य
च वर्ग	इ ई च छ ज झ ज य श	तालु	तालव्य
ट वर्ग	ट ठ ड ढ ण ड़ ड़ ऋ ष र	मूर्ढ्वा	मूर्ढ्वन्य
त वर्ग	त थ द ध न ल स	दाँत	दन्त्य
प वर्ग	प फ ब भ म उ ऊ	ओष्ठ	ओष्ठ्य
	ए ऐ	कंठ व तालु	कंठ्य-तालव्य
	व	दाँत व ओष्ठ	दन्तोष्ठ्य
	ओ औ	कंठ व ओष्ठ	कंठोष्ठ्य

नासिक्य व्यंजन—ड, ज, ण, न, म इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्ढ्वा, दाँत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है अतः इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं।

अंतस्थ व्यंजन—य, र, ल, व।

ऊष्म व्यंजन—श ष स ह—इन वर्णों का उच्चारण, उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु (छोड़ने वाली साँस) के घर्षण से होता है। हमारी जीभ 'श' का उच्चारण करते समय तालु से, 'ष' का उच्चारण करते समय मूर्ढ्वा से तथा 'स' का उच्चारण करते समय दाँतों से घर्षण करती है।

संयुक्ताक्षर—‘क्ष’, ‘त्र’, ‘ज्ञ’ तथा ‘त्र’ संयुक्त व्यंजन हैं—

इनका विस्तार अथवा आक्षरिक खंड निम्न प्रकार है—

$$क् + ष् + अ = क्ष$$

$$त् + र् + अ = त्र$$

$$ज् + ज् + अ = ज्ञ$$

$$श् + र् + अ = त्र$$

हिंदी में 'ज्ञ' का उच्चारण 'ग्य' होता है इसलिए इसका विस्तार ग् + य् + अ = ज्ञ की तरह भी अब होने लगा है।

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. स्वर और व्यंजन में अंतर को स्पष्ट कीजिए।

प्र. 2. हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन से हैं?

प्र. 3. निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए-

(क) च, छ, ज, झ, य, श (.....)

(ख) ट, ठ, ड, र, ष, ञ (.....)

(ग) प, फ, ब, भ, म (.....)

(घ) ओ, औ (.....)

प्र. 4. निम्नलिखित आक्षरिक खंड/वर्ण-विच्छेद से बननेवाला सही शब्द चुनिए-

(1) ल् + इ + ख् + आ

(अ) लिख (ब) लिखा (स) लेख (द) लीख []

(2) म् + ञ् + द् + आ

(अ) मिदा (ब) मिदा (स) मृदा (द) मिरदा []

(3) र् + ऊ + प् + अ

(अ) रूप (ब) रुप (स) रूपा (द) रपा []

(4) ब् + र् + अ + ज् + अ

(अ) बृज (ब) बर्ज (स) ब्रज (द) बिरिज []

उत्तर-1. (ब) 2. (स) 3. (अ) 4. (स)

प्र. 5. निम्नलिखित शब्दों का आक्षरिक खंड/वर्ण विच्छेद कीजिए-

(क) वाक्य

(ख) ग्राम

(ग) हिंदी

(घ) दीर्घ

अध्याय-३

शब्द-विचार (क)

प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि-व्यवस्था, शब्द-रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढाँचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई 'शब्द' है। ध्वनि-समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं।

परिभाषा-"एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं।"

शब्द के भेद-हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भण्डार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द-भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नये भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकतानुसार नये शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द-संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है।

शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं। जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

(क) उत्पत्ति के आधार पर-हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बँटा गया है-

(i) तत्सम-तत् + सम का अर्थ है-उसके समान। अर्थात् किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्वां प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे-अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि।

(ii) तद्भव शब्द-संस्कृत भाषा के वे शब्द, जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर, उच्चारण की सुविधानुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे-अटारी, ऊँट, कान, चाँद, आग, आम, गधा, खेत आदि।

तत्सम-तद्भव शब्दों की सूची

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
अकार्य	अकाज	अज्ञानी	अनजाना
अगम्य	अगम	अंधकार	अँधेरा
आश्चर्य	अचर्ज	अमावस्या	अमावस
अक्षत	अच्छत	अक्षर	आखर
अट्टालिका	अटारी	अमूल्य	अमोल

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
आप्रचूर्ण	अमचूर	गद्भ	गधा
अंगुष्ठ	अँगूठा	कर्म	काम
अष्टादश	अठारह	कदली	केला
अर्द्ध	आधा	कपूर	कपूर
अश्रु	आँसू	कपोत	कबूतर
अग्नि	आग	कार्य	काज
अन्न	अनाज	कार्तिक	कातिक
अमृत	अमिय	कास	खाँसी
आप्र	आम	कुंभकार	कुम्हर
अपेण	अरपन	कुष्ठ	कोढ़
आखेट	अहेर	कोकिल	कोयल
अगणित	अनगिनत	कृष्ण	किसन/कान्ह
आश्विन	आसोज	कंकण	कंगन
आलस्य	आलस	कच्छप	कछुआ
असीस	आशिष	कलेश	कलेस
आश्रय	आसरा	कज्जल	काजल
उज्ज्वल	उजला	कर्ण	कान
उच्च	ऊँचा	कर्तरी	कतरनी
उट्ट	ऊँट	गर्त	गड्ढा
एकत्र	इकट्ठा	स्तम्भ	खंबा
कर्पास	कपास	क्षत्रिय	खत्री
इशु	ईख	खट्टवा	खाट
उलूक	उल्लू	क्षीर	खीर
एला	इलायची	क्षेत्र	खेत
अंचल	आँचल	ग्रथि	गाँठ
कटु	कड़वा	गायक	गवैया
कपाट	किवाड़	ग्रामीण	गँवार
कंटक	काँटा	गोस्वामी	गुसाई
काष्ठ	काठ	गृह	घर
काक	कौवा/कौआ	गोमय	गोबर
किरण	किरन	गौर	गोरा
कुकुर	कुत्ता	गौ	गाय
कुपुत्र	कपूत	गुहा	गुफा
कोण	कोना	ग्राम	गाँव
कृषक	किसान	गम्भीर	गहरा
		गोपालक	ग्वाला

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
गोधूम	गेहँ	तप्त	तपन
ग्रीष्म	गर्मी	तीक्ष्ण	तीखा
घट	घड़ा	तैल	तेल
घटिका	घडी	तपस्वी	तपसी
घोटक	घोड़ा	ताप्र	तांबा
घृत	घी	तीर्थ	तीरथ
गहन	घना	तुद	तोद
चर्म	चाम	त्वरित	तुरंत
चंद्र	चाँद	तृण	तिनका
चतुष्कोण	चौकोर	दाधि	दही
चतुर्दश	चौदह	दंत	दाँत
चित्रकार	चितेरा	दीपश्लाका	दीयासलाइ
चैत्र	चैत	दीप	दीया
छत्र	छाता	दीपावली	दीवाली
चर्मकार	चमार	दुर्बल	दुबला
चर्वण	चबाना	द्विपट	दुपट्टा
चंद्रिका	चाँदनी	द्वितीय	दूजा
चतुर्थ	चौथा	दूर्वा	दूब
चतुष्पद	चौपाया	दुर्ग	दूध
चंचु	चोंच	दुःख	दुख
चतुर्विंश	चौबीस	दक्षिण	दाहिना
चौर	चोर	देव	दई/दैव
चित्रक	चीता	धर्म	धरम
चुंबन	चूमना	धरित्री	धरती
चक्र	चक्रकर	धूम	धुआँ
छाया	छाँह	धर्तूर	धतूरा
छिद्र	छेद	धैर्य	धीरज
जन्म	जनम	धनश्रेष्ठ	धनासेठ
ज्योति	जोत	धान्य	धान
जिह्वा	जीभ	नमन	नंगा
जंघा	जाँघ	नक्षत्र	नखत
ज्येष्ठ	जेठ	नव्य	नया
जामाता	जमाई/जवाँई	नापित	नाई
जीर्ण	झीना	नृत्य	नाच
झरण	झरना	नकुल	नेवला
जीर्ण	झीना	नव	नौ/नया

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
नयन	नैन	पृष्ठ	पीठ
निंब	नीम	पौत्र	पोता
निद्रा	नींद	प्रतिच्छाया	परछाँई
नासिका	नाक	फाल्गुन	फागुन
निम्बुक	नींबू	परशु	फरसा
निष्ठुर	नितुर	बधिर	बहरा
पक्ष	पंख	बलीवर्द	बैल
पथ	पंथ	वंध्या	बाँझ
पक्षी	पंछी	बर्कर	बकरा
पद्म	पदम	बालुका	बालू
पट्टिका	पाटी/पट्टी	बुभुक्षु	भूखा
पर्यक	पलंग	वंशी	बाँसुरी
परीक्षा	परख	विकार	बिगाड़
पर्षट	पापड़	भक्त	भगत
पवन	पौन	भल्लुक	भालू
पत्र	पत्ता	भागिनेय	भानजा
पाश	फंदा	भिक्षा	भीख
पाद	पैर	भद्र	भला
पाषाण	पाहन	भगिनी	बहिन
पुच्छ	पूँछ	भाद्रपद	भादौ
पुष्कर	पोखर	भ्रमर	भौंरा
पिपासा	प्यास	भ्रातृ	भाई
पीत	पीला	वाष्प	भाप
पुत्र	पूत	मशक	मच्छर
पुष्प	पुहुप	मत्स्य	मछली
पंक्ति	पंगत	मल	मैल
प्रहर	पहर	मक्षिका	मक्खी
पानीय	पानी	मस्तक	माथा
पूर्ण	पूरा	मयूर	मोर
पंचम	पाँचवाँ	मद्य	मद्
पूर्व	पूरब	मनुष्य	मानुस
प्रिय	पिय	मातृ	माता
प्रस्तर	पत्थर	मास	महीना/माह
पितृ	पितर	मातुल	मामा
प्रकट	प्रगट	मित्र	मीत

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
मुक्ता	मोती	वणिक्	बनिया
मुख	मुँह	वत्स	बच्चा/बछड़ा
मेघ	मेह	वट	बड़
मृत्यु	मौत	वर यात्रा	बरात
श्मशान	मसान	वचन	बचन
यति	जती	वाणी	बैन
यजमान	जजमान	विवाह	ब्याह
यमुना	जमुना	वर्षा	बरखा
यम	जम	वक	बगुला
यश	जस	वानर	बंदर
योगी	जोगी	विष्टा	बीट
युवा	जवान	विद्युत	बिजली
यंत्र-मंत्र	जंतर-मंतर	वृद्ध	बढ़ा
यशोदा	जसोदा	व्याघ्र	बाघ
रज्जु	रस्सी	शैया	सेज
राजपुत्र	राजपूत	शाप	सराप
रक्षा	राखी	शीतल	सीतल
यज्ञोपवीत	जनेऊ	शुष्क	सूखा
यूथ	जत्था	शर्करा	शक्कर
राशि	रास	शत	सौ
रिक्त	रीता	शाक	साग
रोदन	रोना	शिक्षा	सीख
रात्रि	रात	शुक	सुआ
राज्ञी	रानी	शुण्ड	सूँड
लक्षण	लखन	श्यामल	साँवला
लज्जा	लाज	श्वास	साँस
लवंग	लौंग	शृंगार	सिंगार
लेपन	लीपना	शृंग	सींग
लोहकार	लुहार	त्रेष्ठि	सेठ
लक्षण	लच्छन	सरोवर	सरवर
लक्ष	लाख	शृगाल	सियार
लवण	लोण/लोन		
लक्ष्मी	लिछमी		
लोह	लोहा		
लोमशा	लोमड़ी		

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
श्रावण	सावन	हरित	हरा
घोड़श	सोलह	हस्तिनी	हथनी
सप्तशती	सतसई	हट्ट	हाट
संध्या	साँझ	हरिप्रा	हल्दी
सप्तली	सौत	हंडी	हॉडी
सर्प	साँप	हस्त	हाथ
सर्षप	सरसों	हरिण	हिरन/हिरण
सत्य	सच	हास्य	हँसी
सूत्र	सूत	हीरक	हीरा
सूर्य	सूरज	होलिका	होली
स्वर्णकार	सुनार	हृदय	हिय
साक्षी	साखी	क्षण	छिन
स्वप्न	सपना	क्षति	छति
स्थल	थल	क्षीण	छीन
स्थान	थान	क्षार	खार
स्नेह	नेह	क्षेत्र	खेत
स्पर्श	परस	त्रयोदश	तेरह

(iii) देशज शब्द- किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा-व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे-परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि।

देशज शब्दों के भेद इस प्रकार हैं-

(अ) अपनी गढ़त से बने शब्द- अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा-खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़त ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है और यही ध्वनियाँ जब बार-बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन-समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है और धीरे-धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है, जैसे-ऊधम, अंगोच्छा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट आदि।

(आ) द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द- अनल, कटी, चिकना, ताला, लूंगी, इडली, डोसा आदि।

(इ) कोल, संथाल आदि से आए शब्द- कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि।

(iv) विदेशी शब्द- राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अँगरेजी, फ़ारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं।

(अ) अँगरेजी भाषा के शब्द जो प्रायः हिंदी में प्रयुक्त होते हैं—अफसर, एजेण्ट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चैक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पैन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि।

(आ) अरबी भाषा के शब्द—अक्ल, अदालत, आजाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तरीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि।

(इ) फ़ारसी के शब्द—अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि।

(ई) पुर्तगाली भाषा से—अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनन्नास, इस्पात, कनस्तर, कारबन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि।

(उ) तुर्की भाषा से—आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि।

(ऊ) फ्रेन्च (फ्रांसीसी) से—अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रां, सूप आदि।

(ए) चीनी से—चाय, लीची, लोकाट, तूफान आदि।

(ऐ) डच से—तुरुप, चिड़िया, ड्रिल आदि।

(ओ) जर्मनी से—नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन आदि।

(औ) तिब्बती से—लामा, डांडी।

(अं) रूसी से—जार, सोवियत, रूबल, स्पूतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि।

(अः) यूनानी से—एकेडमी, एटम, एटलस, टेलिफोन, बाइबिल आदि।

(v) संकर शब्द—हिंदी में वे शब्द जो दो अलग-अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे—

वर्षाँठ - वर्ष (संस्कृत) + गाँठ (हिंदी)

उद्योगपति - उद्योग (संस्कृत) + पति (हिंदी)

रेलयात्री - रेल (अँगरेजी) + यात्री (संस्कृत)

टिकिटघर - टिकिट (अँगरेजी) + घर (हिंदी)

नेकनीयत - नेक (फ़ारसी) + नीयत (अरबी)

जाँचकर्ता - जाँच (फ़ारसी) + कर्ता (हिंदी)

बेढ़ंगा - बे (फ़ारसी) + ढंगा (हिंदी)

बेआब - बे (फ़ारसी) + आब (अरबी)

सजा प्राप्त - सजा (फ़ारसी) + प्राप्त (हिंदी)

उड़नतश्तरी - उड़न (हिंदी) + तश्तरी (फ़ारसी)

बेकायदा - बे (फ़ारसी) + कायदा (अरबी)

बमवर्षा - बम (आँगरेजी) + वर्षा (हिंदी)

(ख) रचना के आधार पर—नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं—

(i) रूढ़ शब्द (ii) यौगिक शब्द (iii) योगरूढ़ शब्द

(i) **रूढ़ शब्द**—वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्णों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, 'रूढ़ शब्द' कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे—दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि।

(ii) **यौगिक शब्द**—वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें 'यौगिक शब्द' कहते हैं, जैसे—विद्यालय (विद्या + आलय), प्रेमसागर (प्रेम + सागर), प्रतिदिन (प्रति + दिन), दूधवाला (दूध + वाला), राष्ट्रपति (राष्ट्र + पति) एवं महर्षि (महा + ऋषि)।

(iii) **योगरूढ़ शब्द**—वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक-पृथक अर्थ देनेवाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं।

जैसे—‘पीताम्बर’ शब्द ‘पीत’ (पीला) + ‘अम्बर’ (वस्त्र) के योग से बना है किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ ‘विष्णु’ रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लम्बोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारि, चक्रधर, षडानन आदि शब्द योगरूढ़ हैं।

(ग) **प्रयोग के आधार पर**—प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं—

(i) **विकारी**—वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुषकारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया जाएगा।

(ii) **अविकारी या अव्यय शब्द**—वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुषकारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं।

(घ) **अर्थ के आधार पर**—अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नांकित भेद किए जाते हैं—

(i) **एकार्थी शब्द**—जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे—दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि।

(ii) अनेकार्थी शब्द—जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग-अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है, जैसे-अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि।

(iii) पर्यायवाची शब्द—वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात् किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति करानेवाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, जैसे-अमृत, पीयूष, सुधा, अमिय, सोम आदि शब्द ‘अमृत’ के समानार्थी हैं अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं।

(iv) विलोम शब्द—एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे-दिन-रात, माता-पिता आदि।

(v) सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द—ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान-सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है उन्हें समानार्थी प्रतीत होनेवाले भिन्नार्थक शब्द अथवा ‘युग्म-शब्द’ कहते हैं, जैसे-आदि-आदि।

‘आदि’ का अर्थ प्रारंभ है किंतु ‘आदि’ का अर्थ है आदत होना अथवा लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान-सा प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न हैं।

(vi) शब्द समूह के लिए एक शब्द—जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा ‘एक शब्द’ में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे ‘शब्द समूह’ के लिए ‘एक शब्द’ कहते हैं, जैसे-जहाँ जाना संभव न हो = अगम्य। जो अपनी बात से टले नहीं = अटल।

(vii) समानार्थक प्रतीत होनेवाले भिन्नार्थक शब्द—ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं। किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग सम्भव है, जैसे-

अस्त्र—फेंक कर वार किए जानेवाले हथियार, जैसे-तीर, भाला आदि।

शस्त्र—जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे-तलवार, लाठी, चाकू आदि।

(viii) समूहवाची शब्द—ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं, जैसे-

गटर-लकड़ी या पुस्तकों का समूह।

गुच्छा-चाबियों या अंगूर का समूह।

गिरोह-माफिया या चोर, डाकुओं का समूह।

रेवड़-भेड़, बकरी या पशुओं का समूह।

इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द हैं।

(ix) ध्वन्यार्थक शब्द—ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं।

इनको निम्नांकित उपभेदों में बाँट सकते हैं—

पशुओं की बोलियाँ—दहाड़ना (शेर), भौंकना (कुत्ता), हिनहिनाना (घोड़ा), चिंघाड़ना (हाथी), मिमियाना (भेड़, बकरी), रंभाना (गाय), फुँफकारना (साँप), टर्जना (मेंढक), गुर्जना (चीता) एवं म्याँ (बिल्ली) आदि।

पक्षियों की बोलियाँ—चहचहाना (चिड़िया), पीऊ-पीऊ (पपीहा), काँव-काँव (कौआ), गुटर्गुं (कबूतर), कुकड़ू कुं (मुर्गा), कुहुकना (कोयल) आदि।


जड़ पदार्थों की धनियाँ-कड़कना (बिजली), खटखटाना (दरवाजा), छुक-छुक (रेलगाड़ी), गरजना (बादल), खनखनाना (सिक्के) आदि।

अभ्यास प्रश्न

अध्याय-4

शब्द विचार (ख)

शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं-



संज्ञा

साधारण शब्दों में 'नाम' को ही संज्ञा कहते हैं, जैसे 'राम' ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी।' इस वाक्य में हम पाते हैं कि 'राम' एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा 'सुंदरता' एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएँ ही हैं।

परिभाषा—'किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध करनेवाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं।'

संज्ञा के भेद-

संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं—

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा
2. जातिवाचक संज्ञा
3. भाववाचक संज्ञा

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा—जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे 'व्यक्तिवाचक संज्ञा' कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, 'विशेष' का बोध करती है 'सामान्य' का नहीं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार-पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं।

2. जातिवाचक संज्ञा—जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति (वर्ग) के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो, उसे ‘जातिवाचक संज्ञा’ कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध करते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु-पक्षियों, फल-फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गाँव, परिवार, भीड़—जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं।

3. भाववाचक संज्ञा—जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे ‘भाववाचक संज्ञा’ कहते हैं। प्रायः गुण-दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्तभाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।

भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य पाँच प्रकार के शब्दों से होती है—

1. जातिवाचक संज्ञा से
2. सर्वनाम से
3. विशेषण से
4. क्रिया से
5. अव्यय से

1. जातिवाचक संज्ञा से—

जातिवाचक संज्ञा	भाववाचक संज्ञा
शिशु	शैशव, शिशुता
विद्वान्	विद्वता
मित्र	मित्रता
पशु	पशुता
पुरुष	पुरुषत्व
सती	सतीत्व
लड़का	लड़कपन
गुरु	गौरव
बच्चा	बचपन
सज्जन	सज्जनता
आदमी	आदमियत
इंसान	इंसानियत
दानव	दानवता
बूढ़ा	बुढ़ापा
बंधु	बंधुत्व
व्यक्ति	व्यक्तित्व
ईश्वर	ऐश्वर्य

चोर
ठग

चोरी
ठगी

2. सर्वनाम से—

सर्वनाम	भाववाचक संज्ञा
मम	ममता/ममत्व
स्व	स्वत्व
आप	आपा
सर्व	सर्वस्व
निज	निजत्व
अपना	अपनापन/अपनत्व

3. विशेषण से—

विशेषण	भाववाचक संज्ञा
कठोर	कठोरता
विधवा	वैधव्य
चालाक	चालाकी
शिष्ट	शिष्टता
ऊँचा	ऊँचाई
नम्र	नम्रता
बुरा	बुराई
मोटा	मोटापा
स्वस्थ	स्वास्थ्य
मीठा	मिठास
सरल	सरलता
शूर	शूरता/शौर्य
चतुर	चतुराई
सहायक	सहायता
आलसी	आलस्य
गर्म	गर्मी
निपुण	निपुणता
बहुत	बहुतायत
मूर्ख	मूर्खता
वीर	वीरता
न्यून	न्यूनता

आवश्यक	आवश्यकता
हरा	हरियाली
पतित	पतन
छोटा	छुटपन
दुष्ट	दुष्टता
काला	कालिमा/कालापन
निर्बल	निर्बलता

4. क्रिया से-

क्रिया	भाववाचक संज्ञा
सुनना	सुनवाई
गिरना	गिरावट
चलना	चाल
कमाना	कमाई
बैठना	बैठक
पहचानना	पहचान
खेलना	खेल
जीना	जीवन
चमकना	चमक
सजाना	सजावट
लिखना	लिखावट
पढ़ना	पढ़ाई
जमना	जमाव
पूजना	पूजा
हँसना	हँसी
गूँजना	गूँज
जलना	जलन
भूलना	भूल
गाना	गान
उड़ना	उड़ान
हारना	हार
थकना	थकावट / थकान
पीना	पान
बिकना	बिक्री

5. अव्यय से-


अव्यय	भाववाचक संज्ञा
दूर	दूरी
ऊपर	ऊपरी
धिक्	धिक्कार
शीघ्र	शीघ्रता
मना	मनाही
निकट	निकटता
नीचे	निचाई
समीप	सामीप्य

सर्वनाम

भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह ‘सर्वनाम’ होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है ‘सब का नाम’। अर्थात् सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होनेवाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है, जैसे—सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए ‘सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि ‘वह’ बीमार है तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा।’

परिभाषा—संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होनेवाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे—मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि।

सर्वनाम के भेद—सर्वनाम के निम्नलिखित छह भेद हैं—



(i) पुरुषवाचक सर्वनाम—जिन सर्वनामों का प्रयोग कहनेवाले, सुननेवाले व जिसके विषय में कहा जाए—के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं—

(अ) उत्तम पुरुष—बोलनेवाला या लिखनेवाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे—मैं, हम, हम सब, हम लोग आदि।

(ब) मध्यम पुरुष—जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होनेवाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे—तू, तुम, आप, आप लोग, आप सब।

(स) अन्य पुरुष—जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होनेवाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे—वे, वे लोग, ये, यह, आप।

(ii) निश्चयवाचक सर्वनाम—जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

इसके मुख्य दो प्रयोग हैं—

(i) निकट की वस्तुओं के लिए—यह, ये।

(ii) दूर की वस्तुओं के लिए—वह, वे।

(iii) अनिश्चयवाचक सर्वनाम—जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे—कुछ, कोई।

‘कोई’ सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणिवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे—कोई उसे बुला रहा है।

‘कुछ’ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे—पानी में कुछ है, धी में कुछ मिला है।

(iv) संबंधवाचक सर्वनाम—दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शनेवाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे—जो, जिसे, जिसका, जिसको।

जो सोएगा, सो खोएगा।

जिसकी लाठी उसकी भैंस।

जो सत्य बोलता है, वह नहीं डरता।

(v) प्रश्नवाचक सर्वनाम—जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे—क्या, किससे, कौन।

वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है?

कल तुम किससे बात कर रहे थे?

आज तुम्हें क्या चाहिए?

(vi) निजवाचक सर्वनाम—ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक (स्वयं) अपने लिए करते हैं, निजवाचक कहलाते हैं, यथा—आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे—मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आप अपने घर कब जा रहे हैं? इन वाक्यों में ‘अपनी’ तथा ‘अपने’ शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं।

क्रिया


क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रिया पद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को 'धातु' कहते हैं।

धातु— हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही 'धातु' है।

धातु में 'ना' जोड़ने से हिंदी के क्रिया पद बनते हैं, जैसे—

पढ़ + ना = पढ़ना, उठ + ना = उठना आदि।

परिभाषा—'जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं।'



1. कर्म के आधार पर—क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जानेवाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं—

(अ) सकर्मक क्रिया—स अर्थात् सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है—कर्म के साथ।

परिभाषा—जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है।

जैसे—बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है।

अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा—‘चित्र’ (कर्म) तथा गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा—‘सितार’ (कर्म)।

सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं—

(i) एक कर्मक—जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे—‘माँ पढ़ रही है।’ यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म (पढ़ना) हो रहा है।

(ii) द्विकर्मक क्रिया—जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं।

जैसे—अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? -कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? -छात्रों को (छात्र सीख रहे हैं।) इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं।

(ब) अकर्मक क्रिया—जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे—आशा सोती है।

2. संरचना के आधार पर—वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में क्रिया जा रहा है, के आधार पर किए जानेवाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके पाँच प्रकार हैं।

(अ) संयुक्त क्रिया—जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखनेवाली क्रियाओं का मेल हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे—अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में ‘आने’ मुख्य क्रिया है तथा ‘स्वागत करो’ सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है। अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं।

मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएँ एक से अधिक भी हो सकती हैं।

(ब) नामधातु क्रिया—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें ‘नामधातु’ क्रिया कहते हैं और इन नामधातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द ‘नाम धातु क्रिया’ कहलाते हैं, जैसे—

—हाथ (संज्ञा) — हथिया (नामधातु) — हथियाना (क्रिया)

जैसे—नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया।

—अपना (सर्वनाम) — अपना (नामधातु) — अपनाना (क्रिया)

जैसे—विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है।

(स) प्रेरणार्थक क्रिया—जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे—

सरपंच ने गाँव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है।

(द) पूर्वकालिक क्रिया—जब किसी वाक्य में दो क्रियाएँ प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होनेवाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।

इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं।

मूल धातु में ‘कर’ लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है, जैसे—

—बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा।

—वह पढ़कर सो गया।

इन वाक्यों में खेलकर ('खेल' मूल धातु + कर) एवं पढ़कर (पढ़ मूल धातु + कर) पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी।

पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप 'तात्कालिक क्रिया' भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु + ते से इस क्रिया पद का निर्माण होता है, जैसे—
पुलिस के आते ही चोर भाग गया।

इसमें 'आते ही' तात्कालिक क्रिया है।

(च) कृदन्त क्रिया—क्रिया शब्दों में जुड़नेवाले प्रत्यय 'कृत' प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदन्त कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदन्त क्रिया कहलाती है, जैसे—

क्रिया	कृदन्त क्रिया
चल-	चलना, चलता चलकर
लिख-	लिखना, लिखता, लिखकर।

(३) काल के आधार पर—जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद हैं—

(अ) भूतकालिक क्रिया—क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे—वह विदेश चला गया। उसने बहुत मधुर गीत गाया।

(ब) वर्तमानकालिक क्रिया—क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे—
गीता हाँकी खेल रही है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है।

(स) भविष्यत् कालिक क्रिया—क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आनेवाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यत् कालिक क्रिया कहते हैं, जैसे—

—गार्गी छुटियों में कश्मीर जाएगी।

—दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा।

विशेषण

संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है।

परिभाषा—'ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं।'

विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, वह शब्द 'विशेष्य' कहलाता है, जैसे—नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति में नीला, छोटी एवं भला शब्द विशेषण है तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष्य हैं।

विशेषण के प्रकार—

विशेषण पाँच प्रकार के होते हैं—



(i) गुणवाचक—ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं।

जैसे—पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि।

(ii) संख्यावाचक विशेषण—ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित/अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध करते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं—(अ) निश्चित संख्या वाचक—जैसे—एक, दूसरा, तीनों, चौंगुना आदि एवं (ब) अनिश्चय संख्यावाचक—जैसे—कई, कुछ, बहुत, सब आदि।

(iii) परिमाणवाचक—ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध करते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो उपभेद हैं—

(अ) निश्चित परिमाणवाचक—जैसे—दो लीटर, पाँच किलो एवं तीन मीटर आदि।

(ब) अनिश्चित परिमाणवाचक—जैसे—थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि।

(iv) संकेतवाचक—ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं अर्थात् संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में ये सर्वनाम हैं इसलिए ये विशेषण ‘सार्वनामिक विशेषण’ भी कहलाते हैं।

जैसे—इस गेंद को मत फेंको। उस पुस्तक को पढ़ो। कोई सजन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण हैं।

(v) व्यक्तिवाचक विशेषण—ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं, जैसे—बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इनमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

प्रविशेषण

ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं, जैसे—

वह बहुत परिश्रमी है। शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण हैं तथा ‘बहुत’ व ‘अति’ प्रविशेषण हैं।

विशेषण की रचना

कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे—

(i) संज्ञा से विशेषण—

संज्ञा + प्रत्यय = विशेषण


- रंग + ईन = रंगीन
 राष्ट्र + ईय = राष्ट्रीय
 स्वर्ण + इम = स्वर्णिम
 बनारस + ई = बनारसी
 जयपुर + इया = जयपुरिया
 (ii) सर्वनाम से विशेषण-
 मैं + एरा = मेरा
 तुम + हारा = तुम्हारा
 (iii) क्रिया से विशेषण-
 वंदन + ईय = वंदनीय
 लूट + एरा = लुटेरा
 झगड़ + आलू = झगड़ालू
 (iv) अव्यय से विशेषण-
 बाहर + ई = बाहरी
 पीछे + ला = पिछला

(आ) अविकारी शब्द

ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं होता-अविकारी शब्द कहलाते हैं।

अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ—अ (नहीं) + व्यय (खच या परिवर्तन) है। अर्थात् किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे—यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि।

अव्यय के भेद-



1. क्रिया-विशेषण—ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं। भेद-

यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि।

क्रिया विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं—

(अ) कालवाचक—ऐसे अव्यय शब्द जो क्रियाविशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं, उन्हें कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं, जैसे—आज मेरी परीक्षा है। तुम दिल्ली कब जाओगे? इन वाक्यों में ‘आज’ एवं ‘कब’ काल वाचक क्रियाविशेषण के उदाहरण हैं तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः अभी—अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि हैं।

(ब) स्थानवाचक—ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे—यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएँ, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। उदाहरण— खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। रमेश यहाँ रहता है।

(स) रीतिवाचक—ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त कीजिए, रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं, जैसे—तुम बहुत धीरे—धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुँचना है। इसमें धीरे—धीरे, झटपट, तेज रीतिवाचक क्रियाविशेषण हैं।

(द) परिमाणवाचक—ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं, जैसे— थोड़ा—थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ।

वह उतना ही भार उठा पाएगा। जितना चाहो ले लो। नदी में पानी अधिक बह रहा है।

इन वाक्यों में उतना, जितना एवं अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं।

2. समुच्चयबोधक—ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक विशेषण कहते हैं।

समुच्चयबोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं।

समुच्चयबोधक के दो भेद हैं—

(अ) समानाधिकरण समुच्चयबोधक—ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे— संयोजक अव्यय—और, तथा, एवं आदि।

विभाजक अव्यय—या, अथवा, कोई एक, कि, चाहे, नहीं तो, ना आदि।

विरोध प्रदर्शन—पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन् आदि।

परिणाम दर्शक—अतः, अतएव, सो, फलतः आदि।

(ब) व्यधिकरण समुच्चयबोधक—ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं।

जैसे—कारण वाचक—क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि।

उद्देश्यवाचक—जोकि, ताकि आदि।

संकेतवाचक—यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब-तब आदि।

स्वरूपवाचक—कि, जो, अर्थात्, मानो आदि।

3. संबंधबोधक—ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंधबोधक विशेषण कहलाते हैं, जैसे—

सीता की बहन गीता है। इसमें ‘की’ संबंधसूचक अव्यय है। इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इनके भेद इस प्रकार हैं—

कालवाचक—आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात्, उपरान्त आदि।

स्थानवाचक—पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप आदि।

दिशावाचक—तरफ, ओर, पार, आस-पास आदि।

साधन वाचक—द्वारा, जरिए, मारफत, हाथ, जबानी।

निमित्तवाचक—हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत।

विरोधवाचक—उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध।

सादृश्यवाचक—समान, तुल्य, सम, भाँति, जैसा, तरह।

तुलनात्मक—अपेक्षा, सामने, बल्कि।

विनिमय वाचक—बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त।

संग्रह वाचक—तक, मात्र, पर्यन्त, भर।

हेतु वाचक—सिवा, लिए, कारण, वास्ते।

4. विस्मयादिबोधक अव्यय—ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। मनोभावों के परिणामस्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक कहते हैं।

जैसे— हाय! अच्छाऽऽ! छिः! वाह! आदि।

हर्षसूचक — अहा! वाह! शाबाश! बहुत खूब!

शोकसूचक — आह! हाय! ओह! उफ! राम-राम! आदि।

भयसूचक — अरे रे! बाप रे!

आश्चर्यसूचक — क्या? ऐ! है! आदि।

तिरस्कारसूचक — छिः! हट! धिक्! आदि।

अभिवादनसूचक — नमस्ते! प्रणाम! सलाम! बधाई!

चेतावनीसूचक — होशियार! खबरदार! सावधान!

कृतज्ञतासूचक — धन्यवाद! शुक्रिया! जिंदाबाद!

5. सकारात्मक/नकारात्मक—हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं, न आदि.

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं-

- | | |
|-------|-------|
| (अ) 2 | (ब) 5 |
| (स) 3 | (द) 4 |

[]

प्र. 2. जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है, कहलाता है-

- | | |
|-----------------|------------------|
| (अ) विकारी शब्द | (ब) विशेषण शब्द |
| (स) पदबंध | (द) सर्वनाम शब्द |

[]

प्र. 3. दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए-

- | | |
|-----------|----------|
| (अ) लकड़ी | (ब) आप |
| (स) बुनना | (द) रमेश |

[]

प्र. 4. अनिश्चय वाचक सर्वनाम है-

- | | |
|---------|-----------|
| (अ) आप | (ब) जिसकी |
| (स) कोई | (द) क्या |

[]

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए-

प्र. 5. ----- भी बाजार जाना है। (सर्वनाम)

- | | |
|----------|----------|
| (अ) वहाँ | (ब) वरना |
| (स) कल | (द) मुझे |

[]

प्र. 6. वह ----- चलता है। (क्रियाविशेषण)

- | | |
|----------|---------------|
| (अ) रोज | (ब) धीरे-धीरे |
| (स) कहाँ | (द) सहारे से |

[]

रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित अव्यय शब्द चुनकर कीजिए-

प्र. 7. हमें अपनी सभ्यता ----- संस्कृति पर गर्व है।

- | | |
|----------|------------|
| (अ) या | (ब) और |
| (स) अथवा | (द) के साथ |

[]

प्र. 8. खूब मन लगाकर पढ़ो ----- परीक्षा में प्रथम आओ।

- | | |
|------------|-------------|
| (अ) ताकि | (ब) चूंकि |
| (स) अन्यथा | (द) क्योंकि |

[]

प्र. 9. हरीश ----- सत्य बोलता है।

- | | |
|------------|-------------|
| (अ) जोर से | (ब) पास-पास |
| (स) सदैव | (द) क्योंकि |

[]

प्र. 10. वहाँ मोहन के ----- कोई नहीं था।

- | | |
|--------|-----------|
| (अ) और | (ब) अलावा |
| (स) या | (द) अथवा |

[]

प्र.11. ----- बोलो, कोई सुन लेगा।

- | | |
|--------------|------------|
| (अ) चिल्लाकर | (ब) जोर से |
| (स) गाकर | (द) धीरे |
- []
- उत्तर-** 1. (स) 2. (अ) 3. (अ) 4. (स) 5. (द) 6. (ब) 7. (ब) 8. (अ)
9. (स) 10. (ब) 11. (द)

प्र.12. निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए-

इंसान, लड़की, बच्चा, अपना, गंदा, हँसना।

प्र.13. सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।

प्र.14. अव्यय किसे कहते हैं, भेद लिखिए।

प्र.15. विकारी एवं अविकारी शब्द में अंतर लिखिए।

प्र.16. समुच्चय बोधक अव्यय का विस्तार से वर्णन कीजिए।

प्र.17. क्रिया के कितने भेद हैं?

प्र.18. संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं?

प्र.19. निमांकित विस्मयादिबोधक शब्दों पर वाक्यों की रचना कीजिए-
अरे, छिः, आह, शाबाश, वाह।

प्र.20. विकारी एवं अविकारी शब्द रूपों की एक तालिका तैयार कीजिए जिसमें भेद एवं उपभेद विस्तार से बतलाए गए हों।

प्र.21. निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण व उनके भेद बताइए-

वाक्य	विशेषण	भेद
(i) बगीचे में फलदार पेड़ हैं।	_____	_____
(ii) वे पुस्तकें तुम्हारी हैं।	_____	_____
(iii) हमने काले कोट बनवाए हैं।	_____	_____
(iv) सफेद कबूतर आया है।	_____	_____
(v) बच्चा जोर-जोर से रो रहा है।	_____	_____
(vi) सुरेश खिलाड़ी पिता का पुत्र है?	_____	_____
(vii) वह लड़का तेज भागता है।	_____	_____
(viii) प्रेमचंद महान (लेखक, उपन्यासकार) हैं।	_____	_____
(ix) कर्ण दानवीर थे।	_____	_____

प्र.22. निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया व उसका भेद बताइए-

वाक्य	क्रिया	भेद
(i) ये सभी पहलवानी करते हैं।	_____	_____
(ii) ये सञ्जियाँ बेचते हैं।	_____	_____

- (iii) गुरु जी गणित पढ़ाते हैं। _____
- (iv) गाड़ी का टायर फट गया है। _____
- (v) लता कविता लिख रही है। _____
- (vi) विनीत क्रिकेट खेल रहा है। _____
- (vii) मैं डॉक्टर बनूँगा। _____
- (viii) वह रोज दूध पीता है। _____
- (ix) प्रधानमंत्री अमेरिका जायेंगे। _____
- (x) सरकार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। _____

प्र.23. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अव्यय से कीजिए-

- | | |
|--|--|
| (i) पिता ----- पुत्र घूमने जा रहे हैं। | (ii) मैं ----- वहीं था। |
| (iii) तुम ----- उठो। | (iv) ----- क्या छक्का मारा है। |
| (v) आजकल सच्चाई --- कोई नहीं पूछता। | (vi) ----- अब मैं क्या करूँ। |
| (vii) ----- कितनी सुंदर झील है। | (viii) आप कूड़ा ----- फेंकते हैं। |
| (ix) वह बहुत देर ----- रोता रहा। | (x) ----- मैं तो भूल ही गया था। |
| (xi) ----- तुम्हें क्या हो गया है। | (xii) वह अब ----- पढ़ रहा है? |
| (xiii) मुझे ----- पैसे चाहिए। | (xiv) पैट्रोल के ----- कार नहीं चल सकती। |
| (xv) वर्षों से ----- कोई नहीं आया। | (xvi) उसकी हालत ----- खराब है। |
| (xvii) स्कूल मेरे घर ----- है। | (xviii) वह ----- नहीं पढ़ता है। |
| (xix) ----- मैं लुट गया। | (xx) विवेक अब ----- स्वस्थ है। |

अध्याय-5


पद-परिचय

एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद-परिचय कहलाता है।

परिभाषा—पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है।

पद-परिचय—वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है।

पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएँ और कार्य बताए जाते हैं। प्रकार-



1. संज्ञा शब्द का पद परिचय—संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त किया जाता है।

वाक्य—राजेश ने रमेश को पुस्तक दी।

राजेश—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, ‘ने’ के साथ कर्ता कारक, ‘दी’ क्रिया का कर्ता।

रमेश—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, ‘दी’ क्रिया का कर्म, ‘को’ के साथ कर्म कारक।

पुस्तक—संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्मकारक।

वाक्य—नेपाल चीन से हथियार लेता है।

नेपाल—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक।

चीन—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अपादान कारक।

हथियार—संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक।

2. सर्वनाम शब्द का परिचय—सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा, जैसे—

मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ

मैं— उत्तम पुरुष, सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, चलता हूँ क्रिया का कर्ता कारक।
यह वही कार है

यह—सर्वनाम, निश्चयवाचक, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एकवचन।

3. विशेषण शब्द का पद परिचय—विशेषण शब्द के पद-परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन व विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है।

जैसे—हमारे बीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया।

बीर—विशेषण, गुणवाचक, मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, ‘सैनिकों’ विशेष्य का गुण व्यक्त करता है।

सब—विशेषण, संख्यावाचक, मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, ‘दुश्मनों’ विशेष्य की संख्या का बोध कराता है।

—यह सपेरा बहुत चतुर है।

यह—विशेषण, सार्वनामिक, पुल्लिंग, एकवचन, ‘सपेरा’ संज्ञा की विशेषता।

चतुर—विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग एक वचन, सपेरा, विशेष्य का विशेषण।

4. क्रिया शब्द का पद परिचय—क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है।

जैसे—राम ने रावण को मारा।

मारा—क्रिया, सकर्मक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्तृवाच्य, भूतकाल।

‘मारा’ क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण।

—सवेरे मैं उठा।

उठा—क्रिया, अकर्मक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्तृवाच्य, भूतकाल। उठा क्रिया का कर्ता मैं।

5. अव्यय शब्द का पद परिचय—अव्यय शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है।

(i) **क्रियाविशेषण का पद परिचय**—भेद तथा क्रिया की जानकारी। जैसे—

—श्याम वहाँ गिरा था।

—वहाँ—क्रियाविशेषण स्थानवाचक, ‘गिरा था’ क्रिया का स्थान निर्देश।

—मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ।

रोज—क्रियाविशेषण, काल वाचक, प्राणायाम क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है।

(ii) **समुच्चयबोधक**—भेद तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उसका उल्लेख होगा। जैसे—

—सीता और गीता बहिनें हैं।

—‘और’ समानाधिकरण समुच्यबोधक में संयोजक अव्यय।

(iii) संबंधबोधक—भेद तथा जिससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख, जैसे—
—ट्रेन समय से पहले आ गई।

—‘से पहले’—कालवाचक संबंधबोधक अव्यय ‘ट्रेन’ संज्ञा के समय की विशेषता।

(iv) विस्मयादिबोधक—भेद या भाव का नाम। जैसे—

वाह! कितना सुंदर है!

वाह!—हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय।

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं—

- | | |
|------------|-------------|
| (अ) संज्ञा | (ब) पद |
| (स) क्रिया | (द) सर्वनाम |

[]

प्र. 2. संज्ञा शब्द के ‘पद-परिचय’ में क्या नहीं बतलाया जाता?

- | | |
|----------|----------------------|
| (अ) लिंग | (ब) वचन |
| (स) काल | (द) संज्ञा का प्रकार |

[]

प्र. 3. पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं—

- | | |
|-------|-------|
| (अ) 3 | (ब) 2 |
| (स) 4 | (द) 5 |

[]

प्र. 4. तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया वाक्य में ‘तेज’ पद है—

- | | |
|----------------------|----------------|
| (अ) क्रिया विशेषण पद | (ब) सर्वनाम पद |
| (स) विशेषण पद | (द) क्रिया पद |

[]

उत्तर— 1. (ब) 2. (स) 3. (द) 4. (अ)

प्र. 5. संज्ञा पद परिचय में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है?

प्र. 6. सर्वनाम के पद-परिचय की विशेषताएँ बताइए।

प्र. 7. रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए—

यह सुंदर खिलौना मुझे दो।

प्र. 8. अव्यय के पद परिचय भेद सहित विस्तार से लिखिए।

प्र. 9. संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के पद-परिचय के दो-दो उदाहरण लिखिए।

अध्याय-6

शब्दशक्तियाँ

शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुँचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्दशक्ति है।

उदाहरण के लिए-रमेश की 'गाय' पाँच किलो दूध देती है। तथा-सुमित्रा की बहू तो निरी 'गाय' है। इन दोनों वाक्यों में 'गाय' शब्द आया है मगर अर्थ दोनों में भिन्न (एक में पशु का नाम तो दूसरे में भोला, सीधा व सरल व्यक्ति) है। इस प्रकार वक्ता या लोखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द और अर्थ के इस चामत्कारिक स्वरूप को प्रकट करनेवाली शब्दशक्तियाँ तीन प्रकार की हैं-

शब्दशक्तियाँ			
शब्द शक्ति का नाम-	अभिधा	लक्षणा	व्यंजना
शब्द-	वाचक	लक्षक	व्यंजक
अर्थ-	वाच्यार्थ (अभिधेयार्थ)	लक्ष्यार्थ	व्यंग्यार्थ

1. अभिधा शब्दशक्ति-शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्दशक्ति कहते हैं।

पंडित रामदहिन मिश्र ने 'साक्षात् सांकेतिक अर्थ को अभिधा' कहा है तो आचार्य ममट मुख्यार्थ का बोध करनेवाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं।

इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल, प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है।

अभिधेयार्थ शब्द 'वाचक' कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्दशक्ति के उदाहरण-

- राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे।
- गुलाब का फूल बहुत सुंदर है।
- मोहन पुस्तक पढ़ रहा है।
- गाय घास चर रही है।

उपर्युक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है।

2. लक्षणा शब्दशक्ति—जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभीष्ट अर्थ का बोध न हो तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। लक्षणा शब्दशक्ति के दो भेद इस प्रकार हैं-

(i) पुलिस देख चौर ‘चौकन्ना’ हो गया।

इसमें चौर द्वारा ‘चौकन्ना’ होने का अर्थ है—सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोच लेना। जबकि चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ है—चौ = चार, कन्ना = कान अर्थात् ‘चार कान वाला’ अतः दो की जगह चार कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है।

इसी प्रकार उदाहरण—

(ii) राजेश का पुत्र तो ‘ऊँट’ हो गया है।

इसमें ‘ऊँट’ का अर्थ है—अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ ‘रूढ़ि’ के आधार पर लिया गया है। अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार लक्षणा शब्दशक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है।

लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण—

- लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं।
- सारा घर मेला देखने गया है।
- नरेश तो गधा है।
- वह हवा से बातें कर रहा था।
- सैनिकों ने कमर कस ली है।

उक्त उदाहरणों में ‘शेर’, ‘घर’, ‘गधा’, ‘हवा’, ‘कमर कसना’ आदि लाक्षणिक शब्द हैं जिनके, लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जायेंगे।

3. व्यंजना शब्दशक्ति—जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है। वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है।

‘व्यंजना’ का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग-अलग अर्थ प्रकट होते हैं तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जैसे—‘संध्या हो गई।’ वाक्य का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है तो पुजारी के लिए पूजन-वंदन का समय है।

व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को दो भागों में विभक्त करते हैं—

(i) शाब्दी व्यंजना—जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात् पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता हो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है क्योंकि अभीष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है, जैसे—

चिरजीवो जोरी जुरै, क्यों न सनेह गंभीर।
को घटि, ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर॥

यहाँ 'वृषभानुजा' का अर्थ राधा तथा गाय है वहीं 'हलधर' के भी दो अर्थ बलराम तथा बैल हैं। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय शब्द रख देने पर नहीं रह सकता। शब्दी व्यंजना का अन्य उदाहरण है-

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चून॥

इसमें 'पानी' शब्द के तीन अर्थ (चमक, सम्मान एवं जल) उसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे।

(ii) आर्थीव्यंजना—जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है। उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलनेवाले, सुननेवाले, प्रकरण, देशकाल, कंठस्वर आदि का बोध करती है, जैसे—

सघन कुंज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर।
मन है जात अजौं वहै, वा यमुना के तीर॥

इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताये यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वह कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती है वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है।

शब्द-शक्तियों की तुलनात्मक तालिका

अभिधा	लक्षणा	व्यंजना
(i) मुख्यार्थ	लक्ष्यार्थ	व्यंग्यार्थ
(ii) सर्वाविदित	रूढ़ या प्रयोजनार्थ/प्रयोजनार्थ	संदर्भ के अनुसार
सरलार्थ		अभिप्रेत अर्थ
(iii) तुम्हारा पुत्र मूर्ख है।	तुम्हारा पुत्र गधा है।	तुम्हारा पुत्र तो वृहस्पति का अवतार है।


अभ्यास प्रश्न

- प्र. 1. अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है—
 (अ) व्यंग्यार्थ (ब) वाच्यार्थ (स) लक्ष्यार्थ (द) भावार्थ []
- प्र. 2. लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है—
 (अ) अभिधा से (ब) व्यंजना से
 (स) लक्षण से (द) लक्षण एवं व्यंजना से []
- प्र. 3. परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है—
 (अ) व्यंग्य से (ब) लक्षण से
 (स) सरलार्थ से (द) संकेत से []
- उत्तर—** 1. (ब) 2. (स) 3. (ब)
- प्र. 4. अभिधा एवं लक्षण शब्द शक्ति में अंतर बताइए।
- प्र. 5. व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ एवं उदाहरण बताइए।
- प्र. 6. शब्दी व्यंजना एवं आर्थी व्यंजना में अंतर स्पष्ट कीजिए।
- प्र. 7. अभिधा, लक्षण, व्यंजना शब्द शक्तियों की परिभाषा विशेषताएँ विस्तार से लिखते हुए तीन-तीन उदाहरण लिखिए।

अध्याय-7

शब्द रूपांतरण

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करनेवाले कारक तत्त्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है, वे इस प्रकार हैं-



लिंग

लिंग शब्द का अर्थ होता है चिह्न या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है।

हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं-

(i) पुलिंग—जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुलिंग कहते हैं, जैसे— मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि।

(ii) स्त्रीलिंग—जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे— मेरी, काली, जाती, बहिन, विमला, अध्यापिका आदि।

लिंग की पहचान के नियम—लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुलिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे—

- (i) दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि।
- (ii) पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम आदि।
- (iii) अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध आदि।
- (iv) ग्रहों एवं रस्तों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि।
- (v) अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-कान, हाथ, सिर, इन्द्र वरुण, पैर आदि।
- (vi) कुछ धातुओं के एवं समयसूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-सोना, लोहा, ताँबा, क्षण, घंटा आदि।
- (vii) भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे-हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी आदि।
- (viii) नदियों एवं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे-गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी आदि।
- (ix) लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे-मालती, अमरबेल आदि।

लिंग परिवर्तन-पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कठिपय नियम इस प्रकार हैं-

(i) शब्दांत 'अ' को 'आ' में बदलकर-

छात्र-छात्रा	पूज्य-पूज्या	सुत-सुता
वृद्ध-वृद्धा	भवदीय-भवदीया	अनुज-अनुजा

(ii) शब्दांत 'अ' को 'ई' में बदलकर-

देव-देवी	पुत्र-पुत्री	गोप-गोपी
ब्राह्मण-ब्राह्मणी	मेंढक-मेंढकी	दास-दासी

(iii) शब्दांत 'आ' को 'ई' में बदलकर-

नाना-नानी	लड़का-लड़की	घोड़ा-घोड़ी
बेटा-बेटी	रस्सा-रस्सी	चाचा-चाची

(iv) शब्दांत 'आ' को 'इया' में बदलकर-

बूढ़ा-बुढ़िया	चूहा-चुहिया	कुत्ता-कुतिया
डिङ्गा-डिबिया	बेटा-बिटिया	लोटा-लुटिया

(v) शब्दांत प्रत्यय 'अक' को 'इका' में बदलकर-

बालक-बालिका	लेखक-लेखिका	नायक-नायिका
पाठक-पाठिका	गायक-गायिका	

(vi) 'आनी' प्रत्यय लगाकर-

देवर-देवरानी	चौधरी-चौधरानी	सेठ-सेठानी
भव-भवानी	जेठ-जिठानी	

(vii) 'नी' प्रत्यय लगाकर-		
शेर-शेरनी	मोर-मोरनी	जाट-जाटनी
सिंह-सिंहनी	ऊँट-ऊँटनी	भील-भीलनी
हाथी-हथनी		
(viii) शब्दांत में 'ई' के स्थान पर 'इनी' लगाकर-		
तपस्वी-तपस्विनी	स्वामी-स्वामिनी	
(ix) 'इन' प्रत्यय लगाकर-		
माली-मालिन	चमार-चमारिन	धोबी-धोबिन
नाई-नाइन	कुम्हार-कुम्हारिन	सुनार-सुनारिन
(x) 'आइन' प्रत्यय लगाकर-		
चौधरी-चौधराइन	ठाकुर-ठकुराइन	मुंशी-मुंशियाइन
(xi) शब्दांत 'वान्' के स्थान पर 'वती' लगाकर-		
गुणवान-गुणवती	पुत्रवान-पुत्रवती	भगवान-भगवती
बलवान-बलवती	भाग्यवान-भाग्यवती	सत्यवान-सत्यवती
(xii) शब्दांत 'मान' के स्थान पर 'मती' लगाकर-		
श्रीमान-श्रीमती	बुद्धिमान-बुद्धिमती	आयुष्मान-आयुष्मती
(xiii) शब्दांत 'ता' के स्थान पर 'त्री' लगाकर-		
कर्ता-कर्त्री	नेता-नेत्री	दाता-दात्री
(xiv) शब्द के पूर्व में 'मादा' शब्द लगाकर-		
खरगोश-मादा खररोश	भालू-मादा भालू	भेड़िया-मादा भेड़िया
(xv) भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द-		
कवि-कवयित्री	वर-वधू	विद्रान-विदुषी
वीर-वीरांगना	मर्द-औरत	साधु-साध्वी
दूल्हा-दुल्हन	नर-नारी	बैल-गाय
राजा-रानी	पुरुष-स्त्री	भाई-भाभी
बादशाह-बेगम	युवक-युवती	ससुर-सास

वचन

व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या। जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं-

(i) एकवचन-जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं, जैसे-लड़का खेल रहा है। खिलौना टूट गया है। यह मेरी पुस्तक है।

इन वाक्यों में आए लड़का, खिलौना तथा पुस्तक शब्द एकवचन हैं।

(ii) बहुवचन-जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे-लड़के खेल रहे हैं। खिलौने टूट गए। ये पुस्तकें मेरी हैं।

इन वाक्यों में आए लड़के, खिलौने एवं पुस्तकें शब्द बहुवचन हैं।

बहुवचन बनाने के नियम-

(i) शब्दांत 'आ' को 'ए' में बदलकर-

कमरा-कमरे	लड़का-लड़के	बस्ता-बस्ते
बेटा-बेटे	पपीता-पपीते	रसगुल्ला-रसगुल्ले

(ii) शब्दांत 'अ' को 'ए' में बदलकर-

पुस्तक-पुस्तकें	दाल-दालें	राह-राहें
दीवार-दीवारें	सड़क-सड़कें	कलम-कलमें

(iii) शब्दांत में आए 'आ' के साथ 'एँ' जोड़कर-

बाला-बालाएँ	कविता-कविताएँ	कथा-कथाएँ
-------------	---------------	-----------

(iv) 'ई' वाले शब्दों के अंत में 'इयाँ' लगाकर-

देवी-देवियाँ	लड़की-लड़कियाँ	साड़ी-साड़ियाँ
नदी-नदियाँ	खिड़की-खिड़कियाँ	स्त्री-स्त्रियाँ

(v) स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए 'या' को 'याँ' में बदलकर-

चिड़िया-चिड़ियाँ	डिबिया-डिबियाँ	गुड़िया-गुड़ियाँ
------------------	----------------	------------------

(vi) स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए 'उ' 'ऊ' के साथ एँ लगाकर-

वधू-वधुएँ	वस्तु-वस्तुएँ	बहू-बहुएँ
-----------	---------------	-----------

(vii) 'इ' ई स्वरान्तवाले शब्दों के साथ 'यों' लगाकर तथा 'ई' की मात्रा को 'इ' में बदलकर-

जाति-जातियों	रोटी-रोटियों	अधिकारी-अधिकारियों
लाठी-लाठियों	नदी-नदियों	गाड़ी-गाड़ियों

(viii) एकवचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, मण्डल, परिषद् आदि लगाकर।

गुरु-गुरुजन	युवा-युवावर्ग	भक्त-भक्तजन
खेती-खेतिहर	मंत्री-मंत्रिमण्डल,	मंत्रिपरिषद्

कारक

'कारक' का अर्थ होता है 'करनेवाला', क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे 'कारक' कहते हैं।

विभक्ति- 'कारक' को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जानेवाला चिह्न विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परस्परा भी कहते हैं।

भेद-हिंदी में कारक के आठ भेद हैं-

(i) कर्ता कारक- क्रिया करने वाले को व्याकरण में 'कर्ता' कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिह्न 'ने' होता है। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में।

जैसे— राधा ने नृत्य किया। श्याम ने पत्र लिखा।

मीना ने गीत गाया। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता।

(ii) कर्म कारक—क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिह्न ‘को’ है। विभक्ति ‘को’ का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे—

- राधा ने नौकर को बुलाया।
- वह पत्र लिखता है।
- स्वाति कॉलेज जा रही है।
- मीना ने गीता को पुस्तक दी।
- आज्ञासूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे—
पुस्तक को मत फाड़ो। कुर्सी को मत तोड़ो।
- स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे—
उसको घ्यास लगी है।
राम को बुखार हो रहा है।

(iii) करण कारक—करण का शब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति ‘से’ व ‘के द्वारा’ है, जैसे—

- मैं कलम से लिखता हूँ। मैंने गिलास से पानी पीया।
 - सानिया बैट से खेलती है। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा।
- करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार हैं—
- क्रिया सम्पादित करने के क्रम में—
- प्रिया पेन्सिल से चित्र बनाती है।

के द्वारा / द्वारा

- मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई।
- उसे डाकिए के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ।

आज्ञाजनित वाक्य—

- ध्यान से अध्ययन करो।
- स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ।
- सीख—मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं।
- रीति से—भिखारी क्रम से बैठे हैं।
- गुण या स्थिति—राम हृदय से ही दयालु है।
- वह स्वभाव से ही कंजूस है।
- मूल्य—सेब किस भाव से दे रहे हो?

कमी दिखाने के लिए-बुखार से बहुत कमजोर हो गया।

— वह अक्ल से (अंधा / पैदल) है।

प्रार्थना / निवेदन-ईश्वर से सद्बुद्धि माँगें।

(iv) संप्रदान कारक—संप्रदान (सम् + प्रदान) का शाब्दिक अर्थ है—देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है।

संप्रदान कारक की विभक्ति ‘के लिए, को’ है। ‘के वास्ते, के निमित्त, के हेतु’ भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति ‘को’ का प्रयोग होता है, जैसे—
के लिए—

— सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया।

— लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया।

— मैरिट में आने के लिए मेहनत करो।

‘को’ — राजा ने गरीबों को कम्बल दिए।

— पुलिस ने चोर को दण्ड दिया।

(v) अपादान कारक—अपादान का अर्थ है—पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है।

अपादान कारक की विभक्ति ‘से’ है।

पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है, जैसे—

पृथकता —पेड़ से पता गिरा।

—मेरे हाथ से गेंद पिर गई।

—विजय शाला से घर आया।

—नदी पहाड़ से निकलती है।

पहचान के अर्थ—यह मारवाड़ से है।

दूरी—पोस्टऑफिस स्कूल से दूर है।

तुलना—विमला सीता से लम्बी है।

शिक्षा—शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है।

(vi) संबंध कारक—शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए, संबंध कारक कहलाता है।

संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने नी है। ऐसे इस प्रकार हैं—

जैसे —स्वामित्व—अजय की पुस्तक गुम हो गई।

- अपना पर्स सम्हाल कर रखो।
 —मेरा चश्मा बहुत कीमती है।
- रिश्ता** —विजय अजय का भाई है।
 —अमिताभ बच्चन कवि हरिवंशराय बच्चन के पुत्र हैं।
- अवस्था** —मेरी उम्र पचास वर्ष है।
 —यह युवक तीस वर्ष का है।
- कोटि/धातु-**
 —पाँच मिट्टी के घड़े लाओ।
 —मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है।
 —मेरी साड़ी सिल्क की है।
- प्रश्न** —पाँचवीं कक्षा के कितने छात्र हैं?
 —आपके कितनी संतान हैं?

(vii) अधिकरण कारक-वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं।

अधिकरण कारक की विभक्ति है—में एवं पर। ‘में’ का अर्थ है अंदर या भीतर तथा ‘पर’ का अर्थ है—ऊपर। जैसे—

- ‘में’ — इस मंदिर में कई मूर्तियाँ हैं।
 — उस कप में चाय है। मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस हैं।
 — टायर में हवा कम है। बगीचे में छायादार पेड़ हैं।
- कभी-कभी ‘में’ का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है, जैसे—
 — राम और श्याम में गहरी दोस्ती है।
 — भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है।
 — पी.टी. उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है।
- पर** — मेज पर पुस्तक रखी है।
 — पेड़ पर चिड़िया बैठी है।
- बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए—
 — कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है।
- निश्चित समय बताने के लिए—
 — परीक्षा समाप्ति की घण्टी तीन बजने पर लगेगी।
 — प्रति आधे घण्टे पर चेतावनी घण्टी लगानी है।
- महत्त्व बतलाने के लिए—
 — कदम-कदम पर पुलिस का पहरा है।

— बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं। हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए।

जल्दबाजी बतलाने के लिए—

— वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है।

(viii) संबोधन—वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है।

संबोधन कारक के विभक्ति चिह्न हैं—हे, ओ, अरे।

हे—भगवान्! कैसा जमाना आ गया है?

हे ईश्वर! मेरा पोता कहाँ गया?

अरे—अरे! ये क्या कर रहे हो?

अरे! गुरु जी, आप इधर कैसे?

अरे! बच्चों शोर मत करो।

ओ—ओ खिलौनेवाले! बतलाना कैसे खिलौने लाये हो।

ओ भाई! कहाँ भागे जा रहे हो?

कर्म संप्रदान कारक में अंतर—

(अ) कर्मकारक में ‘को’ का प्रभाव कर्म पर पड़ता है।

संप्रदान कारक में ‘को’ विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है।

(ब) कर्म कारक में ‘को’ विभक्ति का फल कर्म पर होता है पर संप्रदान कारक में ‘को’ विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है।

करण कारक व अपादान कारक में अंतर—

(अ) करण कारक में ‘से’ क्रिया का साधन है जबकि अपादान में ‘से’ अलग होने का भाव है।

(ब) करण कारक ‘से’ क्रिया का फल प्राप्त होता है जबकि अपादान कारक ‘से’ तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव है।

संज्ञाओं की कारक रचना

(अ) संस्कृत से भिन्न अकारान्त पुलिंग संज्ञा के वचन में अंतिम ‘आ’ कार को ‘ए’ कार में परिवर्तित कर देते हैं।

जैसे—घोड़ा, घोड़े ने, घोड़े को, घोड़े से

(ब) संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ‘ओं’ या ‘यों’ प्रत्यय जोड़ते हैं।


जैसे—गधे—गधों ने, गधों को, गधों से। डाली—डालियों ने, डालियों को, डालियों से।

(स) संबोधन कारक के बहुवचन के लिये शब्दांत में ‘ओ’ जोड़ते हैं।

जैसे—नर—नरो, लड़का—लड़को, छात्र—छात्रो।

काल

काल का अर्थ है 'समय'। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो, उसे 'काल' कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है। काल के तीन भेद हैं—



1. भूतकाल—भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलानेवाला रूप होता है।

भूतकाल के भेद

- | | |
|------------|--|
| सामान्य | — अविनाश ने गाना गाया। गाड़ी जा चुकी थी। |
| संदिग्ध | — खाना नीता ने ही बनाया होगा। |
| हेतुहेतुमद | — तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। |
| आसन्न | — नगर में एक साधु आए हैं। अविनाश ने गाना गाया है। |
| पूर्ण | — 1857 की क्रान्ति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। |
| अपूर्ण | — राकेश पुस्तक पढ़ता था। |

2. वर्तमान काल—क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है, की जानकारी देता है, जैसे—

- | | |
|----------|---------------------------|
| सामान्य | — प्रशान्त खेल रहा है। |
| | — लता गीत गा रही है। |
| सम्भाव्य | — मोहन परीक्षा देता होगा। |
| आज्ञार्थ | — तुम यह पाठ पढ़ो। |
| | — अब मैं चलूँ? |

3. भविष्यत् काल—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आनेवाले समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत् काल कहते हैं, जैसे—

- | | |
|---------|------------------------|
| सामान्य | — कृष्णा लेख लिखेगी। |
| | — अंकित पुस्तक पढ़ेगा। |
| | — लड़के खेलेंगे। |
| | — औरतें गीत गाएँगी। |

- | | |
|----------|----------------------------|
| सम्भाव्य | — वे शायद आगरा जाएँ। |
| | — कदाचित् आज सोमेन्द्र आए। |
| आज्ञार्थ | — आप वहाँ अवश्य जाइएगा। |
| | — अब तुमको जाना ही होगा। |

वाच्य

क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है—कर्ता की, कर्म की या भाव की। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अँगरेजी में वाच्य को ‘Voice’ कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं—

वाच्य

कर्तृ वाच्य	कर्म वाच्य	भाव वाच्य
-------------	------------	-----------

1. कर्तृ वाच्य—जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। अर्थात् क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा, जैसे—

- मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।
- विमला ने मेहँदी लगाई।
- तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की।

2. कर्मवाच्य—जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, उसे कर्म वाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे—

- दूध सीता के द्वारा पीया गया।
- पत्र सीता के द्वारा लिखा गया।
- मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई।
- चाय राम के द्वारा पी गई।

इन वाक्यों में ‘पीया’ और ‘लिखा’ क्रिया का एकवचन, पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात् कर्म के अनुसार आया है। इसी प्रकार ‘खा’ व ‘पी’ एकवचन पुल्लिंग क्रिया ‘मिठाई व चाय’ कर्म पर आधारित है।

3. भाववाच्य—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग, वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार बल्कि सदैव एकवचन, पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष मे होते हैं।

- मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता।
- सीता से मिठाई खाई नहीं जाती।
- लड़के खो-खो खेलकर थक गए।

अभ्यास प्रश्न

- प्र. 1. निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है-
- | | |
|--------------|-----------|
| (अ) हिंदी | (ब) दही |
| (स) पूर्णिमा | (द) चाँदी |
- []
- प्र. 2. कौनसा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है-
- | | |
|------------|------------|
| (अ) छात्रा | (ब) पृथ्वी |
| (स) वधु | (द) जीवन |
- []
- प्र. 3. 'नर' का स्त्रीलिंग शब्द है-
- | | |
|----------|------------|
| (अ) नारी | (ब) स्त्री |
| (स) औरत | (द) लड़की |
- []
- प्र. 4. वीर का स्त्रीलिंग शब्द है-
- | | |
|-----------|--------------|
| (अ) वीरान | (ब) वीरांगना |
| (स) वीरता | (द) साहसी |
- []
- प्र. 5. 'युवती' का पुल्लिंग शब्द है-
- | | |
|-----------|------------|
| (अ) लड़का | (ब) आदमी |
| (स) युवक | (द) मनुष्य |
- []
- प्र. 6. 'दासी' का पुल्लिंग शब्द है-
- | | |
|-----------|----------|
| (अ) सेवक | (ब) नौकर |
| (स) मजदूर | (द) दास |
- []
- प्र. 7. 'कवि' का स्त्रीलिंग शब्द है-
- | | |
|--------------|------------|
| (अ) कविता | (ब) गायिका |
| (स) कवियत्री | (द) काव्य |
- []
- प्र. 8. हिंदी में वचन के प्रकार हैं-
- | | |
|---------|--------|
| (अ) तीन | (ब) दो |
| (स) चार | (द) छह |
- []
- प्र. 9. कौनसे वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है-
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (अ) गाएँ घास खाती हैं। | (ब) गाओं घास खाती हैं। |
| (स) गायों घास खाती हैं। | (द) गाय घास खाती हैं। |
- []

- | | | | | |
|---------|---|------------------------|-------------------|-----|
| प्र.10. | 'पेड़ से पत्ता गिरता है।' वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है- | (अ) कर्ता कारक | (ब) करण कारक | [] |
| | | (स) अपादान कारक | (द) अधिकरण कारक | |
| प्र.11. | 'पंडितजी ने बड़े प्रेम से भोजन किया।' पंडितजी शब्द में कारक है- | (अ) करण कारक | (ब) अपादान कारक | [] |
| | | (स) अधिकरण कारक | (द) कर्ता कारक | |
| प्र.12. | राजा ने गरीबों को कंबल दिए। 'गरीबों को' में कारक है- | (अ) कर्म कारक | (ब) संबंध कारक | [] |
| | | (स) संप्रदानकारक | (द) अधिकरण कारक | |
| प्र.13. | वह बल्ले से खेल रहा है। 'बल्ले से' में कारक है- | (अ) अधिकरण कारक | (ब) कर्म कारक | [] |
| | | (स) करण कारक | (द) अपादान कारक | |
| प्र.14. | नाव नदी में डूब गई। कारक बताइए- | (अ) अधिकरण कारक | (ब) कर्ता कारक | [] |
| | | (स) संबंध कारक | (द) करण कारक | |
| प्र.15. | लड़के ने पुस्तक पढ़ी। कारक बताइए- | (अ) करण कारक | (ब) कर्ता कारक | [] |
| | | (स) अपादान कारक | (द) संबंध कारक | |
| प्र.16. | हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं- | (अ) दो | (ब) चार | [] |
| | | (स) तीन | (द) पाँच | |
| प्र.17. | हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं- | (अ) चार | (ब) तीन | [] |
| | | (स) दो | (द) छह | |
| प्र.18. | 'काल' का तात्पर्य है? | (अ) कल | (ब) मृत्यु | [] |
| | | (स) अवधि | (द) समय | |
| प्र.19. | 'वाच्य' से ज्ञात होता है- | (अ) क्रिया का उद्देश्य | (ब) क्रिया का रूप | [] |
| | | (स) क्रिया का काल | (द) उपर्युक्त सभी | |

- प्र.20. लिंग से आप क्या समझते हैं?
- प्र.21. हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं?
- प्र.22. स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग में अंतर सोदाहरण लिखिए।
- प्र.23. निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए-
- ऊँट, चूहा, विधुर, विद्वान, नेता, कर्ता, सप्त्राट, आयुष्मान, हमारा, साधु, पंडित, अभिनेता।
- प्र.24. लिंग के प्रकार बदलते हुए विस्तार से नियमों का उल्लेख कीजिए।
- प्र.25. विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है। रेखांकित शब्द का वचन बताइए।
- प्र.26. निम्नलिखित के बहुवचन लिखिए-
- भैस, रास्ता, नदी, पुस्तक, पक्षी, रात, कविता।
- प्र.27. वाक्यों को बहुवचन में बदलकर पुनः लिखिए-
- (1) लड़का नदी में तैर रहा है।
- (2) पेड़ से पत्ता गिर रहा है।
- प्र.28. वचन किसे कहते हैं?
- प्र.29. हिंदी में कितने वचन हैं? नाम लिखिए।
- प्र.30. एकवचन से बहुवचन मे बदलने के नियमों का उल्लेख कीजिए।
- प्र.31. निम्नांकित शब्दों में से एकवचन, बहुवचन शब्द पृथक-पृथक कर छांटिए-
- तारा, भेड़े, चिड़िया, बंदरों, फूलों, गुलाब, मकान, दीवार, नौकरों, बकरियाँ, मौसम, आया।
- प्र.32. रेखांकित शब्दों के कारक बताइए-
- (अ) मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ।
- (ब) वह तुम्हारा मित्र है।
- (स) पक्षी बृक्ष पर घोंसला बनाते हैं।
- (द) विजय बल्ले से खेल रहा है।
- (य) फर्श पर झाड़ू लगा दो।
- प्र.33. करण कारक एवं अपादान कारक में अंतर लिखिए।
- प्र.34. संप्रदान एवं संबंध कारक में अंतर बताइए।
- प्र.35. कारक किसे कहते हैं?
- प्र.36. कारक के कितने प्रकार हैं? नाम, परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए।
- प्र.37. भूतकाल के वाक्यों को भविष्य काल में बदलिए-
- (अ) वह कल मेरे घर आया था।
- (ब) उसने मुझे पुस्तक दी थी।

प्र.38. निम्नलिखित कर्तृवाच्य को कर्म वाच्य में बदलिए-

- (अ) मैंने पत्र लिखा।
- (ब) ममता खाना पका रही है।

प्र.39. निम्नलिखित भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलिए-

- (अ) उससे दौड़ा नहीं जाता।
- (ब) उससे खाया जाता है।

प्र.40. हिंदी भाषा में काल के प्रकारों के नाम एवं परिभाषा लिखिए।

प्र.41. हिंदी भाषा में वाच्य कितने प्रकार के हैं परिभाषा लिखिए।

प्र.42. कर्म वाच्य एवं भाव वाच्य में क्या अंतर है।

प्र.43. हिंदी भाषा के काल विभाजन की उदाहरण सहित एक तालिका बनाइए।

प्र.44. हिंदी भाषा के वाच्य के प्रकारों की उदाहरण सहित एक तालिका बनाइए।

अध्याय-४

संधि

संधि का शाब्दिक अर्थ है—योग अथवा मेल। अर्थात् दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं।

परिभाषा—जब दो वर्ण पास-पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है अर्थात् वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है।

कामताप्रसाद गुरु के अनुसार, ‘दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस-पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं।’

श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, ‘जब दो या अधिक वर्ण पास-पास आते हैं तो कभी-कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं।’

संधि-विच्छेद—वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणामस्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों/ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है, जैसे—


$$\begin{array}{ccccccccc} \text{दो शब्द} & & \text{वर्ण} & = & \text{मेल} & = & \text{संधियुक्त} \\ & & & & & & \text{शब्द} \\ \text{महा} & + & \text{ईश} & \text{आ} & + & \text{ई} & = & \text{महेश} \end{array}$$

यहाँ (आ + ई) दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ‘ए’ ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ।

संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा।

	संधि युक्त शब्द	संधि विच्छेद
जैसे—	महेश	महा + ईश
	मनोबल	मनः + बल
	गणेश	गण + ईश आदि।

संधि के तीन भेद हैं—



1. दीर्घ स्वर संधि

दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि 'अ' 'आ', 'इ', 'ई', 'उ', 'ऊ' के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आएँ तो दोनों मिलकर क्रमशः 'आ' 'ई' 'ऊ' हो जाते हैं; जैसे-

अ + अ = आ	अन्न + अभाव = अन्नाभाव
अ + आ = आ	भोजन + आलय = भोजनालय
आ + अ = आ	विद्या + अर्थी = विद्यार्थी
आ + आ = आ	महा + आत्मा = महात्मा
इ + इ = ई	गिरि + इंद्र = गिरिंद्र
ई + इ = ई	मही + इंद्र = महींद्र
इ + ई = ई	गिरि + ईश = गिरीश
ई + ई = ई	रजनी + ईश = रजनीश
उ + उ = ऊ	भानु + उदय = भानूदय
उ + ऊ = ऊ	वधू + उत्सव = वधूत्सव
ऊ + उ = ऊ	भू + ऊर्जा = भूर्जा
ऊ + ऊ = ऊ	

2. गुण संधि

यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'इ' या 'ई' 'उ' या 'ऊ', 'ऋ' आएँ तो दोनों मिलकर क्रमशः 'ए' 'ओ' और 'अर्' हो जाते हैं, जैसे-

अ + इ = ए	देव + इंद्र = देवेंद्र
अ + ई = ए	गण + ईश = गणेश
आ + इ = ए	यथा + इष्ट = यथेष्ट
आ + ई = ए	रमा + ईश = रमेश
अ + उ = ओ	वीर + उचित = वीरोचित
अ + ऊ = ओ	जल + ऊर्मि = जलोर्मि
आ + उ = ओ	महा + उत्सव = महोत्सव
आ + ऊ = ओ	गंगा + ऊर्मि = गंगोर्मि
अ + ऋ = अर्	कण्व + ऋषि = कण्वर्षि
आ + ऋ = अर्	महा + ऋषि = महर्षि

3. वृद्धि संधि

जब अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के मेल से 'ऐ' तथा यदि 'ओ' या 'औ' हो तो दोनों के स्थान पर 'औ' हो जाता है, जैसे-

अ + ए = ऐ	एक + एक = एकैक
अ + ऐ = ए	परम + ऐश्वर्य = परमैश्वर्य
आ + ए = ऐ	सदा + एव = सदैव
आ + ऐ = ऐ	महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य
अ + ओ = औ	परम + ओज = परमौज
आ + ओ = औ	महा + ओजस्वी = महौजस्वी
अ + औ = औ	वन + औषध = वनौषध
आ + औ = औ	महा + औषध = महौषध

4. यण संधि

यदि 'इ' या 'ई', 'उ' या 'ऊ' तथा 'ऋ' के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो 'इ' 'ई' का 'य्' 'उ' - 'ऊ' का 'व्' और 'ऋ' का 'र्' हो जाता है, साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य्, व्, र् में लग जाती है, जैसे-

इ + अ = य	अति + अधिक = अत्यधिक
इ + आ = या	इति + आदि = इत्यादि
ई + आ = या	नदी + आगम = नद्यागम
इ + उ = यु	अति + उत्तम = अत्युत्तम
इ + ऊ = यू	अति + ऊष्म = अत्यूष्म
इ + ए = ये	प्रति + एक = प्रत्येक
उ + अ = व	सु + अच्छ = स्वच्छ
उ + आ = वा	सु + आगत = स्वागत
उ + ए = वे	अनु + एषण = अन्येषण
उ + इ = वि	अनु + इति = अन्विति
ऋ + आ = रा	पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा

5. अयादि संधि

यदि 'ए' या 'ऐ' 'ओ' या 'औ' के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो 'ए' का 'अय्', 'ऐ' का 'आय्' हो जाता है तथा 'ओ' का 'अव्' और 'औ' का 'आव्' हो जाता है, जैसे-

ए + अ = अय	ने + अन = नयन
ऐ + अ = आय	नै + अक = नायक
ओ + अ = अव	पो + अन = पवन
औ + अ = आव	पौ + अक = पावक

(ब) व्यंजन संधि—व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलनेवाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इस विकार से होनेवाली संधि को ‘व्यंजन-संधि’ कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिये गए हैं—

1. यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात् ‘क्’ ‘च्’ ‘ट्’ ‘त्’ ‘प्’ के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो ‘क्’ ‘च्’ ‘ट्’ ‘त्’ ‘प्’ के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात् ‘ग्’, ‘ज्’, ‘इ्’, ‘द्’, ‘ब्’, हो जाता है; जैसे—

वाक्	+	ईश	=	वागीश
दिक्	+	गज	=	दिग्गज
वाक्	+	दान	=	वागदान
सत्	+	वाणी	=	सद्वाणी
अच्	+	अंत	=	अजंत
अप्	+	इंधन	=	अविंधन
तत्	+	रूप	=	तद्रूप
जगत्	+	आनंद	=	जगदानंद
शप्	+	द	=	शब्द

2. यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात् ‘क्’ ‘च्’ ‘ट्’ ‘त्’ ‘प्’ के बाद ‘न’ या ‘म’ आए तो ‘क्’ ‘च्’ ‘ट्’ ‘त्’ ‘प्’ अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात् ड्, ज्, ण्, न, म् में बदल जाते हैं, जैसे—

वाक्	+	मय	=	वाडमय
षट्	+	मास	=	षण्मास
जगत्	+	नाथ	=	जगन्नाथ
अप्	+	मय	=	अम्मय

3. यदि ‘म्’ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो ‘म’ जुड़नेवाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है, जैसे—

अहम्	+	कार	=	अहंकार
किम्	+	चित्	=	किंचित्
सम्	+	गम	=	संगम
सम्	+	तोष	=	संतोष

अपवाद- सम् + कृत = संस्कृत सम् + कृति = संस्कृति

4. यदि म् के बाद य, र, ल, व, श, ष, स, ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो ‘म’ के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा, जैसे—

सम्	+	योग	=	संयोग
सम्	+	रचना	=	संरचना
सम्	+	वाद	=	संवाद

सम्	+	हार	=	संहार
सम्	+	रक्षण	=	संरक्षण
सम्	+	लग्न	=	संलग्न
सम्	+	वत्	=	संवत्
सम्	+	सार	=	संसार

5. यदि त् या द् के बाद 'ल' रहे तो 'त्' या 'द्' ल् में बदल जाता है, जैसे-

उत्	+	लास	=	उल्लास
उद्	+	लेख	=	उल्लेख

6. यदि 'त्' या 'द्' के बाद 'ज' या 'झ' हो तो 'त्' या 'द्' 'ज्' में बदल जाता है, जैसे-

सत्	+	जन	=	सज्जन
उद्	+	झटिका	=	उज्जटिका

7. यदि 'त्' या 'द्' के बाद 'श' हो तो 'त्' या 'द्' का 'च्' और 'श्' का 'छ' हो जाता है, जैसे-

उद्	+	श्वास	=	उच्छ्वास
उद्	+	शिष्ट	=	उच्छिष्ट
सत्	+	शास्त्र	=	सच्चास्त्र

8. यदि 'त्' या 'द्' के बाद 'च' या 'छ' हो तो 'त्' या 'द्' का 'च्' हो जाता है, जैसे-

उद्	+	चारण	=	उच्चारण
सत्	+	चरित्र	=	सच्चरित्र

9. 'त्' या 'द्' के बाद यदि 'ह' हो तो त् / द् के स्थान पर 'द्' और 'ह' के स्थान पर 'ध'

हो जाता है जैसे-

तद्	+	हित	=	तद्धित
उद्	+	हार	=	उद्धार

[संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में 'उद्' का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है जबकि हिंदी में 'उत्' का भी प्रयोग होता है।]

10. जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण 'छ' हो तो 'छ' के स्थान पर 'च्छ' हो जाता है, जैसे-

अनु	+	छेद	=	अनुच्छेद
परि	+	छेद	=	परिच्छेद
आ	+	छादन	=	आच्छादन

11. यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में 'स' हो तो तो स के स्थान पर ष हो जाता है, जैसे-

अभि	+	सेक	=	अभिषेक
वि	+	सम	=	विषम
नि	+	सिद्ध	=	निषिद्ध
सु	+	सुप्ति	=	सुषुप्ति

12. ऋ, र, ष के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा य, व, ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला 'न', 'ण' हो जाता है, जैसे-

भ्र्	+	अन	=	भरण
भूष्	+	अन	=	भूषण
राम	+	अयन	=	रामायण
प्र	+	मान	=	प्रमाण

(स) विसर्ग संधि-

विसर्ग (:) के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है, उसे 'विसर्ग संधि' कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं-

यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आनेवाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है।

(i) यदि विसर्ग के पूर्व 'अ' हो और बाद में 'अ' हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। जैसे-

मनः	+	अविराम	=	मनोविराम
यशः	+	अभिलाषा	=	यशोभिलाषा
मनः	+	अनुकूल	=	मनोनुकूल

(ii) यदि विसर्ग के पहले 'अ' हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर 'अ' हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। 'अ' के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे-

अतः	+	एव	=	अतएव
यशः	+	इच्छा	=	यशइच्छा

(iii) यदि विसर्ग के पहले 'अ' हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग 'ओ' में बदल जाता है। जैसे-

तपः	+	वन	=	तपोवन
अधः	+	गामी	=	अधोगामी

- | | | | | |
|-------|---|---------|---|------------|
| वयः | + | वृद्ध | = | वयोवृद्ध |
| अंततः | + | गत्वा | = | अंततोगत्वा |
| मनः | + | विज्ञान | = | मनोविज्ञान |
- (iv) यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ण का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या 'य' 'र' 'ल' 'व' 'ह' हो तो विसर्ग के स्थान में 'र्' हो जाता है, जैसे-
- | | | | | |
|---------|---|------|---|------------|
| आयुः | + | वेद | = | आयुर्वेद |
| ज्योतिः | + | मय | = | ज्योतिर्मय |
| चतुः | + | दिशि | = | चतुर्दिशि |
| आशीः | + | वचन | = | आशीर्वचन |
| धनुः | + | धारी | = | धनुर्धारी |
- (v) यदि विसर्ग के बाद 'च' या तालव्य 'श' आता है तो विसर्ग 'श्' हो जाता है, जैसे-
- | | | | | |
|------|---|-------|---|-----------|
| पुनः | + | च | = | पुनश्च |
| तपः | + | चर्या | = | तपश्चर्या |
| यशः | + | शरीर | = | यशश्शरीर |
- (vi) यदि विसर्ग के पहले 'अ' या 'आ' हो तथा बाद में 'त' या दंत्य 'स' आता है तो विसर्ग 'स्' हो जाता है, जैसे-
- | | | | | |
|------|---|-----|---|---------|
| पुरः | + | सर | = | पुरस्सर |
| नमः | + | ते | = | नमस्ते |
| मनः | + | ताप | = | मनस्ताप |
- (vii) यदि विसर्ग के पहले 'इ' या 'उ' स्वर हो और उसके बाद 'क' 'ख' 'प' 'फ' वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य 'ष्' हो जाता है, जैसे-
- | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|
| आविः | + | कार | = | आविष्कार |
| चतुः | + | पाद | = | चतुष्पाद |
| चतुः | + | पथ | = | चतुष्पथ |
| बहिः | + | कार | = | बहिष्कार |
- [संस्कृत में दुः, निः उपसर्ग नहीं होते इसलिए इनके साथ संधि या संधि-विच्छेद भी अशुद्ध हैं।]

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. संधि कहते हैं-

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| (अ) दो वर्णों के मेल को | (ब) दो शब्दों के मेल को |
| (स) शब्दों के अर्थ परिवर्तन को | (द) उपर्युक्त सभी को |
- []

प्र. 2. संधि कितने प्रकार की होती हैं-

- | | |
|----------|---------|
| (अ) चार | (ब) दो |
| (स) पाँच | (द) तीन |
- []

प्र. 3. निम्नांकित में से किसमें स्वर संधि नहीं हैं-

- | | |
|------------|-------------|
| (अ) गिरीश | (ब) परोपकार |
| (स) मतैक्य | (द) संतोष |
- []

प्र. 4. 'यशोगान' शब्द का संधि-विच्छेद होगा-

- | | |
|---------------|----------------|
| (अ) यशो + गान | (ब) यशः + गान |
| (स) यश + गान | (द) यशः + गानः |
- []

उत्तर- 1. (अ) 2. (द) 3. (द) 4. (ब)

प्र. 5. निम्नलिखित संधि-विच्छेदों की संधि का सही विकल्प छाटिए-

1. शब्द + अर्थ-

- | | |
|--------------|---------------|
| (अ) शब्दर्थ | (ब) शब्दार्थ |
| (स) शब्दअर्थ | (द) शब्दाअर्थ |
- []

2. गज + इन्द्र-

- | | |
|-------------|--------------|
| (अ) गजेंद्र | (ब) गजींद्र |
| (स) गजिंद्र | (द) गजइन्द्र |
- []

3. प्रति + उत्तर-

- | | |
|-----------------|----------------|
| (अ) प्रत्यूत्तर | (ब) प्रतिउत्तर |
| (स) प्रत्युत्तर | (द) परत्योत्तर |
- []

4. सु + आगत-

- | | |
|------------|-----------|
| (अ) सूआगत | (ब) सुआगत |
| (स) स्वागत | (द) स्वगत |
- []

5. कवि + इच्छा-

- | | |
|----------------|-------------|
| (अ) कवीच्छा | (ब) कवेच्छा |
| (स) काव्येच्छा | (द) कविच्छा |

[]

उत्तर-1. (ब) 2. (अ) 3. (स) 4. (स) 5. (अ)

प्र. 6. दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए-

1. अन्यार्थ-

- | | |
|----------------|----------------|
| (अ) गुण संधि | (ब) यण् संधि |
| (स) दीर्घ संधि | (द) अयादि संधि |

[]

2. परोपकार-

- | | |
|----------------|-----------------|
| (अ) गुण संधि | (ब) वृद्धि संधि |
| (स) अयादि संधि | (द) यण् संधि |

[]

3. नाविक-

- | | |
|-----------------|--------------|
| (अ) वृद्धि संधि | (ब) गुण संधि |
| (स) अयादि संधि | (द) यण् संधि |

[]

4. अन्वीक्षण-

- | | |
|----------------|-----------------|
| (अ) यण् संधि | (ब) अयादि संधि |
| (स) दीर्घ संधि | (द) वृद्धि संधि |

[]

5. महैशवर्य-

- | | |
|--------------|-----------------|
| (अ) गुण संधि | (ब) वृद्धि संधि |
| (स) यण् संधि | (द) दीर्घ संधि |

[]

उत्तर-1. (स) 2. (अ) 3. (स) 4. (अ) 5. (ब)

प्र. 7. निम्नलिखित शब्दों का सही संधि-विच्छेद बताइए-

1. परमौषधि-

- | | |
|-----------------|----------------|
| (अ) परमो + औषधि | (ब) परम + उषधि |
| (स) परम + औषधि | (द) परमौ + षधि |

[]

2. गायक-

(अ) गा + यक
 (स) गे + अक

(ब) गाय + क
 (द) गै + अक

[]

3. यशोगान-

(अ) यशो + गान
 (स) यशः + गान

(ब) यश + गान
 (द) यशः + गानः

[]

4. स्वागत-

(अ) स्व + आगत
 (स) स्वा + गत

(ब) सु + आगत
 (द) स्वा + आगत

[]

5. सदैव-

(अ) सद् + एव
 (स) सदा + एव

(ब) सद + ऐव
 (द) सदु + ऐव

[]

6. अन्वेषण-

(अ) अनु + एषण
 (स) अन्व + एषण

(ब) अनुः + ऐषण
 (द) अन्वे + एषण

[]

7. प्रत्येक-

(अ) प्रत्य + एक
 (स) प्रत्ये + ऐक

(ब) प्रति + ऐक
 (द) प्रति + एक

[]

8. संहार-

(अ) सम् + हार
 (स) संहा + र

(ब) स + हार
 (द) सेम + हर

[]

9. उद्धार-

(अ) उत + धार
 (स) उद + धार

(ब) उद् + हार
 (द) उधा + अर

[]

10. मनोभाव-

(अ) मनो + अभाव
 (स) मनः + भाव

(ब) मनो + भाव
 (द) मन + अभाव

[]

उत्तर- 1. (स) 2. (द) 3. (स) 4. (ब) 5. (स) 6. (अ) 7. (द) 8. (अ) 9. (ब)
10. (स)

प्र. 8. निमांकित शब्दों की संधि करते हुए उनके प्रकार बताइए-

महेश्वर, जगन्नाथ, महर्षि, गायक, स्वागत, सदाचार, निश्चिन्ता, परीक्षा, गजेंद्र, सर्वोत्तम, अत्यावश्यक, धावक आदि।

प्र.9. स्वर संधि के प्रकारों के नाम लिखिए।

प्र.10. व्यंजन संधि के कोई दो भेद बताइए।

प्र.11. विसर्ग संधि का सोदाहरण वर्णन कीजिए।

प्र.12. संधि एवं संयोग में क्या अंतर है?

प्र.13. निमांकित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए-

शब्द	संधि विच्छेद	संधि का नाम
(i) आशीर्वाद	_____	_____
(ii) अधोगति	_____	_____
(iii) दुर्दिन	_____	_____
(iv) दुष्कर	_____	_____
(v) नदीश	_____	_____
(vi) तल्लीन	_____	_____
(vii) कल्पांत	_____	_____
(viii) नाविक	_____	_____
(ix) निष्ठाण	_____	_____
(x) पित्रादेश	_____	_____
(xi) मनोहर	_____	_____
(xii) शिरोमणि	_____	_____
(xiii) नारायण	_____	_____
(xiv) निरंतर	_____	_____
(xv) सर्वोत्तम	_____	_____
(xvi) अभ्युदय	_____	_____
(xvii) देवर्षि	_____	_____
(xviii) उल्लंघन	_____	_____
(xix) उच्चारण	_____	_____
(xx) तथापि	_____	_____

(xxi)	ईश्वरेच्छा	_____	_____
(xxii)	इत्यादि	_____	_____
(xxiii)	उन्नायक	_____	_____
(xxiv)	अहंकार	_____	_____
(xxv)	संयोग	_____	_____
(xxvi)	संसार	_____	_____
(xxvii)	उच्छ्रवास	_____	_____
(xxviii)	अत्युत्तम	_____	_____

अध्याय-९

समास

समास शब्द का अर्थ—संक्षिप्त या छोटा करना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिह्नों का लोप हो जाता है।

भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है।

समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है।

जैसे— दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर ‘दिन-रात’ एक समस्त शब्द किया जा सकता है।

इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिह्नों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं।

सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिह्नों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को ‘विग्रह’ कहते हैं।

जैसे— ‘धनसंपन्न’ समस्त पद का विग्रह ‘धन से संपन्न’, ‘रसोईघर’ समस्त पद का विग्रह ‘रसोई के लिए घर’

समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं—पूर्वपद व उत्तरपद।

पहलेवाले पद को ‘पूर्वपद’ व दूसरे पद को ‘उत्तरपद’ कहते हैं।

समस्त पद	पूर्वपद	उत्तरपद	समास विग्रह
पूजाघर	पूजा	घर	पूजा के लिए घर
माता-पिता	माता	पिता	माता और पिता
नवरत्न	नव	रत्न	नौ रत्नों का समूह
हस्तगत	हस्त	गत	हस्त में गया हुआ

समास के भेद

मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है, उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं।

जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं; जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, उसे तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व कहलाता

है और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता उसे बहुत्रीहि समास कहते हैं।

तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं—कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का निम्न छह प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे—

1. अव्ययीभाव समास

इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस अव्यय पद का रूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता वह सदैव एकसा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे—

समस्त पद	विग्रह
यथाशक्ति	शक्ति अनुसार
यथासमय	समय के अनुसार
प्रतिक्षण	हर क्षण
यथासंभव	जैसा संभव हो
आजीवन	जीवन भर
भरपेट	पेट भरकर
आजन्म	जन्म से लेकर
आमरण	मरण तक
प्रतिदिन	हर दिन
बेखबर	बिना खबर के

अपवाद—हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अव्ययीभाव समास माना जाता है, जैसे—

घर-घर	घर के बाद घर
रातों-रात	रात ही रात में

2. तत्पुरुष समास

इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिह्नों का लोप हो जाता है (कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर) इसलिए छह कारकों के आधार पर इस समास के भी छः भेद किए गए हैं।

(क) कर्म तत्पुरुष समास ('को' विभक्ति चिह्नों का लोप)

समस्त पद	समास विग्रह
ग्रामगत	ग्राम को गया हुआ
पदप्राप्त	पद को प्राप्त
सर्वप्रिय	सर्व को प्रिय
यशप्राप्त	यश को प्राप्त

शरणागत	शरण को आया हुआ
सर्वप्रिय	सभी को प्रिय
(ख) करण तत्पुरुष समास ('से' चिह्न का लोप होता है)	
भावपूर्ण	भाव से पूर्ण
बाणाहत	बाण से आहत
हस्तलिखित	हस्त से लिखित
बाढ़पीड़ित	बाढ़ से पीड़ित
(ग) संप्रदान तत्पुरुष समास ('के लिए' चिह्न का लोप)	
गुरुदक्षिणा	गुरु के लिए दक्षिणा
राहखर्च	राह के लिए खर्च
बालामृत	बालकों के लिए अमृत
युद्धभूमि	युद्ध के लिए भूमि
विद्यालय	विद्या के लिए आलय
(घ) अपादान तत्पुरुष समास ('से' पृथक या अलग के लिए चिह्न का लोप)	
देशनिकाला	देश से निकाला
बंधनमुक्त	बंधन से मुक्त
पथभ्रष्ट	पथ से भ्रष्ट
ऋणमुक्त	ऋण से मुक्त
(ङ) संबंध तत्पुरुष कारक ('का', 'के', 'की' चिह्नों का लोप)	
गंगाजल	गंगा का जल
नगरसेठ	नगर का सेठ
राजमाता	राजा की माता
जलधारा	जल की धारा
मतदाता	मत का दाता
(च) अधिकरण तत्पुरुष समास ('में', 'पर' चिह्नों का लोप)	
जलमग्न	जल में मग्न
आपबीती	आप पर बीती
सिरदर्द	सिर में दर्द
घुड़सवार	घोड़े पर सवार

3. कर्मधारय समास

इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान-उपमेय का संबंध होता है, जैसे-

**समस्त पद
विशेषण विशेष्य**

महापुरुष
पीतांबर
प्राणप्रिय
उपमेय-उपमान
चंद्रवदन
कमलनयन
विद्याधन
भवसागर
मृगनयनी

विग्रह

महान है जो पुरुष
पीला है जो अंबर
प्रिय है जो प्राणों को
विग्रह
चंद्रमा के समान वदन (मुँह)
कमल के समान नयन
विद्या रूपी धन
भव रूपी सागर
मृग के समान नेत्रवाली

4. द्विगु समास

इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात् गणना-बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है, जैसे-

समस्त पद

नवरत्न
सप्ताह
त्रिमूर्ति
नवरत्न
शताब्दी
त्रिभुज
पंचरात्र
अपवाद- कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे-
पक्षद्वय
लेखकद्वय
संकलनत्रय

विग्रह

नौ रत्नों का समूह
सात अहतों का समूह
तीन मूर्तियों का समूह
नव (नौ) रत्नों का समूह
सौ अब्दों (वर्षों) का समूह
तीन भुजाओं का समूह
पंच (पाँच) रात्रियों का समाहार
दो पक्षों का समूह
दो लेखकों का समूह
तीन संकलनों का समूह

5. द्वन्द्व समास

इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक-चिह्न द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास-विग्रह करने पर ‘और’, ‘या’ ‘अथवा’ तथा ‘एवं’ आदि लगते हैं, जैसे-

समस्त पद

रात-दिन
सीता-राम
दाल-रोटी

समास विग्रह

रात और दिन
सीता और राम
दाल और रोटी

माता-पिता
आयात-निर्यात
हानि-लाभ
आना-जाना

माता और पिता
आयात और निर्यात
हानि या लाभ
आना और जाना

6. बहुब्रीहि समास

जिस समास में पूर्वपद व उत्तरपद दोनों ही गौण हों और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है, जैसे-लंबोदर अर्थात् लंबा है उदर (पेट) जिसका / दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ 'गणेश' प्रधान है।

समस्त पद	समास विग्रह
घनश्याम	घन जैसा श्याम अर्थात् कृष्ण
नीलकंठ	नीला कंठ है जिसका अर्थात् शिव
दशानन	दस आनन हैं जिसके अर्थात् रावण
गजानन	गज के समान आनन वाला अर्थात् गणेश
त्रिलोचन	तीन हैं लोचन जिसके अर्थात् शिव
हंसवाहिनी	हंस है वाहन जिसका अर्थात् सरस्वती
महावीर	महान है जो वीर अर्थात् हनुमान
दिगंबर	दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात् शिव
चतुर्भुज	चार भुजाएँ हैं जिसके अर्थात् विष्णु

प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएँ समान पाई जाती हैं लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होनेवाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में दो अलग-अलग समासों की विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं।

कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर

कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण-विशेष्य तथा उपमान-उपमेय का संबंध होता है लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर 'अन्यार्थ' प्रधान होता है।

जैसे-मृगनयन-मृग के समान नयन (कर्मधारय) तथा नीलकंठ = वह जिसका कंठ नीला है-शिव अर्थात् 'शिव' अन्यार्थ लिया गया है (बहुब्रीहि समास)

बहुब्रीहि व द्विगु समास में अंतर

द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है।

जैसे-चौराहा अर्थात् चार राहों का समूह (द्विगु समास)

चतुर्भुज-चार हैं भुजाएँ जिसके (विष्णु) अन्यार्थ (बहुब्रीहि समास)

संधि और समास में अंतर

संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है, जैसे-'लंबोदर' में 'लंबा' शब्द की अंतिम ध्वनि 'आ' और 'उदर'

शब्द की आरंभिक ध्वनि 'उ' में 'आ' व 'उ' के मेल से 'ओ' ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है किंतु समास में 'लंबोदर' का अर्थ 'लंबा है उदर जिसका' शब्द समूह बनता है। अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है।

अज्ञास प्रश्न

- प्र. 1. समास में किसका मेल होता है-
- | | |
|-----------|-----------|
| (अ) ध्वनि | (ब) वर्ण |
| (स) शब्द | (द) वाक्य |
- []
- प्र. 2. जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं-
- | | |
|---------------|---------------|
| (अ) अव्ययीभाव | (ब) तत्पुरुष |
| (स) द्वन्द्व | (द) बहुब्रीहि |
- []
- प्र. 3. 'कारक' के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं-
- | | |
|---------------|--------------|
| (अ) द्विगु | (ब) द्वन्द्व |
| (स) कर्मधार्य | (द) तत्पुरुष |
- []
- प्र. 4. 'समस्त-पद' का किया जाता है-
- | | |
|-------------|------------|
| (अ) विच्छेद | (ब) विग्रह |
| (स) विलोप | (द) विचलन |
- []
- प्र. 5. निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास बताइए-

शब्द **विग्रह** **समास**

यथाशक्ति

दशानन

भला-बुरा

नवरत्न

नीलकमल

आमरण

चंद्रमौलि

प्र. 6. समास शब्द की परिभाषा लिखिए।

प्र. 7. समास के प्रकार व उनके नाम उदाहरण सहित लिखिए।

प्र. 8. समास विग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

प्र. 9. संधि और समास का अंतर बताइये।

प्र. 10. बहुब्रीहि और कर्मधार्य में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए।

अध्याय-10

उपसर्ग, प्रत्यय (कृदन्त, तद्धित)

भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं, चूंकि ये एक स्वतन्त्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते इसलिए इन्हें 'उपसर्ग' कहा जाता है।

उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं।

उपसर्ग शब्द उप + सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना।

जैसे—उप + हार = उपहार

उपसर्ग के भेद

हिंदी भाषा में मुख्यतः तीन प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं—

उपसर्ग

संस्कृत के उपसर्ग हिन्दी के उपसर्ग उर्दू/विदेशी भाषा के उपसर्ग

(1) **संस्कृत के उपसर्ग**—संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं।

जैसे—अति, अधि, अनु, अप आदि

क्र.सं.	उपसर्ग	अर्थ	शब्द
1.	अति	ऊपर/अधिक/परे	अतिप्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतींद्रिय, अतिसार
2.	अधि	अंतर्गत/प्रधान	अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता
3.	अनु	सादृश्य/पीछे	अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज
4.	अप	निरादर/दीनता	अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति
5.	अपि	निश्चय/भी	अपितु, अपिधान, अपिहित (ढका हुआ)
6.	अभि	पास/सामने	अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान

7.	अव	अनादर/हीनता	अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन
8.	आ	पूर्ण/विपरीत/सीमा	आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन, आभार
9.	उद्	उच्चता/ऊपर/श्रेष्ठ	उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्भार, उत्थान, उत्तम
10.	उप	समीपता/सहायता/गौण	उपहार, उपवास, उपर्देश
11.	दुर/दुस्	निंदा/कठिनाइ/बुरा	दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुश्चरित्र
12.	नि	निषेध/अधिकता	निवारण, निषेध, निलय
13.	निर्/निस्	निषेध/रहित/बिना	निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज
14.	प्र	अधिक/आगे/ऊपर	प्रहार, प्रबल, प्रयोग
15.	प्रति	समानता/प्रत्येक	प्रतिवर्ष/प्रतिवाद/प्रतिध्वनि
16.	परा	विपरीत/उल्ला/पीछे	पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा
17.	परि	चारों ओर	परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण
18.	सम्	पूर्णता/सुंदर	संयोग, सम्मान, संसार
19.	सु	शुभ/अच्छा/सहज	सुयोग, सुलभ, सुगम
20.	वि	विशेष/अभाव	विदेश, विहीन, विभाग
21.	स्व	अपना/निजी	स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ

संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद् उपसर्ग ही है जबकि हिन्दी में उत् का भी प्रयोग होता है।

(2) हिन्दी के उपसर्ग—हिन्दी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके (तद्भव) उपसर्गों का निर्माण किया गया है।

क्र.सं.	उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
1.	अ	नहीं	अकाज, अचेत, अटल
2.	उ	ऊँचा	उछालना, उतारना, उजड़ना
3.	औ	बुरा/नीचे	औंगुण, औघट, औसर
4.	अन	बिना	अनपढ़, अनदेखा, अनमोल
5.	अध	आधा	अधमरा, अधखिला, अधपका
6.	अधः	नीचे	अधोगति, अधोमुख, अधोगत
7.	उन	एक कम	उनसठ, उनचास, उनासी
8.	क/कु	बुरा/कठिन	कपूत, कुढ़ंग, कुचाल
9.	नि	विपरीत	निडर, निशान, निपट
10.	स/सु	अच्छा	सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकान्त
11.	भर	भरा हुआ/पूरा	भरपूर, भरसक, भरमार
12.	चौ	चार	चौमासा, चौराहा, चौखट

13.	ति	तीन	तिरंगा, तिपाही, तिमाही
14.	दु	दो	दुनाली, दुरंगा, दुमुँहा
15.	पर	दूसरा	परहित, परसुख, परकाज
16.	बिन	निषेध/अभाव	बिनदेखा, बिनखाया, बिनब्याहा
17.	चिर्	सदैव	चिरकाल, चिरजीवी, चिरपरिचित
18.	बहु	ज्यादा/अधिक	बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन
19.	सह	साथ	सहचर, सहगामी, सहयोग
20.	स्व	अपना	स्वदेश, स्वराज, स्वभाव

(३) उर्दू (विदेशी) उपसर्ग—भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएँ प्रचलित रही हैं अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अँगरेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं।

क्र.सं.	उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
1.	अल	निश्चित	अलविदा, अलबेला, अलमस्त
2.	ना	रहित	नालायक, नापसंद, नापाक
3.	ऐन	ठीक	ऐनवक्त, ऐनइनायत, ऐनमौका
4.	ला	बिना	लाचार, लाजवाब, लापता
5.	बद	रहित/बुरा	बदनाम, बदजात, बदतमीज
6.	बा	अनुसार/साथ	बाकायदा, बाअदब, बाइजत
7.	गैर	रहित/भिन्न	गैरहाजिर, गैरकानूनी, गैरमुल्क
8.	खुश	अच्छा	खुशमिजाज, खुशकिस्मत, खुशखबरी
9.	कम	थोड़ा	कमजोर, कमसिन, कमअक्ल
10.	हम	साथ	हमदम, हमसफर, हमराह
11.	बिला	बिना	बिलावजह, बिलाशक, बिलाकसूर
12.	बे	अभाव	बेचारा, बेहद, बेचैन
13.	दर	में	दरअसल, दरकार, दरवेश
14.	हर	प्रत्येक	हरघड़ी, हरवर्ष, हररोज
15.	ब	साथ/पर	बदस्तूर, बतौर, बशर्त
16.	सर	मुख्य/प्रधान	सरकार, सरदार, सरताज
17.	नेक	भला	नेकदिल, नेकनीयत, नेकनाम
18.	हैड	प्रमुख	हैडमास्टर, हैडबॉय, हैड गर्ल
19.	सब	उप	सब इंस्पेक्टर, सबडिवीजन, सबकमेटी

20. हाफ आधा हाफपेट, हाफटिकट, हाफ शर्ट
 21. जनरल प्रधान जनरल मैनेजर, जनरल सैकैट्री

उपसर्ग और प्रत्यय में समानता

उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है।

जैसे—


उपसर्ग	मूलशब्द	प्रत्यय	नया शब्द
अभि	मान	ई	अभिमानी
अ	ज्ञान	ई	अज्ञानी
स्व	तंत्र	ता	स्वतन्त्रता

प्रत्यय

जो शब्दांश किसी मूलधातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

जैसे—	खेल + आड़ी	= खिलाड़ी
	मेल + आवट	= मिलावट
	पढ़ + आकू	= पढ़ाकू
	झूल + आ	= झूला

हिंदी में प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं—



(1) संस्कृत प्रत्यय—

- | | | |
|---------|---|--------------------------------------|
| 1. इत | - | हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित |
| 2. इक | - | मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक |
| 3. ईय | - | भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय |
| 4. एय | - | आग्नेय, पाथेय, राधेय, कौतेय |
| 5. तम | - | अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम |
| 6. वान् | - | धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान |

- | | | | |
|-----|------|---|---|
| 7. | मान | - | श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान |
| 8. | त्व | - | गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व |
| 9. | शाली | - | वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली |
| 10. | तर | - | श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर |

(2) हिंदी प्रत्यय-(1) कृत् प्रत्यय (2) तद्दित् प्रत्यय

कृत् प्रत्यय-वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत् प्रत्यय कहते हैं। कृत् प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है।

संज्ञा की रचना करने वाले कृत् प्रत्यय-

- | | | | |
|----|-----|---|-----------------------------|
| 1. | न | - | बेलन, बंधन, नंदन, चंदन |
| 2. | ई | - | बोली, सोची, सुनी, हँसी |
| 3. | आ | - | झूला, भूला, खेला, मेला |
| 4. | अन | - | मोहन, रटन, पठन |
| 5. | आहट | - | बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट |

विशेषण की रचना करने वाले कृत् प्रत्यय-

- | | | | |
|----|------|---|--------------------------|
| 1. | आड़ी | - | खिलाड़ी, कबाड़ी |
| 2. | एरा | - | लुटेरा, बसेरा |
| 3. | आऊ | - | बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ |
| 4. | ऊ | - | झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊ |

कृत् प्रत्यय के भेद-

1. कृत् वाचक
2. कर्म वाचक
3. करण वाचक
4. भाव वाचक
5. क्रिया वाचक

(1) कृत् वाचक-कर्ता का बोध करानेवाले प्रत्यय कृत् वाचक प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे— हार - पालनहार, चाखनहार, राखनहार
वाला - रखवाला, लिखनेवाला, पढ़नेवाला

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| क | - | रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक |
| अक | - | लेखक, गायक, पाठक, नायक |
| ता | - | दाता, सुंदरता |

(2) कर्म वाचक कृत् प्रत्यय—कर्म का बोध करनेवाले कृत् प्रत्यय कर्म वाचक कृत् प्रत्यय कहलाते हैं।

1. औना - खिलौना, बिछौना
2. नी - ओढ़नी, मथनी, छलनी
3. ना - पढ़ना, लिखना, गाना

(3) करण वाचक कृत् प्रत्यय—साधन का बोध करनेवाले कृत् प्रत्यय करण वाचक कृत् प्रत्यय कहलाते हैं।

1. अन - पालन, सोहन, झाड़न
2. नी - चटनी, कतरनी, सूँघनी
3. ऊ - झाड़, चालू
4. ई - खाँसी, धाँसी, फाँसी

(4) भाव वाचक कृत् प्रत्यय—क्रिया के भाव का बोध करनेवाले प्रत्यय भाववाचक कृत् प्रत्यय कहलाते हैं।

1. आप - मिलाप, विलाप
2. आवट - सजावट, मिलावट, लिखावट
3. आव - बनाव, खिंचाव, तनाव
4. आई - लिम्बाई, खिंचाई, चढ़ाई

(5) क्रियावाचक कृत् प्रत्यय—क्रिया शब्दों का बोध करनेवाले कृत् प्रत्यय क्रिया वाचक कृत् प्रत्यय कहलाते हैं।

1. या - आया, बोया, खाया
2. कर - गाकर, देखकर, सुनकर
3. आ - सूखा, भूला
4. ता - खाता, पीता, लिखता

तद्धित प्रत्यय

क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे—	मानव + ता	= मानवता
	जादू + गर	= जादूगर
	बाल + पन	= बालपन
	लिख + आई	= लिखाई

तद्वित प्रत्यय के भेद—

1. कर्तृवाचक प्रत्यय
2. भाववाचक प्रत्यय
3. संबंध वाचक प्रत्यय
4. गुणवाचक प्रत्यय
5. स्थानवाचक प्रत्यय
6. ऊनतावाचक प्रत्यय
7. स्त्रीवाचक प्रत्यय

(1) कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय—कर्ता का बोध करानेवाले तद्वित प्रत्यय कर्तृवाचक तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे—	आर	—	सुनार, लुहार, कुम्हार
	ई	—	माली, तेली
	वाला	—	गाड़ीवाला, टोपीवाला, इमलीवाला

(2) भाववाचक तद्वित प्रत्यय—भाव का बोध करानेवाले तद्वित प्रत्यय भाववाचक तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे—	आहट	—	कडवाहट
	ता	—	सुंदरता, मानवता, दुर्बलता
	आपा	—	मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा
	ई	—	गर्मी, सर्दी, गरीबी

(3) संबंध वाचक तद्वित प्रत्यय—संबंध का बोध करानेवाले तद्वित प्रत्यय संबंध वाचक तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे—	इक	—	शारीरिक, सामाजिक, मानसिक
	आलु	—	कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु
	ईला	—	रंगीला, चमकीला, भड़कीला
	तर	—	कठिनतर, समानतर, उच्चतर

(4) गुणवाचक तद्धित प्रत्यय—गुण का बोध करानेवाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे—	वान	—	गुणवान, धनवान, बलवान
	ईय	—	भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय
	आ	—	सूखा, रुखा, भूखा
	ई	—	क्रोधी, रोगी, भोगी

(5) स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय—स्थान का बोध करानेवाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे—	वाला	—	शहरवाला, गाँववाला, कस्बेवाला
	इया	—	उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबइया
	ई	—	रूसी, चीनी, राजस्थानी

(6) ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय—लघुता का बोध कारने वाले तद्धित प्रत्यय ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे—	इया	—	लुटिया, घटिया
	ई	—	प्याली, नाली, बाली
	ड़ी	—	पंखुड़ी, आँतड़ी
	ओला	—	खटोला, सँपोला, मँझोला

(7) स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय—स्त्रीलिंग का बोध करानेवाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।

जैसे—	आइन	—	पंडिताइन, ठकुराइन
	इन	—	मालिन, कुम्हारिन, जोगिन
	नी	—	मोरनी, शेरनी
	आनी	—	सेठानी, देवरानी, जेठानी
	इनी	—	कमलिनी, नंदिनी

उर्दू के प्रत्यय

उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लम्बे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं।

जैसे—	गी	—	ताजगी, बानगी, सादगी
-------	----	---	---------------------

गर	-	कारीगर, बाजीगर, सौदागर
ची	-	नकलची, तोपची, अफ़ीमची
दार	-	हवलदार, जर्मांदार, किरायेदार
खोर	-	आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर
गार	-	खिदमतगार, मददगार, गुनहगार
नामा	-	बाबरनामा, जहाँगीरनामा, सुलहनामा
बाज	-	धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज
मंद	-	जरूरतमंद, अहसानमंद, अक्लमंद
आबाद	-	सिकन्दराबाद, औरंगाबाद, मौजमाबाद
इन्दा	-	बाशिंदा, शर्मिंदा, परिंदा
इश	-	साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश
गाह	-	ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह
गीर	-	आलमगीर, जहाँगीर, राहगीर
आना	-	नजराना, दोस्ताना, सालाना
इयत	-	इंसानियत, खैरियत, आदमियत
ईन	-	शौकीन, रंगीन, नमकीन
कार	-	सलाहकार, लेखाकार, जानकार
दान	-	खानदान, पीकदान, कूड़ादान
बंद	-	कमरबंद, नजरबंद, दस्तबंद

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. निम्नलिखित में किसमें 'अ' उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?

- | | |
|----------|---------------|
| (अ) अनुज | (ब) अनुगामी |
| (स) अटल | (द) अनपढ़ [] |

प्र. 2. किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है-

- | | |
|----------|----------------|
| (अ) औगुण | (ब) लाचार |
| (स) कपूत | (द) लड़ाकू [] |

प्र. 3. 'शेरनी' शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं-

- | | | |
|---------|---------|-----|
| (अ) नी | (ब) अनी | |
| (स) कनी | (द) रनी | [] |

प्र. 4. 'च्चेरा' शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है-

- | | | |
|---------|----------|-----|
| (अ) आ | (ब) चेरा | |
| (स) एरा | (द) ईरा | [] |

प्र. 5. 'देवरानी' में मूल शब्द है-

- | | | |
|---------|----------|-----|
| (अ) आनी | (ख) देवर | |
| (स) देव | (द) ई | [] |

प्र. 6. हिंदी में प्रत्यय के भेद हैं-

- | | | |
|---------|--------|-----|
| (अ) एक | (ख) दो | |
| (स) चार | (द) आठ | [] |

प्र. 7. निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के दो-दो शब्द बनाइए?

- | | | |
|---------|--------|--|
| (1) अनु | (2) पर | |
| (3) कु | (4) आ | |
| (5) अभि | (6) बा | |
| (7) नि | (8) अन | |

प्र. 8. नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए-

- | | | |
|-------------|-----------|-------------|
| (1) अनुरूप | (2) अपमान | (3) अनुराग |
| (4) दुराचार | (5) अनजान | (6) अवमानना |
| (7) आमरण | (8) बेहद | (9) नीरोग |

प्र. 9. उपसर्ग की परिभाषा व उदाहरण लिखिए।

प्र.10. उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइये।

प्र.11. निम्नलिखित प्रत्ययों से दो-दो शब्द बनाइए-

- | | | |
|---------|-------|-------|
| (क) इत | _____ | _____ |
| (ख) ईय | _____ | _____ |
| (ग) त्व | _____ | _____ |

(घ) आड़ी _____

(ङ) हार _____

प्र.12. निम्नलिखित में ‘मूल शब्द’ और प्रत्यय बताइए-

(क) मिलावट _____

(ख) उठान _____

(ग) सुंदरता _____

(घ) लेखक _____

(ङ) श्रेष्ठतर _____

प्र.13. निम्नलिखित शब्दों में ‘इक’ प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए-

(क) समाज (ख) लोक

(ग) देव (घ) नीति

(ङ) पुराण

प्र.14. प्रत्यय किसे कहते हैं? समझाइए।

प्र.15. प्रत्यय के भेदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

प्र.16. ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय को उदाहरण सहित लिखिए।

अध्याय-11

वाक्य-विचार

वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करनेवाले शब्द-समूह को वाक्य कहते हैं।

भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं व शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य। अर्थात् अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा-

जैसे-विभा छत के ऊपर खड़ी है।

क्रम बदलने पर-छत है विभा के ऊपर खड़ी।

इस प्रकार-शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं।

अर्थ के सम्प्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है।

वाक्य के अंग

मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं-

1. उद्देश्य 2. विधेय

1. उद्देश्य-वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है।

यथा-1. दादाजी ने पूजा की। 2. लड़के खेल रहे हैं।

इन वाक्यों में दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है अर्थात् ये दोनों उद्देश्य हैं।

2. विधेय-उद्देश्य अर्थात् कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है।

यथा-1. मोर नाच रहा है। 2. बालक दूध पी रहा है।

वाक्य भेद

क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद व उनके प्रभेद किए गए हैं।

1. क्रिया के आधार पर-क्रिया के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं-

(अ) कर्तृवाच्य-जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है व क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता, कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं।

जैसे- सीता गाना गा रही है।

अनुष्क गाना गा रहा है।


(ब) कर्मवाच्य—जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है। उसे कर्मवाच्य वाक्य कहा जाता है।

जैसे— श्रेया द्वारा खेल खेला गया।
अयन के द्वारा दूध पीया गया।

(स) भाववाच्य—जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है तो उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं।

जैसे— शगुन से पढ़ा नहीं जाता।
अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता।

2. अर्थ के आधार पर—अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद हैं—



(1) विधानवाचक वाक्य—जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है।

जैसे— मैं खाता हूँ (काम का होना)।
शगुन मेरी सहेली है (बात का होना)।

(2) निषेधात्मक वाक्य—जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है।

जैसे— सड़क पर मत भागो।
अनुष्क घर पर नहीं है।

(3) प्रश्नवाचक/प्रश्नार्थक वाक्य—प्रश्न का बोध करानेवाला वाक्य अर्थात् जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं।

जैसे— आप कहाँ जा रहे हैं?
तुम क्या खेल रहे हो?

(4) आज्ञावाचक वाक्य—जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो, वह आज्ञार्थक/आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है।

जैसे— अनुष्क अपना कमरा साफ करो। (आज्ञा)
अयन इस कुरसी पर बैठो।

(5) **विस्मयादिबोधक वाक्य**—जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है।

जैसे— अरे! यह क्या हो गया!
वाह! कितना सुंदर दृश्य है!

(6) **इच्छावाचक/इच्छार्थक वाक्य**—जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा कामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।

जैसे— ईश्वर सबका भला करे! (इच्छा)
आपका जीवन सुखमय हो!

(7) **संभावनार्थक वाक्य**—जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।

जैसे— शायद वे कल आएँ।
हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए।

(8) **संकेतार्थक वाक्य**—जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है।

जैसे— यदि तुम आओ तो मैं चलूँ।
वर्षा न होती तो, फसल सूख जाती।

रचना के आधार पर वाक्य के भेद

रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं।

- (i) सरल वाक्य
- (ii) मिश्र या मिश्रित वाक्य
- (iii) संयुक्त वाक्य

(i) **सरल वाक्य**—जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात् एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है।

जैसे— मैं जाता हूँ।

(ii) **मिश्र वाक्य/मिश्रितवाक्य**—जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य अश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उप वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चयबोधक अव्यय करते हैं। (चौंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात्, यदि, तो, ताकि, तदापि)।

जैसे— वे मेरे घर आएँगे, क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है।
वे मेरे घर आएँगे (प्रधान वाक्य)
क्योंकि (योजक)

उन्हें अजमेर शहर घूमना है। (आश्रित उप वाक्य)
मैं जानता हूँ कि तुम्हें अजमेर जाना है।

(i) प्रधान उपवाक्य—जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उप वाक्य कहते हैं।

(ii) आश्रित उपवाक्य

वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है अर्थात् जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं।

आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं-

1. संज्ञा उपवाक्य
2. विशेषण उपवाक्य
3. क्रियाविशेषण उपवाक्य

1. संज्ञा उपवाक्य—ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें अर्थात् किसी कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम देते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्रायः कि, का प्रयोग होता है।

जैसे— मैंने देखा कि शगुन गा रही है।

संज्ञा उपवाक्य में प्रायः ‘कि’ का लोप भी हो जाता है-

मैंने सुना है वे कल आएँगे।

कर्म—मैं कहता हूँ कि वह शहर गया। ‘वह शहर गया’ ‘कहता हूँ’ का कर्म है।

पूरक—उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊँ। ‘कि मैं खाना खाऊँ’ ‘है’ क्रिया का पूरक है।

2. विशेषण उपवाक्य—वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रांभ प्रायः जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है।

जैसे— जिससे आपको काम था, वह व्यक्ति चला गया।

3. क्रिया विशेषण उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं।

जैसे— यदि दिनभर खेलोगे तो कब पढ़ोगे।

क्रिया विशेषण उपवाक्य कि, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं।

(iii) संयुक्त वाक्य—जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द (तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि) से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया।

(समानाधिकरण वाक्य—ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हों उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं।)

वाक्य विश्लेषण

रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण या वाक्य-विग्रह कहलाता है।

1. सरल वाक्य का विश्लेषण—सरल वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के दो अंग उद्देश्य व विधेय को बताना होता है उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता व कर्ता का विस्तार तथा विधेय के अंतर्गत कर्म व कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक जो भी हो उनका उल्लेख करना होता है।

जैसे— (क) सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए।

(ख) मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है।

उद्देश्य		विधेय					
कर्ता	कर्ता का कर्म	कर्म का पूरक	पूरक का विस्तारक	क्रिया	क्रिया का विस्तारक		
	विस्तारक	विस्तारक	विस्तारक				
(क) मित्र सभी	लालकिला	दिल्ली का	-	-	देखने	-	

(ख) श्रेया मेरी बहन पुस्तकें कहानियों - - पढ़ती है बहुत

(ग) जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है।

उद्देश्य		विधेय					
कर्ता	कर्ता का कर्म	कर्म का पूरक	पूरक का विस्तारक	क्रिया	क्रिया का विस्तारक		
	विस्तारक	विस्तारक	विस्तारक				
सिटी	जयपुर						
पैलेस	का	-	-	स्थल	दर्शनीय	है	-

2. मिश्रित वाक्य या मिश्रवाक्य का विश्लेषण—मिश्रित या मिश्र वाक्य के विश्लेषण में उसके प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है।

जैसे— (क) मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूँ।

(ख) प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था।

उपवाक्य	वाक्य	कार्य	योजक	कर्ता	कर्ता का विस्तार	क्रिया	कर्म	पूरक	पूरक विस्तार
	भेद								
(क) मेरे जीवन का लक्ष्य है	प्रधान उपवाक्य	-	-	जीवन का	-	है	लक्ष्य	-	-
मैं राष्ट्रपति बनूँ	आश्रित संज्ञा	प्रधान उपवाक्य	कि	मैं	बनूँ	-	राष्ट्रपति	-	-
	उपवाक्य	की क्रिया							
		का कर्म							
(ख) प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया वह बीमार था	प्रधान उपवाक्य	-	-	प्रांशु	-	नहीं गया	-	-	कल कॉलेज

उपवाक्य

3. संयुक्त वाक्य का विश्लेषण—संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में समानाधिकरण उपवाक्यों या साधारण वाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले योजक शब्द का भी उल्लेख करना होता है।

जैसे— 1. अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया।

2. सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए।

उपवाक्य	उपवाक्य योजक	कर्ता कर्ता का विस्तार	क्रिया क्रिया का विस्तार	कर्म विस्तार	कर्म का विधेय
1. अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी उपवाक्य	प्रधान	—	अनुष्क	—	पुस्तक
सो गया	समानाधिकरण और उपवाक्य	वह (लुप्त)	—	सो गया	—
2. सबने प्रतीक्षा की समानाधिकरण पर	प्रधान	—	सबने	प्रतीक्षा की	आपकी
	उपवाक्य			—	बहुत
				आए	नहीं
				आप	—

वाक्य संश्लेषण

वाक्य विश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग किया जाता है लेकिन वाक्य संश्लेषण में अलग-अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है।

कालांश लगा। गुरु जी आए। कक्षा में पढ़ाया। दूसरी कक्षा में चले गए।

वाक्य संश्लेषण में इन चार वाक्यों से एक बनाया जाता है—

उदाहरण 1

1. कालांश लगते ही गुरु जी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। (सरल वाक्य)

2. कालांश लगते ही गुरु जी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। (संयुक्त वाक्य)

3. कालांश लगा ही था कि गुरु जी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। (मिश्रित वाक्य)

उदाहरण 2

1. हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। (सरल वाक्य)

2. हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे। (संयुक्त वाक्य)

3. जैसे ही हम घर से बाहर निकले, आसमान में बादल छाने लगे। (मिश्रित वाक्य)

उदाहरण 3

1. बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे। (सरल वाक्य)

2. बच्चों को खेलना था अतः मैदान में गए थे। (संयुक्त वाक्य)

3. बच्चे मैदान में गए थे क्योंकि उन्हें खेलना था। (मिश्रित वाक्य)

वाक्य के आवश्यक तत्त्व

1. सार्थकता—वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए।

जैसे— मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

2. पदक्रम—वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए यदि क्रम बदल जाता है तो कथन का अर्थ बदल जाता है।

जैसे— बच्चे को काटकर फल दो।

सही क्रम-फल काटकर बच्चे को दो।

3. निकटता—पदों के बीच अगर अंतर रहता है तो वह अर्थ ग्रहण में बाधक रहता है। इसलिए वाक्य के पदों में परस्पर निकटता होना अनिवार्य है।

वाक्य में स्वाभाविक ठहराव की आवश्यकता होती है परंतु प्रत्येक शब्द के बाद ठहरना या रुक रुककर बोलना अशुद्ध होता है।

जैसे— उसने.....मेरा.....गाना.....सुना। (उसने मेरा गाना सुना)

4. पूर्णता—वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए इसमें शब्दों की कमी होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

जैसे— कमल पीता है।

शुद्ध— कमल दूध पीता है।

वाक्य में पद क्रम

वाक्य रचना में पदक्रम का विशेष महत्व होता है। अतः वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः इन नियमों को जानना आवश्यक है—

1. वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद में क्रिया आती है।

जैसे— अनुष्क खाना खा रहा है।

2. कर्ता, कर्म तथा क्रिया के (विस्तारक) पूरक इनसे पूर्व में आते हैं।

जैसे— भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी-जल्दी खा गया।

3. क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है।

जैसे— धावक तेज दौड़ता है।

4. पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है।

जैसे— वह खाना खाकर सो गया।

5. संबोधन और विस्मयादिबोधक प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं।

जैसे— अनुष्क! इधर बैठो!

वाह! कितना सुन्दर महल है!

6. निषेधात्मक वाक्यों में 'न' अथवा 'नहीं' का प्रयोग प्रायः क्रिया से पहले किया जाता है।

जैसे— रमेश बाजार नहीं जाएगा।

7. सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है।

जैसे— मेरी छोटी बहिन।

8. पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं।

जैसे— पं. रामसहाय, डॉ. अक्षत, प्रो. शगुन।

9. मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो उपवाक्य के बीच होता है।

जैसे— घर पर काम था इसलिए वह नहीं आया।

जब कार्य समाप्त हुआ तब वे घर चले गए।

10. मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधानवाक्य आश्रित उप वाक्य के पहले आता है।

जैसे— जो परिश्रम करता है, उसे सब पसंद करते हैं।

वाक्य में क्रिया का अन्वय

वाक्य रचना में पदों के संबंध व क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। पदों के इसी क्रम या संबंध को ‘मेल या अन्वय’ कहते हैं। अन्वय का अर्थ ‘संबद्धता’ है, अर्थात् वाक्य में पदों का उचित मेल होना आवश्यक है—

कर्ता व क्रिया का अन्वय-

1. वाक्य में कर्ता के परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है।

जैसे— राम गाना गाता है।

सीता गाना गाती है।

2. वाक्य में विभक्ति रहित एक ही लिंग, वचन, पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी।

जैसे— अनुष्क, अमन, अक्षत खाना खा रहे हैं।

त्रिया, शगुन गाना गा रही हैं।

3. आदर का भाव प्रकट करनेवाले एक वचन कर्ता के साथ भी क्रिया का बहुवचन में प्रयोग होता है।

जैसे— पिता जी कल आ रहे हैं।

भाई साहब खाना खा रहे हैं।

4. भिन्न लिंग, वचन के विभक्ति रहित एक वाक्य के कर्ता और, तथा आदि शब्दों से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन पुलिंग में होगी।

जैसे— अनुष्क व शगुन खेल रहे हैं।

5. हिन्दी में आँसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है।

जैसे— ये हस्ताक्षर मेरे हैं।

मेरी आँखों में आँसू आ गए।

कर्म और क्रिया का अन्वय-

1. यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार होंगे।

जैसे— श्रेया ने गाना गाया।

प्रांशु ने पुस्तक पढ़ी।

2. यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्रिया एकवचन पुल्लिंग व अन्यपुरुष होती है।

जैसे— राम ने चोर को पकड़ा।

अनुष्ठ के ने अक्षत को देखा।

3. यदि कर्ता के साथ विभक्ति 'ने' लगा हो और वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार लगती है।

जैसे— अनुष्ठ के पुस्तक और पेंसिल खरीदा।

अमन ने मिठाई व फल खरीदे।

संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय—

1. अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के स्थान पर हो तो वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है।

जैसे— श्रेया, शगुन विद्यालय गई हैं, वे शाम को घर लौटेंगी।

2. एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए।

जैसे— राम ने श्याम से कहा, तुम जाओ, लड़के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।

3. जिस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वचन उसी संज्ञा के अनुरूप होता है।

जैसे— सीता ने कहा वह गाना गाएगी।

विशेषण व विशेष्य का अन्वय

1. अगर वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हों तो विशेषण अपने निकट विशेष्य के अनुसार होगा।

जैसे— काली साड़ी, पीला कुर्ता लाओ।

पीला कुर्ता काली साड़ी लाओ।

2. आकारांत विशेषण-विशेष्य के लिंग, वचन के अनुसार बदल जाते हैं।

जैसे— तुम काला कुर्ता पहनो।

तुम काली साड़ी पहनो।

किंतु अन्य विशेषणों में विशेष्य के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता है।

जैसे— नीली कमीज, नीली साड़ी

वाक्य रचना के शुद्ध रूप

भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य रचना में अशुद्धि होने के अनेक कारण हैं।

1. व्याकरण के नियमों का व लिंग वचन का ज्ञान न होना।

2. वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग।

3. पदों को सही क्रम में न रखना।

4. शब्दों के सही अर्थ की जानकारी नहीं होना।

5. सर्वनाम व परस्परा संबंधी अशुद्धि।

6. पुनरुक्ति की अशुद्धि।

इस प्रकार ये अशुद्धियाँ भाषा व अर्थ दोनों के सौन्दर्य को हानि पहुँचाती हैं।

1. पदक्रम संबंधी अशुद्धि-

अशुद्ध

1. बच्चे को काटकर फल दो।
2. मैंने बहते हुए बालक को देखा।
3. यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है।
4. कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं।
5. राधा के गले में एक मोतियों की माला है।
6. शीतल फलों का रस पीजिए।
7. एक कहानियों की पुस्तक दीजिए।
8. यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है।

शुद्ध

- बच्चे को फल काटकर दो।
मैंने बालक को बहते हुए देखा।
यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है।
स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं।
राधा के गले में मोतियों की एक माला है।
फलों का शीतल रस पीजिए।
कहानियों की एक पुस्तक दीजिए।
यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है।

2. अनावश्यक शब्दों के कारण वाक्य अशुद्धि-

अशुद्ध

1. मेरे पास केवल मात्र बीस रुपये हैं।
2. कृपया यहाँ बैठने की कृपा कीजिए।
3. जल्दी वापस लौटकर आना।
4. क्या यह संभव हो सकता है?
5. जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी।
6. मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ।
7. शायद आज वे अवश्य आएँगे।
8. ठंडी बर्फ लाओ।
9. तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम हैं।
10. उसने वहाँ से चल दिया।
11. इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ!
12. अजय का खाना दो।

शुद्ध

- मेरे पास मात्र/केवल बीस रुपये हैं।
कृपया यहाँ बैठिए।
जल्दी लौटकर आना।
क्या यह संभव है?
जज ने उसे मृत्युदंड दिया।
मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ।
शायद आज वे आएँगे।
बर्फ लाओ।
तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर हैं।
वह वहाँ से चल दिया।
इन बातों को दोहराने से क्या लाभ!

3. लिंग संबंधी अशुद्धि-

अशुद्ध

1. यह नाटक बहुत अच्छी है।

शुद्ध

- यह नाटक बहुत अच्छा है।

2. वह महिला विद्वान है।
3. महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी।
4. मौसी आप क्या कर रहे हैं?
5. वह अपने धुन में जा रही है।
6. उसके कोई संतान न थी।
7. यह चाय बहुत मीठी है।
8. मुझे हिंदी आती है।
9. सीता बहुत मेहनत करता है।

4. वचन संबंधी अशुद्धि -

अशुद्ध

1. आप क्या कर रहा है?
2. अभी पाँच बजा है।
3. यह बीस रूपया का नोट है।
4. उसकी दशा देखकर मेरी आँख में आँसू आ गया।
5. यह मेरा हस्ताक्षर है।
6. आज मेरा दादा जी आएगा।
7. आपको कितना फल लेना है?
8. मैं भगवान का दर्शन करूँगा।
9. बीमार का प्राण निकल गया।
10. हिमालय पर्वत का राजा है।

5. कारक संबंधी अशुद्धि -

अशुद्ध

1. मेरे को अभी जाना है।
2. वह बाजार में सामान लाने गया है।
3. बच्चे से गुस्सा मत करो।
4. तुम सब छत में खेलो।
5. पक्षी पेड़ में बैठे हैं।
6. वह गुरु के चरणों पर बैठ गया।
7. वह घर में अंदर है।
8. मोहन ने फल लाया।
9. फल को खूब पका होना चाहिए।
10. घर पर सब कुशल है।

- वह महिला विदुषी है।
 महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थीं।
 मौसी आप क्या कर रही हैं?
 वह अपनी धुन में जा रही है।
 उसके कोई संतान न थी।
 यह चाय बहुत मीठी है।
 मुझे हिंदी आती है।
 सीता बहुत मेहनत करती है।

शुद्ध

- आप क्या कर रहे हो?
 अभी पाँच बजे हैं।
 यह बीस रुपये का नोट है।
 उसकी दशा देखकर मेरे आँसू आ गए।
 ये मेरे हस्ताक्षर हैं।
 आज मेरे दादा जी आएँगे।
 आपको कितने फल लेने हैं?
 मैं भगवान के दर्शन करूँगा।
 बीमार के प्राण निकल गए।
 हिमालय पर्वतों का राजा है।

शुद्ध

- मुझे अभी जाना है।
 वह बाजार से सामान लाने गया है।
 बच्चे पर गुस्सा मत करो।
 तुम सब छत पर खेलो।
 पक्षी पेड़ पर बैठे हैं।
 वह गुरु के चरणों में बैठ गया।
 वह घर के अंदर है।
 मोहन फल लाया।
 फल खूब पका होना चाहिए।
 घर में सब कुशल है।

6. सर्वनाम संबंधी अशुद्धि -

अशुद्धि

1. मैंने काम करना है।
2. अपन सही जगह पर हैं।
3. तुमको क्या लेना है?
4. मेरे को दस रुपये की जरूरत है।
5. अपने को आपका काम ठीक लगा।
6. वह लोग इधर आएँगे।
7. भैया ने मुझको कहा।
8. मेरे को यह नहीं खाना।
9. तेरे को कहाँ जाना है?
10. तेरे को क्या लेना है?

शुद्धि

- मुझे काम करना है।
हम सही जगह पर हैं।
आपको क्या लेना है?
मुझे दस रुपयों की जरूरत है।
मुझे आपका काम ठीक लगा।
वे लोग इधर आएँगे।
भैया ने मुझसे कहा।
मुझे यह नहीं खाना।
तुम्हें कहाँ जाना है?
आपको क्या लेना है?

7. क्रिया संबंधी अशुद्धि -

अशुद्धि

1. भाषण सुनते सुनते कान पक गया।
2. आप फल खाकर देखो।
3. बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया।
4. राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी।
5. माँ ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया।
6. मैंने अपनी नौकरी त्याग दी।
7. राम ने मुझे गाली निकाली।

शुद्धि

- भाषण सुनते-सुनते कान पक गए।
आप फल खाकर देखें।
बच्चा खाना खाकर व दूध पीकर सो गया।
राम ने शीला की प्रतीक्षा की।
माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया।
मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी।
राम ने मुझे गाली दी।

8. मुहावरे संबंधी अशुद्धि -

अशुद्धि

1. रमेश की तो अक्ल मर गई है।
2. वह अपनी माँ की आँख का चाँद है।
3. बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा।
4. उसकी मेहनत पर पानी गिर गया।
5. तेरी शरारत से मेरी साँस में दम आ गया।
6. गीता के मुँह से फूल गिरते हैं।
7. राम तो अपनी अक्ल का शत्रु है।
8. चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई।

शुद्धि

- रमेश की तो अक्ल मारी गई है।
वह अपनी माँ की आँख का तारा है।
बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा।
उसकी मेहनत पर पानी फिर गया।
तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया।
गीता के मुख से फूल झड़ते हैं।
राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है।
चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई।

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को कहते हैं?

- | | |
|------------------|-------------------|
| (अ) जटिल वाक्य | (ब) मिश्र वाक्य |
| (स) साधारण वाक्य | (द) संयुक्त वाक्य |

[]

प्र. 2. वाक्य के मुख्य अंग होते हैं?

- | | |
|----------|---------|
| (अ) पाँच | (ब) दो |
| (स) चार | (द) तीन |

[]

प्र. 3. अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?

- | | |
|---------|----------|
| (अ) तीन | (ब) पाँच |
| (स) आठ | (द) सात |

[]

प्र. 4. ‘अरे! यह क्या हो गया’ कौनसा वाक्य है?

- | | |
|----------------|-------------------|
| (अ) निषेधात्मक | (ब) प्रश्नवाचक |
| (स) आज्ञावाचक | (द) विस्मयादिबोधक |

[]

प्र. 5. वाक्य किसे कहते हैं?

प्र. 6. क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?

प्र. 7. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए।

प्र. 8. संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए।

प्र. 9. रचना के आधार पर वाक्य के भेद बतलाइए।

प्र. 10. ‘वाक्य विश्लेषण’ को उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए।

अध्याय-12

अर्थ-विचार

पर्यायवाची शब्द

पर्याय का सामान्य अर्थ होता है 'समान'।

इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य-सा अर्थ होता है, समान अर्थवाला शब्द।

परिभाषा—जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची—

अमृत—सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमिय

अग्नि—आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृशानु

असुर—दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, रजनीचर

अरण्य—वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव

अतिथि—अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना

अंधकार—तम, तिमिर, तमस, अँधेरा

अश्व—घोटक, घोड़ा, बाजि, सैंधव, हय, तुरंग

आँख—नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षि

आकाश—नभ, व्योम, गगन, अम्बर, अनन्त, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य

इन्द्र—देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, वासव

इच्छा—आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, ईहा, लालसा

ईश्वर—प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश

उत्सव—समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार

उद्यान—बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका

कमल—सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविन्द, अंबुज

कामदेव—मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचशर

किरण—अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रश्मि

किनारा—तट, तीर, कूल, पर्यंत

कपड़ा—अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट

खल—धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम

खुशबू—सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास
गंगा—सुरसरि, देवनदी, त्रिपथगा, जाहनवी, भगीरथी, देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी
गणेश—एकदंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक
गाय—गऊ, गौ, गैया, सुरभी, पयस्विनी, धेनु
गृह—मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम
चंद्रमा—राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु।
जल—नीर, वारि, अंबु, सलिल, पय, उदक, तोय
जहर—गरल, विष, हलाहल
तलवार—असि, खड्ग, कृपाण, चंद्रहास
तालाब—सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल
दिन—दिवस, वार, वासर
देवता—सुर, देव, अमर, निर्जर
नदी—सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झरिणी
नाव—नौका, जलयान, तरणी, पोत
पवन—अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, बयार
पर्वत—नग, गिरि, महीधर, शैल, अचल, पहाड़
पत्थर—पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला
पुष्प—फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम
पुत्र—तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन, लाल
पुत्री—तनया, तनुजा, बेटी, सुता
मधुप—भौंरा, भ्रमर, अलि, मधुकर
मछली—मीन, मत्स्य, मकर, शफरी
माता—माँ, जननी, प्रसूता, धात्री
मित्र—सखा, साथी, सहचर, मीत
मेघ—जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोधर, पयोद
रावण—दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंध
राजा—नृप, भूप, महीप, नरेश, नृपति।
रात—रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा, यामिनी
वानर—बंदर, कपि, मर्कट, शाखामृग, हरि
शत्रु—रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी
शरीर—देह, तन, काया
सरस्वती—वाणी, वाणीश्वरी, वीणाधारिणी, शारदा, वीणावादिनी

स्वर्ण—कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य
सागर—जलधि, उदधि, पयोधि, समुद्र, नदीश, वारिधि
सिंह—मृगराज, केसरी, बनराज, शेर, हरि
सूर्य—रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर
हनुमान—कपीश, अंजनिपुत्र, पवनसुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली
हस्त—हाथ, कर, बाहु, भुजा, पाणि
हाथी—गज, कुंजर, हस्ती, मरंग, गयंद
हिमालय—पर्वतराज, नगराज, हिमगिरि

विलोम शब्द

विलोम का साधारण अर्थ होता है—‘उलटा’।

परिभाषा—जिस शब्द के द्वारा हमें उसके ‘विपरीत’ अर्थ का पता चलता है, उसे विलोम शब्द कहते हैं, जैसे—उलटा—सीधा, सुख—दुःख।

विलोम शब्दों की सूची

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
अमृत	विष	अङ्ग	विज्ञ
अर्थ	अनर्थ	आदि	अंत
अग्रज	अनुज	आस्तिक	नास्तिक
अंत	आदि	आरोह	अवरोह
अंश	पूर्ण	आकाश	पाताल
अवतल	उत्तल	आशा	निराशा
अल्प	अति	आशीर्वाद	अभिशाप
अनेक	एक	आरंभ	अंत
अंधकार	प्रकाश	आवश्यक	अनावश्यक
अपमान	सम्मान	आदान	प्रदान
अस्त	उदय	आयात	निर्यात
अपेक्षा	उपेक्षा	आदर	अनादर
अनुलोम	विलोम/प्रतिलोम	आश्रित	अनाश्रित
अतिवृष्टि	अनावृष्टि	इष्ट	अनिष्ट
अनुकूल	प्रतिकूल	इहलोक	परलोक
अपराधी	निरपराध	इच्छा	अनिच्छा
अवनि	अंबर	इष्ट	अनिष्ट
ईमानदार	बेईमान	कड़वा	मीठा

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
उत्तम	अधम	कदाचार	सदाचार
उदार	अनुदार	क्रय	विक्रय
उपचार	अपचार	कपूत	सपूत
उपयुक्त	अनुपयुक्त	कोमल	कठोर
उचित	अनुचित	खुशबू	बदबू
उपकार	अपकार	खंडन	मंडन
उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	गहरा	उथला
उन्नति	अवन्नति	ग्रीष्म	शीत
उदयाचल	अस्ताचल	गुण	दोष
उच्च	निम्न	गुरु	लघु
उद्घाटन	समापन	गोचर	अगोचर
उत्पत्ति	विनाश	गौण	प्रमुख
उत्तरायण	दक्षिणायण	गौरव	लाघव
उपसर्ग	अपसर्ग/परसर्ग	घृणा	प्रेम
उन्मुख	विमुख	चल	अचल
उपजाऊ	अनुपजाऊ	चेतन	अचेतन/जड़
एकता	अनेकता	जन्म	मृत्यु
एक	अनेक	जय	पराजय
एकाग्र	चंचल	जटिल	सरल
ऐतिहासिक	अनैतिहासिक	जीवन	मरण
एकार्थक	अनेकार्थक	ज्येष्ठ	कनिष्ठ/लघु
औचित्य	अनौचित्य	तरल	ठोस
औपचारिक	अनौपचारिक	तरुण	वृद्ध
तिमिर	प्रकाश	दंड	पुरस्कार
बंधन	मुक्ति	दिन	रात
बंजर	उर्वर	दुराचार	सदाचार
बहिरंग	अंतरंग	दुर्लभ	सुलभ
भला	बुरा	दूर	पास
		देव	दानव

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
भद्र	अभद्र	नवीन	प्राचीन
मान	अपमान	न्यूनतम	अधिकतम
महँगा	सस्ता	निर्माण	विनाश
मानवीय	अमानवीय	निरक्षर	साक्षर
मानव	दानव	निरर्थक	सार्थक
मित्र	शत्रु	निराकार	साकार
मुख्य	गौण	नैतिक	अनैतिक
मेहमान	मेजबान	पतन	उत्थान
मोटा	पतला	पठित	अपठित
मौखिक	लिखित	प्रत्यक्ष	परोक्ष
मंगल	अमंगल	पुरातन	नूतन
यश	अपयश	परतंत्र	स्वतंत्र
युद्ध	शांति	प्रश्न	उत्तर
योग्य	अयोग्य	प्रशंसा	निंदा
रक्षक	भक्षक	पुरस्कार	दंड
राग	द्वेष	पवित्र	अपवित्र
राजा	रंक	फल	निष्फल
राक्षस	देवता	फूल	काँटा
रोगी	नीरोग	लाभ	हानि
सजीव	निर्जीव	लोक	परलोक
सम्मान	अपमान	वर	वधू
सादर	निरादर	वरदान	अभिशाप
संधि	विग्रह	व्यभिचारी	सदाचारी
स्वदेश	परदेश	विस्मरण	स्मरण
हिंसा	अहिंसा	विद्वान्	मूर्ख
हर्ष	विषाद	शयन	जागरण
हित	अहित	शत्रुता	मित्रता
क्षणिक	शाश्वत	शुभ	अशुभ
ज्ञात	अज्ञात	श्लाघा	निंदा

वाक्यांश के लिए एक शब्द

अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी-कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है, जैसे-जिसे आर-पार देखा जा सके-पारदर्शी कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं।

क्र.सं.	वाक्यांश	एक शब्द
1.	सत्य बोलनेवाला	सत्यवादी
2.	जो सहनशील हो	सहिष्णु
3.	बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास	अंधविश्वास
4.	धर्म में निष्ठा रखनेवाला	धर्मनिष्ठ
5.	जो तृप्त न हो	अतृप्त
6.	दो भाषा जानने-बोलनेवाला	दुभाषिया
7.	जिसको अनुभव हो	अनुभवी
8.	जो कम खाता हो	अल्पाहारी
9.	जिसके आने की तिथि निश्चित न हो	अतिथि
10.	जिसे क्षमा न किया जा सके	अक्षम्य
11.	जिसका मूल्य न आँका जा सके	अमूल्य
12.	जो कानून के अनुसार न हो	अवैध
13.	जो बिना वेतन काम करे	अवैतनिक
14.	जो कहा न जा सके	अकथनीय
15.	जिसको गिना न जा सके	अगण्य
16.	जो इस लोक का न हो	अलौकिक
17.	जो बच्चों को पढ़ाए	अध्यापक
18.	जो अत्याचार करता हो	अत्याचारी
19.	जिसकी सीमा न हो	असीम
20.	जिसका कोई सहायक न हो	असहाय
21.	जिसकी कोई उपमा न हो	अनुपम
22.	जो छोड़ा न जा सके	अनिवार्य
23.	जो संभव न हो	असंभव
24.	जहाँ पहुँचा न जा सके	अगम्य
25.	जिसका नाम न हो	अनाम
26.	जो अहिंसा में विश्वास रखे	अहिंसावादी

27.	जिसका वर्णन न किया जा सके	अवर्णनीय
28.	जो परिचित न हो	अपरिचित
29.	मन में होनेवाला ज्ञान	अंतर्ज्ञान
30.	आशा करनेवाला	आशावादी
31.	आलोचना करनेवाला	आलोचक
32.	जो अपनी ओर आकृष्ट करे	आकर्षक
33.	जो अपनी जीवनी लिखे	आत्मकथाकार
34.	आज्ञा माननेवाला	आज्ञाकारी
35.	नई खोज करना	आविष्कार
36.	जो नए जमाने का हो	आधुनिक
37.	दूसरे देश से मँगाना	आयात
38.	ईश्वर में विश्वास रखनेवाला	आस्तिक
40.	दूसरों का आभार माननेवाला	आभारी/कृतज्ञ
41.	छोटा भाई	अनुज
42.	बड़ा भाई	अग्रज
43.	आकाश में दिखाई देने वाला सात रंगों का धनुष	इंद्रधनुष
44.	दूसरों से ईर्ष्या करनेवाला	ईर्ष्यालु
45.	जिसका हृदय विशाल हो	उदार
46.	जो ऊपर कहा गया हो	उपर्युक्त
47.	जो बाद में अधिकारी बने	उत्तराधिकारी
48.	जहाँ दवाई मिलती है/या इलाज होता है	औषधालय
49.	कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु	कलाकृति
50.	जो अपने काम में होशियार हो	कार्यकुशल
51.	जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाय	कष्टसाध्य
52.	मिट्टी के बर्तन बनानेवाला	कुम्हार
53.	गलत मार्ग पर चलनेवाला	कुमार्गी
54.	ऊँचे कुल में जन्म लेनेवाला	कुलीन
55.	तेज बुद्धि वाला	कुशाग्रबुद्धि
56.	किए गए उपकार को माननेवाला	कृतज्ञ
57.	दूसरों के उपकार को न माननेवाला	कृतघ्न
58.	बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध	कुरुत्यात
59.	जो कड़वा बोलता हो	कटुभाषी

60.	जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं	कारखाना
62.	जो अंदर से खाली हो	खोखला
63.	जिसके हाथ में चक्र हो	चक्रपाणि
64.	जो किसी को न सुहाता हो	खटकना
65.	सामान खरीदनेवाला	ग्राहक/खरीदार
66.	गणित के बारे में जाननेवाला	गणितज्ञ
67.	जो गणना योग्य हो	गण्य/गणनीय
68.	आकाश को छूनेवाला	गगनचुंबी
69.	जो गुप्त बातों का पता लगाए	गुप्तचर
70.	छिपाने योग्य बातें	गोपनीय
71.	गायों को पालनेवाला	गोपाल
72.	गायों को चरानेवाला	ग्वाला
73.	गाँवों में रहनेवाला	ग्रामीण
74.	नगर में रहनेवाला	नागरिक
75.	बीमार का इलाज करनेवाला	चिकित्सक
76.	जो चित्र बनाता हो	चित्रकार
77.	चक्र के आकार में सेना की रचना करना	चक्रव्यूह
78.	छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान	छात्रोपयोगी
79.	छात्रों को दिया जानेवाला अनुदान/राशि	छात्रवृत्ति
80.	जल में रहनेवाला जीव	जलचर
81.	जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो	जितेंद्रिय
82.	जन्म से अंधा	जन्मांध
83.	जिसमें जानने की इच्छा हो	जिज्ञासु
84.	ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखनेवाला	ज्योतिषी
85.	जिसे देखकर डर लगे	डरावना
86.	तप करनेवाला	तपस्वी
87.	दूर की देखने-सोचनेवाला	दूरदर्शी
88.	जो देखने योग्य हो	दर्शनीय
89.	जिस पुत्र को गोद लिया हो	दत्तक
90.	जहाँ पहुँचना कठिन हो	दुर्गम
91.	जो समझने में कठिन हो	दुर्बोध
92.	जिसका आचार-विचार अच्छा न हो	दुराचारी

93.	कठिनाई से प्राप्त होनेवाला	दुर्लभ
94.	दूर की सोचनेवाला	दूरदर्शी
95.	जिसे करना कठिन हो	दुष्कर
96.	धर्म को चलानेवाला	धर्मप्रवर्तक
97.	माँस न खानेवाला	निरामिष
98.	ईश्वर में विश्वास न रखनेवाला	नास्तिक
99.	जो अभी पैदा हुआ हो	नवजात
100.	जिसके पास धन न हो	निर्धन
101.	नष्ट होनेवाला	नश्वर
102.	रात में विचरण करनेवाला	निशाचर
103.	जिसमें ममता न हो	निर्मम
104.	जो भयभीत न हो	निर्भीक
105.	जिसका कोई आधार न हो	निराधार
106.	निरीक्षण करनेवाला	निरीक्षक
107.	जिसका कोई आकार न हो	निराकार
108.	नया आया हुआ व्यक्ति	नवागंतुक
109.	जिसमें सन्देह न हो	निस्पंदेह
110.	बहुत मेहनत करनेवाला	मेहनती/परिश्रमी
111.	जो आँखों के सामने हो	प्रत्यक्ष
112.	जो आँखों के सामने न हो	परोक्ष
113.	परदेश में रहनेवाला	प्रवासी
114.	दूसरों पर उपकार करनेवाला	परोपकारी
115.	जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है	पाश्चात्य
116.	दूसरे लोक से संबंधित	पारलौकिक
117.	पत्तों की बनाई कुटिया	पर्णकुटी
118.	पन्द्रह दिनों का समय	पक्ष
119.	रास्ता दिखानेवाला	पथ-प्रदर्शक
120.	जिस जानवर को पाला जाता हो	पालतू
121.	पुराने जमाने का	प्राचीन
122.	प्रशंसा करने योग्य	प्रशंसनीय
123.	पुस्तकों के लिए घर	पुस्तकालय
124.	किसी उक्ति को दोहराना	पुनरुक्ति

125.	दूसरों पर आश्रित रहनेवाला	परावलंबी
126.	हाथ से लिखी पुस्तक	पांडुलिपि
127.	जो बहुत कीमती हो	बहुमूल्य
128.	बहुत बोलनेवाला	वाचाल
129.	नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि	ब्रेललिपि
130.	जो पहले का हो	भूतपूर्व
131.	माँस खानेवाला	माँसाहारी
132.	कर्म खर्च करनेवाला	मितव्ययी
133.	जहाँ रेत ही रेत हो	मरुभूमि
134.	महीने में एक बार होनेवाला	मासिक
135.	मर्म को छूनेवाला	मार्मिक
136.	लकड़ी काटनेवाला	लकड़हारा
137.	जो लोगों का प्रिय हो	लोकप्रिय
138.	वर्णों की माला/सूची	वर्णमाला
139.	वर्ष में होनेवाला	वार्षिक
140.	जिसका विवाह हो गया हो	विवाहित
141.	विष्णु का उपासक	वैष्णव
142.	जिसका विश्वास किया जा सके	विश्वसनीय
143.	हँसी मजाक करनेवाला	विदूषक
144.	जो कानून द्वारा मान्य हो	वैधानिक
145.	शक्ति का उपासक	शाक्त
146.	शिव का उपासक	शैव
147.	जो सगा भाई हो	सहोदर
148.	एक ही जाति के लोग	सजातीय
149.	जो याद रखने योग्य हो	स्मरणीय
150.	अच्छे चरित्रवाला	चरित्रवान
151.	सप्ताह में होनेवाला	साप्ताहिक
152.	सत्य बोलनेवाला	सत्यवादी
153.	संगीत का ज्ञान रखनेवाला	संगीतज्ञ
154.	एक कक्षा में पढ़नेवाला	सहपाठी
155.	सेवा करनेवाला	सेवक
156.	जो सरलता से प्राप्त हो	सुलभ

157.	सब कुछ जाननेवाला	सर्वज्ञ
158.	जो हर स्थान पर हो	सर्वव्यापक
159.	जो सहन करने में समर्थ हो	सहनशील
160.	जो स्वयं सेवा करता हो	स्वयंसेवक
161.	अपने राष्ट्र से संबंधित	राष्ट्रीय
162.	हिंसा करनेवाला	हिंसक
163.	अपने दस्तखत	हस्ताक्षर
164.	हँसने-हँसानेवाला	हँसोड़

समानार्थक/एकार्थक शब्द/श्रुतसम

हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थवाले प्रतीत होते हैं किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है।

इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होनेवाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है, हिंदी के कुछ समानार्थक शब्द अग्रलिखित हैं—

1. अर्धम-धर्म के विरुद्ध कार्य।
अन्याय-न्याय के विरुद्ध कार्य।
2. अमूल्य-जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो।
बहुमूल्य-अधिक मूल्य वाला।
3. अवस्था-आयु का एक भाग।
आयु-संपूर्ण उम्र।
4. अस्त्र-फैंककर चलाया जानेवाला हथियार (बाण, तोप आदि)
शस्त्र-हाथ में पकड़कर चलाया जानेवाला हथियार, जैसे-लाठी, तलवार, चाकू आदि।
5. आपत्ति-अचानक आया हुआ संकट, क्लेश, दोष।
विपत्ति-प्राकृतिक आपदा, कष्ट, मुसीबत।
6. आधि-मानसिक कष्ट।
व्याधि-शारीरिक रोग।
7. आविष्कार-नई खोज।
अनुसंधान-किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन।
अन्वेषण-छानबीन, जाँच-पड़ताल।
8. दुःख-शारीरिक या मानसिक वेदना।
कष्ट-शारीरिक पीड़।
9. पुरस्कार-योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है।
भेट-आदर सहित सम्माननीय व्यक्ति को दी जाती है।

उपहार-छोटों को दिया जाता है।

10. सेवा-बृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना।
शुश्रूषा-रोगियों की सेवा करना।
11. राजा-किसी देश का शासक।
सम्राट्-राजाओं का राजा।
12. आज्ञा-बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना।
आदेश-सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है।
13. आचरण-व्यक्ति का चरित्र।
व्यवहार-दूसरों के साथ किया गया क्रिया-कलाप।
14. पूजनीय-जो पूजा करने योग्य है।
माननीय-जो मान/सम्मान देने के योग्य है।
15. श्रद्धा-गुणवान के प्रति आदरभाव।
भक्ति-भगवान के प्रति आदरभाव।
16. मृत्यु-सामान्य व्यक्ति का देहांत।
निधन-महान व्यक्ति का देहांत।
17. निंदा-केवल दोषों का बखान करना।
आलोचना-गुण-दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना।
18. भाषण-मौखिक व्याख्यान करना।
अभिभाषण-लिखित भाषण को पढ़ना।
19. योग्यता-कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य।
क्षमता-कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य।
20. युद्ध-दो सेनाओं का संघर्ष।
लड़ाई-दो व्यक्तियों या समूहों का संघर्ष।
21. सात-संख्या (7)
22. दिया-देना
- साथ-संग
- दीया-दीपक
- आदि-आरंभ
24. पवन-हवा
- आदी-व्यसनी/आदत
- पावन-पवित्र
- हँस-हँसना
26. ग्रह-नक्षत्र
- हँस-एक पक्षी
- गृह-घर
- प्रसाद-कृपा
28. प्रमाण-सबूत
- प्रासाद-महल
- प्रणाम-नमस्कार
29. तरंग-लहर
30. कपाट-दरवाजा
- तुरंग-घोड़ा
- कपट-धोखा

- | | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 31. | नीर-पानी | 32. | कूल-किनारा |
| | नीड़-धोंसला | | कुल-वंश |
| 33. | चरम-अंतिम | 34. | अनल-आग |
| | चर्म-चमड़ा | | अनिल-हवा |
| 35. | अन्न-अनाज | 36. | प्रकार-तरह |
| | अन्य-दूसरा | | प्राकार-चहारदीवारी |
| 37. | लक्ष्य-उद्देश्य | 38. | निर्माण-बनाना |
| | लक्ष-लाख | | निर्वाण-मुक्ति |
| 39. | मूल-आधार/जड़ | 40. | वदन-मुख |
| | मूल्य-कीमत | | बदन-शरीर |
| 41. | कृपण-कंजूस | 42. | दिन-वार |
| | कृपाण-तलवार | | दीन-गरीब |
| 43. | शोक-दुख | 44. | ज्वर-बुखार |
| | शौक-चाव | | ज्वार-तूफान |
| 45. | उधार-ऋण | | |
| | उद्धार-मुक्ति | | |

अभ्यास प्रश्न

- प्र. 1. 'चाँद' का पर्यायवाची शब्द नहीं है-

 - (अ) विधु
 - (ब) सुधाकर
 - (स) भानु
 - (द) निशाकर

[]

प्र. 2. 'अश्व' का पर्यायवाची शब्द है-

 - (अ) हस्ती
 - (ब) मीन
 - (स) घोड़ा
 - (द) सूत

[]

प्र. 3. 'कृषक' का पर्यायवाची शब्द है-

 - (अ) किसान
 - (ब) रंक
 - (स) संन्यासी
 - (द) वीर

[]

प्र. 4. 'आकाश' का पर्यायवाची शब्द नहीं है-

 - (अ) अम्बर
 - (ब) गगन
 - (स) आसमान
 - (द) पावक

[]

प्र. 5. 'आस्तिक' का विलोम शब्द है-

 - (अ) निराशा
 - (ब) नास्तिक
 - (स) अमृत
 - (द) विज्ञ

[]

प्र. 6. 'आरंभ' का विलोम शब्द होगा-

- | | |
|-----------|------------|
| (अ) अंत | (ब) प्रदान |
| (स) पाताल | (द) अनिष्ट |

[]

प्र. 7. 'पतन' का विलोम शब्द है-

- | | |
|------------|------------|
| (अ) अयोग्य | (ब) भक्षक |
| (स) यश | (द) उत्थान |

[]

प्र. 8. 'मौखिक' का विलोम शब्द है-

- | | |
|------------|-----------|
| (अ) सार्थक | (ब) उत्तर |
| (स) लिखित | (द) सुलभ |

[]

उत्तर-1. (स) 2. (स) 3. (अ) 4. (द) 5. (ब) 6. (अ) 7. (द) 8. (स)

प्र. 9. निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए-

1. इच्छा
2. अपि
3. अमृत
4. सरस्वती
5. स्वर्ण
6. हाथी

प्र.10. पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

प्र.11. रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य में पुनः लिखिए-

- (1) यह कमरा बहुत गंदा है।
- (2) यह वस्तु आयात की जाती है।
- (3) राम योग्य छात्र है।
- (4) किसी का हित करना ठीक नहीं है।
- (5) कृपया धीरे चलिए।

प्र.12. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए वाक्य बनाइए-

- | | |
|----------|-----------|
| (1) अनुज | (2) योग्य |
| (3) रोगी | (4) घृणा |
| (5) एकता | |

प्र.13. एक शब्द में उत्तर दीजिए-

1. जल में रहनेवाला।
2. जिसमें ममता न हो।

3. जिसे क्षमा न किया जा सके।
4. जो इस लोक का न हो।
5. दूसरों से ईर्ष्या करनेवाला।
6. जिसके हाथ में चक्र हो।
7. माँस न खानेवाला।
8. जो ईश्वर में विश्वास रखता हो।

प्र.14. निम्न वाक्यों को पढ़कर एक शब्द में उत्तर दीजिए-

राम दो भाषाएँ जानता है-

महेश सदा सत्य बोलता है-

हम नगर में रहते हैं-

सतीश हर बात जानना चाहता है-

इस हार की कीमत नहीं आँकी जा सकती-

भूखा व्यक्ति अभी भी तृप्त नहीं हुआ-

अध्याय-13

विराम चिह्न

विराम का शाब्दिक अर्थ है—ठहराव अथवा रुकना।

किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिह्न विराम चिह्न कहलाते हैं।

विराम चिह्न के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाय तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

जैसे— रोको, मत जाने दो।

रोको मत, जाने दो।

हिंदी में कई तरह के विराम चिह्नों का प्रयोग किया जाता है—

प्रमुख विराम चिह्न

क्र.सं.	विराम चिह्नों का नाम	चिह्न
1.	पूर्ण विराम	—
2.	अर्ध विराम	— ;
3.	अल्प विराम	— ,
4.	प्रश्नसूचक	— ?
5.	विप्रश्नसूचक	— !
6.	योजक चिह्न	— -
7.	निर्देशक चिह्न	— -
8.	उद्धरण चिह्न	— एकल ‘’ युगल “”
9.	विवरण चिह्न	— :-
10.	कोष्ठक चिह्न	— ()
11.	त्रुटिपूरक चिह्न या हंसपद	— λ
12.	संक्षेप सूचक का लाघव चिह्न	— .

पूर्ण विराम—(।) पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है।

जैसे—(1) सुबह का समय था। (2) भारत मेरा देश है।

(2) अर्ध विराम (;)—जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है।

जैसे—भगतसिंह नहीं रहे; वे अमर हो गए।

नदी में बाढ़ आ गई; सभी अपना घर-बार छोड़कर जाने लगे।

(3) अल्पविराम (,)—अल्प विराम का प्रयोग अर्द्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है।

(4) प्रश्नसूचक चिह्न (?)—प्रश्न सूचक चिह्न का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी-कभी संदेह, अनिश्चय व व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्ठक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है।

जैसे— क्या तुमने अपना गृहकार्य पूरा कर लिया?

तुम कब आओगे?

(5) विस्मयसूचक चिह्न (!)—खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है।

जैसे— वाह! कितना सुंदर पक्षी है! (खुशी)

अरे! तुम आ गए! (आश्चर्य)

ओह! तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। (दुख)

(6) योजक चिह्न (-)—इस प्रकार के चिह्न का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है, जैसे पीला-सा, खेलते-खेलते, सुख-दुख।

जैसे— सभी के जीवन में सुख-दुख तो आते ही रहते हैं।

सफलता पाने के लिए दिन-रात एक करना पड़ता है।

(7) निर्देशक चिह्न (-)—किसी भी निर्देश या सूचना देनेवाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम (कवि, लेखक आदि का) लिखने के लिए किया जाता है।

जैसे— हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए-भगतसिंह, सुभाषचंद बोस, गाँधीजी आदि।

माँ ने कहा-बड़ों का आदर करना चाहिए।

(8) उद्धरण चिह्न (“ ”)—किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिह्न दो प्रकार के होते हैं—इकहरे (‘ ’) तथा दोहरे (“ ”) इकहरे चिह्न का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है।

जबकि किसी की कही बात को ज्यों की त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग करते हैं।

जैसे— ‘गोदान’ प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है।

सुभाषचंद्र बोस ने कहा था, “दिल्ली चलो।”

(9) **विवरण चिह्न (:-)**—इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है।

जैसे— गाँधीजी ने तीन बातों पर बल दिया—सत्य, अहिंसा और प्रेम।

(10) **कोष्ठक () चिह्न**—वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्ठक में () लिखा जाता है।

जैसे— यहाँ चारों वेदों (साम, ऋक्, यजु, अर्थव) की महत्ता बताई है।

(11) **त्रुटिपूरक चिह्न या हंसपद (λ)**—लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिह्न को लगाकर उपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिह्न को हंसपद या विस्मरण चिह्न भी कहते हैं।

जैसे— श्रेया माता पिता के साथ गई।

बाजार

श्रेया माता पिता के साथ λ गई।

(12) **संक्षेप सूचक (.)**—किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु (.) लगा देते हैं। यह शून्य लाघव चिह्न के नाम से जाना जाता है।

जैसे— बी.ए.-डॉ. अनुष्क शर्मा, पं. राम स्वरूप शर्मा

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. विराम-चिह्न किसे कहते हैं? इनका प्रयोग करना क्यों आवश्यक है?

प्र. 2. निम्नलिखित विराम चिह्नों के सामने उचित चिह्न लगाकर एक-एक उदाहरण लिखो—

(क) लाघव चिह्न— (ख) पूर्ण विराम—

(ग) कोष्ठक चिह्न— (घ) अल्प विराम—

(ङ) प्रश्नसूचक चिह्न—

प्र. 3. निम्न के चिह्न लिखो—

(1) पूर्ण विराम (2) हंसपद

(3) संक्षेपसूचक (4) अल्प विराम

(5) अर्ध विराम (6) प्रश्नवाचक

प्र. 4. निम्न वाक्यों में उचित विराम चिह्नों का प्रयोग कीजिए—

मेज पर पुस्तक पेंसिल व बैग रखा है

अरे देखो वह कौन आ रहा है

गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है

अध्याय-14

शुद्धीकरण (शब्द एवं वाक्य)

शब्द शुद्धि

भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाइ है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-

1. मात्रा प्रयोग—

हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है, जैसे-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अंतिथी	अंतिथि	आहुती	आहूति
इंदोर	इंदौर	ईकाई	इकाई
उर्जा	ऊर्जा	उहापोह	ऊहापोह
उषा	उषा	एरावत	ऐरावत
करुणा	करुणा	केकयी	कैकेयी
क्योंकी	क्योंकि	क्षिती	क्षिति
गितांजली	गीतांजलि	गोतम	गौतम
गोरव	गौरव	तिथी	तिथि
तियालीस	तैंतालीस	तिलांजली	तिलांजलि
त्रिपुरारी	त्रिपुरारि	त्यौंहार	त्योहार
दवाइयाँ	दवाइयाँ	दिवारात्रि	दिवारात्र
दीयासलाइ	दियासलाई	निरव	नीरव
निरिक्षण	निरीक्षण	नीती	नीति
नुपुर	नूपुर	प्रतिनीधी	प्रतिनिधि
प्रतीलीपि	प्रतिलिपि	पत्ति	पत्ती

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
पड़ौसी	पड़ोसी	परिक्षा	परीक्षा
परिक्षित	परीक्षित	पितांबर	पीतांबर
पुज्य	पूज्य	पूज्यनीय	पूजनीय
पुरुस्कार	पुरस्कार	बधाइयाँ	बधाइयाँ
बिमार	बीमार	मारुति	मारुति
मिट्टि	मिट्टी	मिलित	मीलित
मुल्य	मूल्य	मूर्ती	मूर्ति
मूमर्ष	मुमर्ष	मेथलीशरण	मैथिलीशरण
युयूत्सा	युयुत्सा	रचियता	रचयिता
रूप	रूप	रात्रि	रात्रि
रूपया	रूपया	शारीरिक	शारीरिक
श्रीमति	श्रीमती	हरितिमा	हरीतिमा

2. आगम-

शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है।

स्वर का आगम-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अत्याधिक	अत्यधिक	अहिल्या	अहल्या
अहोरात्रि	अहोरात्र	आधीन	अधीन
पहिला	पहला	तदानुकूल	तदनुकूल
प्रदर्शनी	प्रदर्शनी	वापिस	वापस
द्वारिका	द्वारका		

व्यंजन का आगम-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अंतर्धान	अंतर्धान	कृत्यकृत्य	कृतकृत्य
चिक्रीषा	चिक्रीषा		
मानवीयकरण	मानवीकरण	षष्ठ्	षष्ठ
सदृश्य	सदृश	समुन्द्र	समुद्र
सौजन्यता	सौजन्य		

3. लोप-

शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण (स्वर या व्यंजन) का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़कर

त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है, जैसे-

स्वर का लोप-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अगामी	आगामी	आजीवका	आजीविका
उज्यनी	उज्जयिनी	कालंदि	कालिंदी
जमाता	जामाता	महात्म्य	माहात्म्य
मोक्षदायनी	मोक्षदायिनी	बयाकरण	वैयाकरण
स्वस्थ्य	स्वास्थ्य		

व्यंजन का लोप-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुछेद	अनुच्छेद	उपलक्ष	उपलक्ष्य
गणमान्य	गण्यमान्य	छत्रछाया	छत्रच्छाया
जोत्सना	ज्योत्सना	धातव्य	ध्यातव्य
प्रतिछाया	प्रतिच्छाया	प्रतिढ्वंद्व	प्रतिढ्वंद्व
मत्सेंद्र	मत्स्येंद्र	मिष्टन	मिष्टन्न
याज्ञवल्क	याज्ञवल्क्य	व्यंग	व्यंग्य
सामर्थ	सामर्थ्य	स्वालंबन	स्वावलंबन

4. वर्ण व्यतिक्रम (क्रम भंग)-

शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है, जैसे-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अथिति	अतिथि	अपरान्ह	अपराह्न
आवाहन	आह्वान	आल्हाद	आह्लाद
चिन्ह	चिह्न	जिह्वा	जिह्वा
पूर्वान्ह	पूर्वाह्न	प्रल्हाद	प्रह्लाद
ब्रह्मा	ब्रह्मा	मध्यान्ह	मध्याह्न
विह्वल	विह्वल		

5. वर्ण परिवर्तन-

कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानीवश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है। अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अधिशाषी	अधिशासी	आंसिक	आंशिक
कनिष्ठ	कनिष्ठ	खंबा	खंभा

छीद्रान्वेशी	छिद्रान्वेषी	जुखाम	जुकाम
निशंग	निषंग (तरकश)	नृसंश	नृशंस
पुरुस्कार	पुरस्कार	प्रसासन	प्रशासन
यथेष्ट	यथेष्ट	रामायन	रामायण
वरिष्ठ	वरिष्ठ	विंधाचल	विंध्याचल
श्राप	शाप	सीधा-साधा	सीधा-सादा
संगटन	संगठन	संघटन	संघटन
संतुष्ट	संतुष्ट	सुश्रूषा	शुश्रूषा

6. संयुक्ताक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग-

दो व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्ताक्षर बनाता है वहीं दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो व तुरंत एक-दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। शुद्ध लोखन के लिए इन संयुक्त एवं द्वित्व वर्णों के प्रयोग में भी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अद्वितीय	अद्वितीय	उतम	उत्तम
उत्तीर्ण	उत्तीर्ण	उलंघन	उल्लंघन
उल्लेखित	उल्लिखित	निमित	निमित्त
न्यौछावर	न्योछावर	प्रज्ञवलित	प्रज्ञलित
बुद्धवार	बुधवार	योथा	योद्धा
रक्खा	रखा	विध्यालय	विद्यालय
वृद्धि	वृद्धि	शुद्धिकरण	शुद्धीकरण
संक्षिप्तिकरण	संक्षिप्तीकरण		

7. पंचम वर्ण/अनुस्वार/अनुनासिकता (चंद्र बिंदु) का प्रयोग-

कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिह्न के प्रयोग की आवश्यकता होती है।

इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है। अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है, जैसे-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अँकुर	अंकुर	अँधा	अंधा
आँसू	आँसू	ऊँचा	ऊँचा
काँच	काँच	कुआ	कुआँ
गाँधी	गाँधी	चन्वल	चंचल
चाँद	चाँद	जर्गनाथ	जगन्नाथ
झाँसी	झाँसी	झूँठ	झूठ
थूंक	थूक	दांत	दाँत

दिंगनाग	दिङ्नाग	पाचवां	पाँचवाँ
वांगमय	वाड्मय	षणमास	षणमास
घन्मुख	घण्मुख	सन्लग्न	संलग्न
सन्लाप	संलाप	सन्शय	संशय
सम्हार	संहार	हन्स	हंस
हंसना	हँसना	हंसमुख	हँसमुख
हंसिया	हँसिया		

8. 'रेफ' व 'र' के अशुद्ध प्रयोग-

'र' तथा रेफ के असावधानीपूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है। अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अर्थात्	अर्थात्	अहरनिश	अहर्निश
अनुगृह	अनुग्रह	अनुग्रहित	अनुगृहीत
आशिवाद	आशीर्वाद	ब्रशांगी	कृशांगी
चर्मोत्कर्ष	चरमोत्कर्ष	तीथंकर	तीर्थंकर
दुर्गाति	दुर्गाति	दर्शन	दर्शन
सर्मथ	समर्थ	नमर्दा	नर्मदा
पुर्नजन्म	पुनर्जन्म	प्रत्यर्पण	प्रत्यर्पण
ब्रह्मस्पति	बृहस्पति	मरयादा	मर्यादा
मूर्ढन्य	मूर्ढन्य	मुर्हत	मुहृत्
विगृह	विग्रह	ब्रह्मीकरण	बृद्धीकरण
श्रृंगार	शृंगार	संग्रहित	संगृहीत
सृष्टि	स्त्रष्टि	स्त्रोत्र	स्तोत्र
स्त्रोत	स्त्रोत	स्त्रष्टि	सृष्टि

9. संधि—

संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हों उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानीपूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अत्याधिक	अत्यधिक	अभ्यारण्य	अभ्यारण्य
अंताक्षरी	अंत्याक्षरी	अन्विती	अन्विति
अभ्यांतर	अभ्यंतर	उपरोक्त	उपर्युक्त
कविंद्र	कवींद्र	उच्छ्वास	उच्छ्वास

उज्ज्वल	उज्ज्वल	गत्यावरोध	गत्यावरोध
पुनरावलोकन	पुनरवलोकन	पुनरोक्ति	पुनरुक्ति
पुनरोत्थान	पुनरुत्थान	दुरावस्था	दुरवस्था
तत्त्वाधान	तत्त्वावधान	भगवतगीता	भगवद्गीता
भाष्कर	भास्कर	मेघाछ्नि	मेघाच्छ्नि
रविंद्र	रवींद्र	लघुतर	लघुतर
षट्यंत्र	षड्यंत्र	संसदसदस्य	संसत्सदस्य
सम्यकज्ञान	सम्यग्ज्ञान	सरवर	सरोवर

10. समास-

शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु समास के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा व्यवहार में आनेवाले सामासिक पदों के प्रयोग में समास के नियमों का ध्यान रख कर हम त्रुटियों से बच सकते हैं।

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अष्टवक्र	अष्टवक्र	अहोरात्रि	अहोरात्र
एकलोत्ता	इकलौता	दिवारात्रि	दिवारात्र
निरपराधी	निरपराध	सकुशलतापूर्वक	सकुशल/कुशलतापूर्वक
सशंकित	सशंक	योगीवर	योगिवर
यौवनावस्था	युवावस्था		

11. उपसर्ग-

उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्दों में उचित उपसर्ग की पहचान कर लेखन या वाचन करने से शब्दों का शुद्ध प्रयोग संभव हो सकता है, जैसे-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनाधिकार	अनधिकार	तदोपरांत	तदुपरांत
निरावलंब	निरवलंब	निशुल्क	निशुल्क/निःशुल्क
निराभिमान	निरभिमान	निरालंकृत	निरलंकृत
निसंकोच	निसंकोच	बेफ़िज़ूल	फ़िज़ूल/फ़िज़ूल
बर्इमान	बेर्इमान	सदृश्य	सादृश्य/सदृश
सशंकित	सशंक/शंकित	सानंदपूर्वक	सानंद/आनंदपूर्वक

12. प्रत्यय-

प्रत्यय के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः प्रत्यय के सही व सावधानीपूर्वक प्रयोग से लेखन में होने वाली अशुद्धि से बच सकते हैं। जैसे-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुपातिक	आनुपातिक	उद्योगीकरण	औद्योगिकीकरण
उपनिवेशिक	ओपनिवेशिक	ऐतिहासीक	ऐतिहासिक
ऐश्वर्य	ऐश्वर्य	ओद्योगिक	औद्योगिक

ओदार्य	औदार्य	ओौदार्यता	उदारता
कार्पण्यता	कृपणता/कार्पण्य	कोंतेय	कॉंतेय
क्रोधित	क्रुद्ध	गोरवता	गुरुता
ग्रसित	ग्रस्त	चातुर्यता	चातुर्य/चतुरता
तत्कालिक	तात्कालिक	दरिद्रयता	दरिद्रता/दारिद्र्य
दैन्यता	दैन्य	धैर्यता	धीरता/धैर्य
प्रफुल्लित	प्रफुल्ल	प्रमाणिक	प्रामाणिक
प्रामाणिकरण	प्रमाणीकरण	प्रागेतिहासिक	प्रागैतिहासिक
प्रोद्योगिकी	प्रौद्योगिकी	भाग्यमान	भाग्यवान
वाल्मीकी	वाल्मीकि	व्यवहारिक	व्यावहारिक

13. लिंग-

हिन्दी में स्त्री लिंग व पुलिंग शब्दों के प्रयोग के विशिष्ट नियम हैं जो हम लिंग वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। लिंग परिवर्तन व पहचान के नियमों का सही प्रयोग हम अशुद्धियों से बच सकते हैं, जैसे-

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनाथिनी	अनाथ	कवित्री	कवियत्री
गुणवानी	गुणवती	चमारी	चमारिन
चूही	चुहिया	जेठी	जेठानी
ठाकुर्नी	ठकुराइन	दाती	दात्री
दुल्हा	दुल्हन	नेती	नेत्री
पिशाचिनी	पिशाची	भुजंगी	भुजंगिनी
विद्वानी	विदुषी	श्रीमति	श्रीमती
सुनारी	सुनारिन		

14. वचन-

हिन्दी में वचन दो प्रकार के होते हैं—एकवचन और बहुवचन। इनके प्रयोग व पहचान की विस्तृत चर्चा वचन वाले अध्याय में हो चुकी है। इनका ठीक तरीके से पालन हमें शुद्ध लेखन में मदद करता है, जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनेकों	अनेक	आसुएं	आँसू
इकाइयाँ	इकाइयाँ	गोवें	गौएँ
हिन्दुओं	हिन्दुओं	दवाइयाँ	दवाइयाँ
विद्यार्थीगण	विद्यार्थिगण		

वाक्य शुद्धि

जिस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी रखते हैं ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय भी उतना ही सावधान रहना जरूरी होता है। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या अज्ञानतावश कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं। ये त्रुटियाँ विशेष रूप से शब्दों के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग आदि के कारण होती हैं। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि होने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. अनावश्यक शब्द प्रयोग—

कई बार वाक्य रचना करते समय हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ एक ही अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों का दोहराव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। अतः वाक्य रचना में हमें इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण वाक्य

क्र.सं.	अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
1.	उसे लगभग शत प्रतिशत अंक मिले।	उसे शत प्रतिशत अंक मिले।
2.	मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ।	मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ।
3.	सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई।	दुनिया भर में यह बात फैल गई।
4.	वह विलाप करके रोने लगी।	वह विलाप करने लगी।
5.	विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है।	विंध्याचल बहुत प्राचीन है।
6.	किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए।	किसी और से परामर्श लीजिए।
7.	वह बहुत सज्जन पुरुष है।	वह बहुत सज्जन है।
8.	वह सबसे सुंदरतम् कमीज है।	वह सबसे सुंदर कमीज है।
9.	शायद वह जरूर जाएगा।	वह जरूर जाएगा।
10.	देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है।	देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है।
11.	सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए।	सप्रमाण स्पष्ट कीजिए।
12.	ठंडा बर्फ लाओ।	बर्फ लाओ।
13.	दासता युक्त गुलामी का का जीवन ठीक नहीं	दासता युक्त जीवन ठीक नहीं।
14.	कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं।	कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं।
15.	तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए।	नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए।
16.	वह पानी से पौधों को सिंचता है।	वह पौधों को सिंचता है।

2. अनुपयुक्त शब्द प्रयोग-

वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग भी अशुद्धि ला देता है। अतः हम किस प्रसंग में क्या लिख रहे हैं यह ध्यान में रखते हुए शब्द चयन करना चाहिए। जैसे-

क्र.सं.	अशुद्ध वाक्य	शुद्ध वाक्य
1.	उसने हाथी पर काठी बाँध दी।	उसने हाथी पर हौदा रख दिया।
2.	सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया।	सेना ने कुख्यात आतंकवादी मार गिराया।
3.	इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें।	इस सौभाग्यकांक्षणी कन्या को आशीर्वाद दें।
4.	गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक न सका	गोलियों की बौछार के समक्ष कोई टिक न सका।
5.	तुलसी ने मानस की रचना लिखी है।	तुलसी ने मानस की रचना की है।
6.	वह कढ़ाई-बुनाई जानती है।	वह कढ़ाई-बुनाई जानती है।
7.	शास्त्रीजी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ।	शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुःख हुआ।
8.	हमें चरखा कातना चाहिए।	हमें चरखा चलाना चाहिए।
9.	आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है।	आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है।
10.	तलवार एक उपयोगी अस्त्र है।	तलवार एक उपयोगी शस्त्र है।
11.	बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी है।	बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की धार पर चलने के समान कष्टदायी है।
12.	अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।	अपराधी को मृत्युदंड दिया गया।
13.	अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे।	अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भोंक रहे थे।
14.	कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं।	कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रहीं।
15.	देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया।	देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया।
16.	कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है।	कालचक्र से बचना संभव नहीं है।
17.	लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे।	लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे।

सर्वनाम संबंधी-

सर्वनाम शब्दों के अशुद्ध प्रयोग से भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है, जैसे-

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. मैंने कल जयपुर जाना है।
2. कोई डॉक्टर को बुला दो।
3. दूध में कौन गिर गया।
4. दरवाजे पर क्या खड़ा है?
5. जो भी हो, लौट आए।
6. मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए।
7. हमको सबको फिल्म देखने जाना है।
8. तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है।
9. मेरे को एक पैसिल चाहिए।
10. वह रेडियो पर बोल रहे थे।
11. उसने काम पूरा कर चुका है।
12. मैं रमेश को नहीं मारा हूँ।
13. सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त हैं।
14. मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ।
15. उसने समय पर पहुँचना है।
16. वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है।
17. मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है।
18. मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया।
19. यह ईमानदार इंसान हैं।
20. माता जी ने मुझको बुलाया।

शुद्ध वाक्य

- मुझे कल जयपुर जाना है।
किसी डॉक्टर को बुला दो।
दूध में क्या गिर गया।
दरवाजे पर कौन खड़ा है?
जो भी गया हो, लौट आए।
मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था।
और आप आ गए।
हम सबको फिल्म देखने जाना है।
आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है।
मुझे एक पैसिल चाहिए।
वे रेडियो पर बोल रहे थे।
वह काम पूरा कर चुका है।
मैंने रमेश को नहीं मारा है।
सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त हैं।
- मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ।
उसे समय पर पहुँचाना है।
वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है।
मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है।
मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया।
ये ईमानदार इंसान हैं।
माता जी ने मुझे बुलाया।

विशेषण संबंधी-

विशेषण शब्दों का अनुपयुक्त या अपूर्ण प्रयोग भी वाक्य में अशुद्धि ला देता है अतः वाक्य रचना में विशेषण शब्द प्रयुक्त करते समय भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है।

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. यह सबसे सुंदरतम कमीज है।
2. वे एक अच्छे डॉक्टर हैं।

शुद्ध वाक्य

- यह सुंदरतम कमीज है।
वे अच्छे डॉक्टर हैं।

3. धोबी ने अच्छे कपड़े धोए।
4. भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग
कहलाता है।
5. यह तो विचित्र अद्भुत विषय है।
6. यहाँ पठित लोग रहते हैं।
7. किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए।
8. आपको सेवानिवृत्ति के बाद के
भावी जीवन के लिए शुभकामनाएँ।
9. समस्त मानव मात्र का हित सोचिए।
10. सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है।

क्रिया संबंधी—

क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर भी वाक्य रचना में दोष आ जाता है। अतः वाक्य रचना के समय इनके चयन में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है।

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. अब हम भोजन खाएँगे।
2. घोड़ा चलते-चलते डट गया।
3. अब और स्पष्टीकरण करने की
आवश्यकता नहीं है।
4. अब वह वापस लौट चुका होगा।
5. उसकी आँख से आँसू बह रहा था।
6. इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना
निषेध है।
7. राम ने संकल्प लिया।
8. बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया।
9. उसने मुझे दस हजार रुपया दिया।
10. आगामी रविवार को वह जयपुर
गया था।

लिंग संबंधी—

वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुरूप लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है। अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा-सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं।

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. मीरा भक्त कवि थी।

धोबी ने कपड़े अच्छे धोए।
भक्तिकाल स्वर्ण युग कहलाता है।

यह तो विचित्र विषय है।
यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं।
किसी और से मिलिए।
आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के
लिए शुभकामनाएँ।
समस्त मानव जाति का हित सोचिए।
सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है।

शुद्ध वाक्य

अब हम भोजन करेंगे।
घोड़ा चलते-चलते अड़ गया।
अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता
नहीं है।
अब वह लौट चुका होगा।
उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे।
इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है।

राम ने संकल्प किया।
बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर
सो गया।
उसने मुझे दस हजार रुपये दिए।
आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा।

शुद्ध वाक्य

मीरा भक्त कवयित्री थी।

2. शहद बहुत मीठी है।
4. उस हत्थागिनी का पति मर गया।
5. रमा मेरी पड़ोसी है।
6. महादेवी विद्वान कवयित्री थीं।
7. सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है।
8. ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है।
9. रनों की औसत अच्छी है।
10. हवामहल की सौन्दर्य अनुपम है।

शहद बहुत मीठा है।
उस हत्थागिनी का पति मर गया।
रमा मेरी पड़ोसन है।
महादेवी विद्विषी कवयित्री थीं।
सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है।
ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है।
रनों का औसत अच्छा है।
हवामहल का सौन्दर्य अनुपम है।

वचन संबंधी—

वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुरूप होता है, ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना जरूरी होता है।

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. उसने दो कचौड़ी खाई
2. वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे।
3. उसके प्रण पखेर उड़ गया।
4. आँसू से मेरे कपड़े भीग गए।
5. नवरस में शृंगार रसराज कहलाता है।
6. पेड़ों पर कौआ बोल रहा है।
7. आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ।
8. अभी तीन बजा है।
9. सभी लड़कों का नाम बताओ।
10. चार आदमी के बैठने की व्यवस्था करो।

शुद्ध वाक्य

उसने दो कचौड़ियाँ खाई।
वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे।
उसके प्राण पखेर उड़ गए।
आँसुओं से मेरे कपड़े भीग गए।
नवरसों में शृंगार रसराज कहलाता है।
पेड़ों पर कौए बोल रहे हैं।
आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ।
अभी तीन बजे हैं।
सभी लड़कों के नाम बताओ।
चार आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो।

कारक संबंधी—

कारक और उसके चिह्न (परस्र) भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है।

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. मैंने आज खाना नहीं खाऊँगा।
2. उसने ठेलावाले से फल खरीद।
3. सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है।
4. वह आम को खा रहा है।
5. हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया।

शुद्ध वाक्य

मैं आज खाना नहीं खाऊँगा।
उसने ठेलेवाले से फल खरीद।
सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं।
वह आम खा रहा है।
हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया।

6. मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है।
 7. ध्वनि घर नहीं है।
 8. आज विधानसभा में महँगाई के ऊपर बहस होगी।
 9. दादू वाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है।
 10. वह शहर का सामान लाकर बेचता है।
- क्रमभंग संबंधी—**

वाक्य रचना में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है। ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है।

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ।
2. मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए।
3. बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है।
4. कलम रमा को रमेश ने दी।
5. यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है।
6. बंदर को काटकर गाजर खिलाओ।
7. कई रेल्वे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे।
8. सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा।
9. सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे।
10. अनेक भारत में जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं।

मुहावरे संबंधी—

मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देता है।

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. वह आजकल अपने मुँह मिया तोता बनने लगा है।
2. देशद्रोही लोग अँगरेजों को ऊंगली पर नचाते थे।

- मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है।
ध्वनि घर पर नहीं है।
आज विधानसभा में महँगाई पर बहस होगी।
दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है।
वह शहर से सामान लाकर बेचता है।

शुद्ध वाक्य

- बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ।
मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए।
बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है।
रमा ने रमेश को कलम दी।
यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है।
बंदर को गाजर काटकर खिलाओ।
रेल्वे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे।
सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा।
सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे।
भारत में अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग रहते हैं।

शुद्ध वाक्य

- वह आजकल अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने लगा है।
देशद्रोही लोग अँगरेजों की ऊँगली पर नाचते थे।

3. वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है।
4. वह तो कोल्हू की गाय है।
5. हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं।
6. ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना हो गया है।
7. शिवाजी ने शत्रु-सेना को दाँतों चने चबवाए।
8. उसके सामने अब की किसी दाल नहीं पकती।
9. बेइज्जती से उसके तन पर कालिख पुत गई।
10. महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े।

वर्तनी संबंधी—

अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है। अतः शब्दों की वर्तनी का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. रामायण की रचना वाल्मीकी ने की थी।
2. मानस के रचयिता तुलसीदास हैं।
3. सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री थी।
4. अतिथि भगवान का रूप होता है।
5. शिक्षा से भविष्य उज्ज्वल होता है।
6. राम ने अहिल्या का उद्घार किया था।
7. आज वह इंदौर गया है।
8. शृंगार रसराज कहलाता है।
9. यहाँ सभी प्रकार की दवाईयाँ मिलती हैं।
10. हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए।

संयोजक संबंधी—

दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी संयोजक का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसके अभाव में वाक्य में अशुद्धि हो जाती है।

- वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है।
 वह तो कोल्हू का बैल है।
 हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं।
 ठेकेदारी के काम में तो उसकी चाँदी हो गई है।
 शिवाजी ने शत्रु-सेना को नाकों चने चबवाए।
 उसके सामने अब किसी की दाल नहीं गलती।
 बेइज्जती से उसके मुँह पर कालिख पुत गई।
 महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े।

शुद्ध वाक्य

- रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी।
 मानस के रचयिता तुलसीदास हैं।
 सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री थी।
 अतिथि भगवान का रूप होता है।
 शिक्षा से भविष्य उज्ज्वल होता है।
 राम ने अहिल्या का उद्घार किया था।
 आज वह इंदौर गया है।
 शृंगार रसराज कहलाता है।
 यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं।
- हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए।

क्र.सं. अशुद्ध वाक्य

1. जैसा बोओगे, उसी प्रकार का पाओगे।
2. क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका।
3. आपको अब बस स्टैण्ड पहुँच जाना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाए।
4. यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली।
5. जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो।

अन्य महत्त्वपूर्ण वाक्य-

अशुद्ध वाक्य

1. उसकी सौन्दर्यता अनुपम है।
2. कृपया कल पधारने की कृपा कीजिए।
3. एक कविता की पुस्तक लाना।
4. उसे धैर्यता से काम लेना चाहिए।
5. वहाँ अनेकों लोग एकत्र थे।
6. राम की दृष्टि बड़ी पतली है।
7. मेरे को कविता याद करनी है।
8. अमित ने झूठ कही थी।
9. वह सकुशलतापूर्वक पहुँच गया।
10. वह बाजार में पुस्तक लेने गया।
11. इस मुद्रे के ऊपर बहस जरूरी है।
12. मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है।
13. दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थान हैं।
14. मैंने शिमला जाना है।
15. कृपया गंदगी मत कीजिए।
16. वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं।
17. हमारे बाला मकान खाली है।
18. माँ दही जमा रही है।

शुद्ध वाक्य

- जैसा बोओगे, वैसा काटोगे।
क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका।
आपको अब बस स्टैण्ड पहुँच जाना चाहिए ताकि आपको बस मिल जाए।
यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली।
जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, वैसा तुम भी करो।

शुद्ध वाक्य

- उसका सौंदर्य अनुपम है।
कृपया कल पधारें।
कविता की एक पुस्तक लाना।
उसे धैर्य से काम लेना चाहिए।
वहाँ अनेक लोग एकत्र थे।
राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है।
मुझे कविता याद करनी है।
अमित ने झूठ कहा था।
वह कुशलतापूर्वक पहुँच गया।
वह बाजार से पुस्तक लेने गया।
इस मुद्रे पर बहस जरूरी है।
मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है।

दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान हैं।

- मुझे शिमला जाना है।
कृपया गंदगी न कीजिए।
वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं।
हमारा मकान खाली है।
माँ दूध जमा रही है।

19. वह आटा पिसाने गया है।
20. यह आपका ही हस्ताक्षर है।
21. मन को लघु मत करो।
22. मैं तेरे को मिठाई लाया हूँ।
23. मेरे पास केवल मात्र दस रुपये हैं।
24. जैसा गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा।
25. फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे।
26. उसमें अभी बच्चाई है।
27. वहाँ की तम्बाकू अच्छी होती है।
28. सब्जी में हरी धनिया डाली गई।
29. इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है।
30. गार्गी एक विद्वान महिला थी।
31. जानता कौन है इस बात को।
32. बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ।
33. पढ़ाई में आलस्यता ठीक नहीं।
34. चोर दंड देने योग्य है।
35. इस खबर ने मुझे विस्मय कर दिया।
36. सविनयपूर्वक निवेदन है।
37. उसे भारी प्यास लगी है।
38. 15 अगस्त को देश गुलामी की दासता से आजाद हुआ।
39. वहाँ बहुत नीची खाई थी।
40. जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, वह जा सकते हैं।
41. इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की?
42. वह बुद्धिमान बालिका है।
43. महात्मा ने उसे श्राप दिया।
44. मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ।
45. वह घस में बैठा है।
46. उसकी लिपि हिंदी है।

वह गेहूँ पिसाने गया है।
 ये आपके ही हस्ताक्षर हैं।
 मन को छोटा मत करो।
 मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ।
 मेरे पास केवल दस रुपये हैं।
 जितना गुड़ डालो, उतना मीठा होगा।
 जो फल कल खरीदे थे, वे बहुत अच्छे थे।
 उसमें अभी बचपना है।
 वहाँ का तंबाकू अच्छा होता है।
 सब्जी में हरा धनिया डाला गया।
 इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है।
 गार्गी एक विदुषी महिला थी।
 इस बात को कौन जानता है?
 बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ।
 पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं।
 चोर दंड पाने योग्य है।
 इस खबर ने मुझे विस्मित कर दिया।
 सविनय/विनयपूर्वक निवेदन है।
 उसे बहुत प्यास लगी है।
 15 अगस्त को देश आजाद हुआ।

वहाँ बहुत गहरी खाई थी।
 जो लोग बाहर जाना चाहते हैं,
 वे जा सकते हैं।
 इस यंत्र का आविष्कार किसने किया?
 वह बुद्धिमती बालिका है।
 महात्मा ने उसे शाप दिया।
 मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ।
 वह घास पर बैठा है।
 उसकी लिपि देवनागरी है।

- | | |
|--|---|
| 47. चार बजने को दस मिनट है। | चार बजने में दस मिनट हैं। |
| 48. इस कठन काम को करने का बीड़ा
कौन चबाता है? | इस कठिन काम को करने का बीड़ा
कौन उठाता है? |
| 49. व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है। | व्यक्ति अपनी गरज से नाक रगड़ता है। |
| 50. वायुयान चार घंटा बाद आएगा। | वायुयान चार घंटे बाद आएगा। |
| 51. पूज्यनीय पिता जी नहीं आए। | पूज्य/पूजनीय पिता जी नहीं आए। |
| 52. चाय बहुत दानेदार है। | चाय बहुत दानेदार है। |
| 53. कृष्ण ने कंस की हत्या की। | कृष्ण ने कंस का वध किया। |
| 54. शीतल आम का रस पीजिए। | आम का शीतल रस पीजिए। |
| 55. कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार
किया। | कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। |

अभ्यास प्रश्न

निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

- प्र. 1. निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं-
- | | |
|-----------------|------------|
| (अ) निधि | (ब) गोपिनी |
| (स) दारिद्रियता | (द) सदृश्य |
- []
- प्र. 2. निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं-
- | | |
|--------------|---------------|
| (अ) गीतांजलि | (ब) प्रतिलिपि |
| (स) अहोरात्र | (द) रचियता |
- []
- प्र. 3. निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं-
- | | |
|---------------|--------------|
| (अ) तरुण्या | (ब) निधी |
| (स) स्वावलंबन | (द) मध्यान्ह |
- []
- प्र. 4. निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं-
- | | |
|-------------|-------------|
| (अ) प्रसासन | (ब) अतिथी |
| (स) निमित | (द) जगन्नाथ |
- []
- प्र. 5. निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं-
- | | |
|--------------|---------------|
| (अ) गोपी | (ब) पुर्णजन्म |
| (स) दरिद्रता | (द) अनुग्रह |
- []
- प्र. 6. आज गर्म लू चल रही है। वाक्य में अनावश्यक शब्द हैं-
- | | |
|--------|----------|
| (अ) आज | (ब) गर्म |
| (स) लू | (द) चल |
- []

प्र. 7. गुरु जी ने शिष्य को आर्शीवाद दिया। वाक्य में दोषपूर्ण शब्द हैं-

- | | |
|--------------|-----------|
| (अ) गरु जी | (ब) शिष्य |
| (स) आर्शीवाद | (द) दिया |
- []

प्र. 8. 'पानी पीकर नाम पूछना निर्धक है' वाक्य किस प्रकार के दोष को दर्शाता हैं-

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (अ) वर्तनी दोष | (ब) अनावश्यक शब्द |
| (स) सर्वनाम दोष | (द) मुहावरे का दोष |
- []

उत्तर-1. (अ) 2. (द) 3. (स) 4. (द) 5. (ब) 6. (ब) 7. (स) 8. (द)

प्र. 9. निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए-

विगृह, इक्षा, पहाड़, तत्कालिक, कालांदी, परीचय, त्रिमासिक, प्रामाणिकरण

प्र. 10. निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छाँटिए-

तृण, धोबन, निरालंकृत, रवींद्र, विह्वल, भौगोलिक, मेघाछन, सौंदर्य, वैदेही

प्र. 11. निम्नलिखित में से कौनसा वाक्य अशुद्ध हैं-

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| (क) अब तुम जाइये। | (ख) यहाँ शृंगार-सामग्री मिलती है। |
| (ग) तुम वास्तव में चतुर हो। | (घ) हिमालय पर्वतों का राजा है। |

प्र. 12. निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए-

- (i) हमें दूध को पीना चाहिए।
- (ii) तुम कुर्सी में बैठ जाओ।
- (iii) खरगोश को काटकर फल खिलाओ।
- (iv) ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है।
- (v) सेना ने गोलों व तोपों से आक्रमण किया।

अध्याय-15

मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है, जैसे—‘नौ दो ग्यारह होना’ मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बताकर ‘भाग जाना’ अर्थ को घोषित करता है। ठीक वैसे ही ‘दाँत खट्टे करना’ नामक मुहावरा स्वाद के खट्टेपन को न बताकर किसी को ‘बुरी तरह हराना’ नामक अर्थ अभिव्यक्त करता है।

लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है—लोक + उक्ति। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है।

लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावोत्पादक बनती है। लोकोक्ति को ‘कहावत’ नाम से भी जाना जाता है।

अंतर-

- मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है।
- मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है।
- मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रिया सूचक शब्द जैसे—करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है।
- मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं जबकि लोकोक्तियाँ समाज के भाषायी इतिहास को अभिव्यक्त करती हैं।

मुहावरे

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. अंक भरना | — स्नेहपूर्वक गले मिलना |
| 2. अंग-अंग ढीला होना | — बहुत थक जाना |
| 3. अंगारे उगलना | — क्रोध में कटु वचन कहना |
| 4. अंधा बनना | — जानते हुए भी ध्यान न देना |
| 5. अंधेर की लाठी होना | — एकमात्र सहारा |
| 6. अंधेर खाता होना | — सही हिसाब न होना |
| 7. अक्ल का दुश्मन होना | — मूर्ख होना |
| 8. अक्ल के घोड़े दौड़ाना | — केवल कल्पनाएँ करना। |

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 9. अक्ल के पीछे लट्ठ लिए घूमना | — बुद्धि विरुद्ध कार्य करना |
| 10. अगर-मगर करना | — बहाने बनाना |
| 11. अड़ियल टट्ठ होना | — जिद्दी होना |
| 12. अपना उल्लू सीधा करना | — अपना स्वार्थ सिद्ध करना |
| 13. अपना सा मुँह लेकर रह जाना | — किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना |
| 14. अपनी खिचड़ी अलग पकाना | — साथ मिलकर न रहना, अलग रहना |
| 15. अपने तक रखना | — किसी दूसरे से न कहना |
| 16. अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना | — अपना नुकसान स्वयं करना |
| 17. अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना | — अपनी प्रशंसा स्वयं करना |
| 18. आँखें खुलना | — सजग या सावधान होना |
| 19. आँखें चार होना | — आमना-सामना होना |
| 20. आँखें चुराना | — नजर बचाना |
| 21. आँच न आने देना | — जरा भी कष्ट न आने देना |
| 22. आँखों में खून उतरना | — अत्यधिक क्रोध करना |
| 23. आँखों में धूल झोंकना | — धोखा देना |
| 24. आँखों का तारा | — अत्यन्त प्यारा |
| 25. आँखें बिछाना | — प्रेमपूर्वक स्वागत करना |
| 26. आँखों पर परदा पड़ना | — भले-बुरे की परख न होना |
| 27. आँच न आने देना | — जरा भी कष्ट न आने देना |
| 28. आँचल पसारना | — प्रार्थना करना |
| 29. आँसू पोंछना | — धीरज व ढाढ़स बँधाना |
| 30. आँधी के आम होना | — सस्ती चीजें |
| 31. आकाश के तारे तोड़ना | — असंभव कार्य को अंजाम देना |
| 32. आईने में मुँह देखना | — अपनी योग्यता की जाँच कर लेना |
| 33. आग बबूला होना | — अत्यधिक क्रोध करना |
| 34. आग में धी डालना | — क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना |
| 35. आटे-दाल का भाव मालूम होना | — जीवन के यथार्थ को जानना |
| 36. आग लगने पर कुओँ खोदना | — मुसीबत के समय उपाय खोजना |
| 37. आड़े आना | — बाधक बनना |
| 38. आकाश टूटना | — अचानक बड़ी विपत्ति आना |
| 39. आपे से बाहर होना | — वश में न रह पाना |

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 41. आसमान सिर पर उठाना | — अत्यधिक शोर करना |
| 42. आठ-आठ आँसू रोना | — बुरी तरह रोना या पछताना |
| 43. आस्तीन का साँप होना | — कपटी मित्र |
| 44. इतिश्री होना | — अंत या समाप्त होना |
| 45. इधर-उधर की हौँकना | — व्यर्थ की बातें करना |
| 46. ईट का जवाब पत्थर से देना | — करारा जवाब देना |
| 47. ईट से ईट बजाना | — कड़ा मुकाबला करना |
| 48. ईद का चाँद होना | — बहुत दिनों बाद दिखना |
| 49. इशारों पर नचाना | — किसी को अपनी इच्छानुसार चलाना |
| 50. उंगली उठाना | — निन्दा करना या आरोप लगाना |
| 51. उगल देना | — सारा भेद प्रकट कर देना |
| 52. उंगली पर नचना | — किसी अन्य के इशारे पर चलना |
| 53. उड़ता तीर झेलना | — अनावश्यक विपत्ति मोल लेना |
| 54. उड़ती चिड़िया पहचानना | — थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना |
| 55. उन्नीस बीस का फर्क होना | — मामूली अंतर |
| 56. उल्टी गंगा बहाना | — रीति विरुद्ध कार्य करना |
| 57. उल्लू बनाना | — मूर्ख बनाना |

अन्य मुहावरे

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| एक आँख से देखना | — समदृष्टि या समभाव होना |
| एड़ी चोटी का जोर लगाना | — बहुत प्रयास करना |
| एक ही थाली के चट्टे-बट्टे होना | — समान प्रवृत्ति के होना |
| एक लाठी से हौँकना | — सबके साथ एक-सा व्यवहार करना |
| ऋण उतारना | — कर्ज अदा करना |
| ऋण मढ़कर जाना | — अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना |
| एक और एक ग्यारह होना | — संगठन में शक्ति होना |
| उल्टी पट्टी पढ़ना | — गलत शिक्षा देना |
| उल्टी माला फेरना | — अहित सोचना |
| ओखली में सिर देना | — जान-बूझकर विपत्ति मोल लेना |
| औने-पौने करना | — कम लाभ या कम कीमत में बेच देना |
| कच्चा चिट्ठा खोलना | — रहस्य बताना |
| कमर कसना | — तैयार होना |

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| कलेजा ठंडा होना | — मन को शांति मिलना |
| कागजी घोड़े दौड़ाना | — केवल कागजी कार्रवाई करना |
| काठ का उल्लू होना | — महामूर्ख होना, वज्र मूर्ख |
| कान खड़े होना | — चौकन्ना होना |
| कान पकड़ना | — गलती स्वीकार करना |
| कान में तेल डालकर बैठना | — सुनकर भी अनसुना करना |
| क्रोध काफूर होना | — गुस्सा गायब होना |
| काल कवलित होना | — मर जाना |
| किताबी कीड़ा होना | — हर समय पढ़ने में लगे रहना |
| कूच करना | — चले जाना |
| कोढ़ में खाज होना | — दुःख में और दुःख आना |
| कमर कसना | — किसी कार्य के लिए तैयार होना |
| कलेजा मुँह को आना | — घबरा जाना |
| कान का कच्चा होना | — जल्दी किसी के बहकावे में आना |
| कान भरना | — चुगली करना |
| कोल्हू का बैल होना | — निरंतर काम में जुटे रहना |
| कौड़ी के मोल बेचना | — अत्यन्त सस्ता होना |
| कान पर जूँ तक न रेंगना | — कोई असर न पड़ना |
| कंधे से कंधा मिलाना | — साथ देना |
| कन्नी काटना | — आँख बचाकर निकलना |
| कान कतरना | — चतुराई दिखाना |
| कलेजे का ढुकड़ा होना | — बहुत प्रिय |
| कान खोलना | — सावधान करना |
| कुएँ में भाँग पड़ना | — सबकी मति भ्रष्ट होना |
| कीचड़ उछालना | — अपमानित/बेइज्जत करना |
| कतर ब्योंत करना | — काट-छाँट करना |
| कफन की कौड़ी न होना | — दरिद्र होना |
| कब्र में पाँव लटकना | — मृत्यु के निकट होना |
| कमर कसना | — तैयार होना |
| कान भर जाना | — सुनते सुनते पक जाना |
| काम निकालना | — अपना मतलब पूरा करना |

- | | |
|--------------------------|--|
| किला फतेह करना | — किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना |
| खाल खींचना | — बहुत मारना |
| खाट पकड़ लेना | — बहुत बीमार पड़ जाना |
| खरी-खोटी कहना | — भला-बुरा कहना |
| खाक छानना | — मारे-मारे फिरना, निरुद्देश्य भटकना |
| खेत रहना | — युद्ध में मारे जाना |
| खाक में मिलना | — नष्ट होना |
| खून खौलना | — अत्यधिक क्रोध आना |
| खून-पसीना एक करना | — कठोर परिश्रम करना |
| ख्याली पुलाव पकाना | — कोरी (व्यर्थ) कल्पनाएँ करना |
| खून का घृंठ पीकर रह जाना | — चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना |
| खरी-खरी सुनाना | — साफ-साफ कहना |
| खून सूखना | — भयभीत होना |
| खटाइ में पड़ना | — कार्य में व्यवधान आना |
| खिचड़ी पकाना | — गुप्त योजना बनाना |
| गंगा नहाना | — किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना |
| गड़े-मुर्दे उखाड़ना | — पुरानी बातें करना |
| गले मढ़ना | — जबरन कार्य सौंपना |
| गागर में सागर भरना | — थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना |
| गाजर मूली समझना | — तुच्छ समझना, मामूली मानना |
| गाल बजाना | — बढ़-चढ़कर बातें करना |
| गुड़ गोबर करना | — बना कार्य बिगाड़ देना |
| गिरणिट की तरह रंग बदलना | — अवसरवादी होना |
| गाँठ बाँधना | — स्थायी रूप से याद रखना |
| गाँठ पड़ना | — द्वेष का स्थायी होना |
| गूदड़ी का लाल होना | — गरीबी में भी गुणवान होना |
| गंगा नहाना | — दायित्व से मुक्ति मिलना |
| गाल फुलाना | — गुस्सा होना |
| घोड़े बेचकर सोना | — निश्चिंत होकर सोना |
| घुटने टेकना | — हार मानना |
| घी के दीये जलना | — खुशियाँ मनाना |

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| घड़ों पानी पड़ना | — लज्जित होना |
| घर पूँककर तमाशा देखना | — अपना नुकसान होने पर भी मौज करना |
| घाट-घाट का पानी पीना | — स्थान-स्थान का अनुभव होना |
| घास काटना | — बिना गुणवत्ता कार्य करना |
| घाव हरा होना | — भूला दुख-दर्द याद आना |
| घर बसाना | — विवाह करना |
| चौंटी के पर निकलना | — मृत्यु के दिन समीप आना |
| चल बसना | — मृत्यु होना |
| चैन की बंशी बजाना | — मौज करना |
| चोली दामन का साथ होना | — बहुत निकटता |
| चिकना घड़ा होना | — कुछ भी असर न होना, बेशर्म होना |
| चाँदी का जूता मारना | — घूस (रिश्वत) देना |
| चार चाँद लगना | — शोभा में वृद्धि होना |
| चादर से बाहर पैर पसारना | — आय से ज्यादा खर्च करना |
| चूना लगाना | — नुकसान करना |
| चार दिन की चाँदनी होना | — अल्पकालीन सुख |
| चूड़ियाँ पहनना | — कायरता दिखाना |
| चारों खाने चित्त होना | — बुरी तरह हारना |
| चंगुल में फँसना | — पकड़ में आना |
| चक्की पीसना | — जेल की सजा भुगतना |
| चिकना देख फिसल पड़ना | — किसी के रूप या धन पर लुभा जाना |
| चित्त उचटना | — मन न लगना |
| छक्के छुड़ना | — बुरी तरह हराना |
| छठी का दूध याद आना | — संकट में पड़ना |
| छाती पर मूँग लतना | — साथ रहकर परेशान करना |
| छप्पर फाड़कर देना | — बिना परिश्रम बहुत देना |
| छाती पर पत्थर रखना | — धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना |
| छाती पर साँप लौटना | — ईर्ष्या करना |
| छाँह तक न छूने देना | — समीप न आने देना |
| छेँटे-छेँटे फिरना | — दूर-दूर रहना |
| छठे छमासे आना | — कभी-कभी आना |

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| छप्पर पर फूस न होना | — अत्यन्त गरीब होना |
| छाती ठोकना | — कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना |
| छींकते नाक काटना | — छोटी बात पर बड़ा दंड देना |
| जले पर नमक छिड़कना | — दुखी व्यक्ति को और दुखी करना |
| जान हथेली पर रखना | — मृत्यु की परवाह न करना |
| जहर का धूँट पीकर रह जाना | — कड़वी बात सहन करना |
| जहर उगलना | — कड़वी बातें कहना |
| जी तोड़कर काम करना | — बहुत परिश्रम करना |
| जान पर खेलना | — साहसी कार्य करना |
| जिन्दा मक्खी निगलना | — स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना |
| जी चुराना | — कार्य से स्वयं को अलग रखना |
| जहर उगलना | — अपमानजनक बातें कहना |
| जड़ काटना | — समूल नष्ट करना |
| जमीन आसमान एक करना | — सभी उपाय करना |
| जमीन आसमान का अंतर | — बड़ा भारी अंतर |
| जान के लाले पड़ना | — प्राण संकट में पड़ना |
| जूतियाँ चाटना | — चापलूसी करना |
| जंजाल में पड़ना | — संकट में पड़ना |
| जलती आग में कूदना | — जान-बूझकर विपत्ति में पड़ना |
| जिन्दगी के दिन पूरे करना | — मृत्यु के दिन समीप होना |
| जिल्लत उठाना | — अपमानित होना |
| जी छोटा करना | — हृदय के उत्साह में कमी |
| जूठे हाथ से कुत्ता न मारना | — अत्यधिक कंजूस होना |
| झंडा गाड़ना | — अधिकार करना |
| टाँग अड़ना | — बाधा डालना |
| टेढ़ी ऊँगली से धी निकालना | — कठोरता से काम निकालना |
| टेढ़ी खीर होना | — कठिन काम |
| टोपी उछालना | — अपमानित करना |
| टका सा जवाब देना | — साफ-साफ मना करना |
| टका सा मुँह लेकर रह जाना | — लज्जित होना |
| टक्कर लेना | — मुकाबला करना |

टस से मस न होना	— अपने इरादे से न हटना
ठीकरा फोड़ना	— दोष लगाना, आरोप लगाना
ठोड़ी पर हाथ धरे बैठना	— चिंतामग्न बैठना
ठकुर सुहाती बातें करना	— चापलूसी करना
ठगा-सा रह जाना	— किंकर्तव्यविमूढ़ होना
डींग हाँकना	— व्यर्थ गप्पे लगाना
डकार जाना	— किसी की वस्तु हड़प लेना
डंका बजना	— प्रभाव होना
डंके की चोट कहना	— खुले आम कहना/खुल्लम खुल्ला कहना
डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना	— सबसे अलग राय होना
ढाई दिन की बादशाहत करना	— थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना
ढिंदोरा पीटना	— अति प्रचारित करना
ढोल में पोल होना	— सारहीन होना
तलवे चाटना	— खुशामद करना
तिल का ताड़ करना	— छोटी सी बात को बढ़ाना
तूती बोलना	— प्रभाव होना
तलवार के घाट उतारना	— मार देना
तितर-बितर होना	— बिखर जाना
तख्ता उलटा	— सरकार बदलना
तेली का बैल होना	— हर समय काम में जुटे रहना
तेवर चढ़ना	— गुस्सा आना
तह तक पहुँचना	— बात का ठीक से पता लगाना
ताँता बँधना	— आने का क्रम न रुकना
तारे गिनना	— बैचेनी से रात गुजारना
ताव देखना	— अंदाजा लगाना
थूक कर चाटना	— अपनी बात से फिरना
थाह लेना	— भेद पता करना
दाँत खट्टे करना	— परास्त करना
दाँतों तले उँगली दबाना	— आश्चर्यचकित होना
दाहिना हाथ होना	— विश्वासपात्र होना
दाल में काला होना	— शक होना

दाईं से पेट छिपाना	— जानकार से बात छिपाना
दो टूक बात कहना	— स्पष्ट कहना
दूध के दाँत न टूटना	— अनुभवहीन होना
दिन दूना रात चौगुना होना	— शीघ्र होनेवाली वृद्धि
दीया लेकर ढूँढ़ना	— ठीक तरह से खोजना
दिन फिरना	— अच्छा समय आना
दोनों हाथों में लड्डू होना	— लाभ ही लाभ होना
दिन-रात एक करना	— बहुत परिश्रम करना
दाल गलना	— काम बनना
दबी जबान से कहना	— अस्पष्ट कहना
दाँत कुरेदने को तिनका न होना	— सब कुछ चले जाना
दाना-पानी छोड़ना	— अन्न-जल त्यागना
दाल-रोटी चलना	— जीविका निर्वाह करना
दाँव चूकना	— अवसर हाथ से निकल जाना
धूप में बाल सफेद न करना	— अनुभवशून्य न होना
धजियाँ उड़ाना	— ध्वस्त करना, दुर्गति करना
धरती पर पाँव न पड़ना	— अभिमानी होना
नाक कटना	— बेइज्जत करना
नकेल डालना	— वश में करना
नाक रगड़ना	— किसी की खुशामद करना
नाक-भौं सिकोड़ना	— घृणा करना
नानी याद आना	— संकट का अहसास होना, घबरा जाना
नौं दो ग्यारह होना	— भाग जाना
नाच नचाना	— परेशान करना
नब्ज पहचानना	— ठीक से जानना, स्वभाव पहचानना
नहले पर दहला होना	— करारा जवाब देना
नमक-मिर्च लगाना	— बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना
नाक रखना	— इज्जत बचाना
पगड़ी उछालना	— बेइज्जत करना
पहाड़ टूट पड़ना	— बड़ी विपत्ति आना
पेट पालना	— जीवन यापन करना

पेट में दाढ़ी होना	— बचपन से ही चतुर होना
पापड़ बेलना	— बहुत मेहनत करना
प्राण हथेली पर रखना	— प्राणों की परवाह न करना
पानी-पानी होना	— लज्जित होना
पाँचों उंगलियाँ धी में होना	— सब ओर से लाभ ही लाभ होना
पेट काटना	— अत्यधिक कंजूसी करना
पानी में आग लगाना	— असंभव कार्य करना
पीठ दिखाना	— भाग जाना या पलायन करना
पेट में चूहे कूदना	— भूख लगना
पलक पावड़े बिछाना	— प्रेमपूर्वक स्वागत करना
फूँक मारना	— भड़काना
फूँक-फूँक कर कदम रखना	— सावधानीपूर्वक कार्य करना
फूल झड़ना	— मधुर वचन बोलना
बंदर घुड़की	— असरहीन धमकी
बच्चों का खेल	— आसान काम
बड़े घर की हवा खाना	— जेल जाना
बाँह हाथ का खेल	— आसान काम
बाँछें खिलना	— प्रसन्न होना
बालू से तेल निकालना	— असंभव कार्य करना
बट्टा लगाना	— कलंकित करना
बाजी मारना	— जीत जाना
बाल की खाल निकालना	— सूक्ष्म अन्वेषण
बीड़ा उठाना	— कार्य का संकल्प लेना
बातें बनाना	— बहाना करना
बालू की भीत होना	— शीघ्र नष्ट होनेवाली वस्तु
बेड़ा पार होना	— कष्ट से मुक्ति होना
बाल बाँका न होना	— कोई नुकसान न होना
भंडा फोड़ना	— भेद खोलना
भौंह तानना	— कुद्द होना
भाड़ झोंकना	— व्यर्थ समय गेंवाना
भिड़ के छत्ते को छेड़ना	— झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना

मुँह की खाना	— हारना, बुरी तरह पराजित होना
मुँह काला करना	— कलंकित होना, बदनामी होना
मुट्ठी गर्म करना	— रिश्वत देना
मक्खीचूस होना	— अत्यधिक कंजूस होना
मन मारना	— कामनाओं पर नियंत्रण करना
मक्खी मारना	— फालतू बैठना
मुट्ठी में करना	— वश या नियंत्रण में करना
मर-पचना	— बहुत कष्ट सहना
मशाल लेकर छूँढना	— अच्छी तरह खोजना
मौका देखना	— अवसर की तलाश में रहना
मैदान मारना	— जीतना
यमलोक भेजना	— मार डालना
यश कमाना	— प्रतिष्ठा प्राप्त करना
रंग सियार होना	— धूर्त होना
रंग में भंग होना	— खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना
राई का पहाड़ करना	— छोटी बात को बड़ी करना
रोंगटे खड़े होना	— रोमांचित होना
रंगे हाथों पकड़ना	— अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना
रास्ता देखना	— प्रतीक्षा करना
रंग चढ़ना	— प्रभाव पड़ना
रुपया ठीकरी करना	— अपव्यय करना
रोब जमाना	— धाक जमाना
रोब मिट्टी में मिलना	— प्रभाव खत्म होना
लाल पीला होना	— क्रोध करना
लोहा मानना	— स्वीकार करना, बहादुरी स्वीकारना
लहू का धूंट पीना	— चुपचाप अपमान सहना
लकीर का फकीर होना	— पुरातनपंथी होना
लट्टू होना	— रीझना
लोहे के चने चबाना	— कठिन कार्य करना
लोहा लेना	— मुकाबला करना
शेर के कान कतरना	— चालाक होना

त्रीगणेश करना	— शुभारंभ करना
शीशे में मुँह देखना	— अपनी योग्यता पर जाना
सफेद झूठ	— बिल्कुल झूठ
सञ्जबाग दिखाना	— झूठे आश्वसन देना, झूठे स्वप्न दिखाना
सिर आँखों पर लेना	— सम्मान देना
सिर मुँडाते ही ओले गिरना	— कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना
सिर उठाना	— विरोध करना
सूखकर काँटा होना	— अत्यधिक दुर्बल
सूरज को दीपक दिखाना	— प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना
सिक्का जमाना	— प्रभाव जमाना
सोने में सुगंध होना	— एक वस्तु में एकाधिक गुण
हवा से बातें करना	— तेज गति से चलना
हथियार डालना	— हार मानना
हवाई किले बनाना	— व्यर्थ कल्पनाएँ करना
हाथ खींचना	— सहायता बंद करना
हाथ पीले करना	— विवाह करना
हथियार डालना	— हार मानना
हाथ-पाँव फूल जाना	— घबरा जाना
हाथ का मैल होना	— तुच्छ वस्तु
हाथ मलना	— पश्चाताप करना
हाथ को हाथ न सूझना	— घना अंधकार होना
हवन करते हाथ जलना	— भलाई करते बुरा होना
हाथ बँटाना	— मदद करना
हाथ पैर मारना	— प्रयास करना

लोकोक्तियाँ

- अंधा क्या चाहे दो आँखें।
- अंधेर नगरी चौपट राजा।
- अंधा बौंटे रेवड़ी फिर-फिर अपने को देय।
- अंधे के हाथ बटेर लगना।
- इच्छित वस्तु की प्राप्ति।
- अयोग्य प्रशासन
- अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है।
- बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति।

- अंधों में काना राजा।
- अधजल गगरी छलकत जाय।
- अपनी करनी पार उतरनी।
- अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
- अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
- अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई।
- अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना।
- अकल बड़ी या भैस
- अटका बनिया देय उधार।
- अपना रख पराया चख।
- अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग।
- अरहर की टट्टी गुजराती ताला।
- अपना हाथ जगन्नाथ।
- आँख का अंधा, गाँठ का पूरा।
- आँख बची और माल यारों का।
- आधी छोड़ पूरे ध्यावे, आधी मिले न पूरे पावै।
- आम के आम गुठलियों के दाम।
- आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास।
- आगे कुआँ पीछे खाई।
- आ बैल मुझे मार।
- आगे नाथ न पीछे पगहा।
- आठ बार नौ त्पोहार।
- मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है।
- अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतरता है।
- मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है।
- अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है।
- हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है।
- परिश्रम कोई करे फल किसी अन्य को मिले।
- सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है।
- शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धिबल श्रेष्ठ होता है।
- मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है।
- स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना।
- तालमेल न होना।
- बेमेल प्रबंध, सामान्य चीजोंकी सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना।
- अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त रहता है।
- बुद्धिहीन किंतु संपन्न।
- ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है।
- अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना।
- दुगुना लाभ।
- बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना।
- सब ओर कष्ट ही कष्ट होना।
- जान-बूझकर विपत्ति मोल लेना।
- पूर्णतः बंधन रहित/बेसहारा।
- मौजमस्ती से जीवन बिताना।

- आप भले तो जग भला।
- आसमान से गिरा, खजूर में अटका।
- आठ कनौजिये नौ चूल्हे।
- इन तिलों में तेल नहीं।
- इधर कुआँ उधर खाई।
- ऊँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना।
- उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई।
- उल्या चोर कोतवाल को डॉट।
- उल्टे बाँस बरेली को।
- ऊँट के मुँह में जीरा।
- ऊँची दुकान फीका पकवान।
- ऊँट किस करवट बैठता है।
- ऊधो का लेना न माधो का देना।
- उधार का खाना फूस का तापना।
- ऊधो की पगड़ी, माधो का सिर।
- एक अनार सौ बीमार।
- एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा।
- एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है।
- एक तो चोरी दूसरे सीना-जोरी।
- एक म्यैन में दो तलवारें नहीं समा सकती।
- एकै साथे सब सधे, सब साथे जब जाय।
- एक ही थैली के चट्टे-बट्टे होना।
- स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं।
- काम पूरा होते-होते व्यवधान आ जाना।
- अलगाव या फूट होना।
- कुछ मिलने या मदद की उम्मीद न होना।
- सब ओर संकट।
- थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना।
- एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है।
- दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना।
- विपरीत कार्य करना।
- आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम।
- मात्र दिखावा।
- परिणाम किसके पक्ष में होता है/अनिश्चित परिणाम।
- किसी से कोई लेना-देना न होना।
- बिना परिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरर्थक प्रयास करना।
- किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना।
- बस्तु अल्प चाह अधिक लोगों की।
- एकाधिक दोष होना
- एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार/समूह की बदनामी होना।
- अपराध करके रौब जमाना।
- दो समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते।
- एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है।
- समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति।

- एक पंथ दो काज।
- एक हाथ से ताली नहीं बजती।
- ओछे की प्रीत बालू की भीत।
- ओस चाटे प्यास नहीं बुझती।
- ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर।
- कंगाली में आटा गीला।
- कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर।
- करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
- करे कोई भरे कोई।
- कहीं की इंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा।
- कौवों के कोसे ढोर नहीं मरते।
- काला अक्षर भैंस बराबर।
- कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है।
- कोयले की दलाली में हाथ काला।
- कौआ चले हंस की चाल।
- काबुल में क्या गधे नहीं होते।
- कभी धी घना तो कभी मुट्ठी चना।
- खग ही जाने खग की भाषा।
- खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है।
- खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे।
- एक कार्य से दोहरा लाभ।
- केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं होता।
- ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है।
- अल्प साधनों से आवश्यकता या कार्य पूरा नहीं हो पाता है।
- कठिन कार्य का जिम्मा लेने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए।
- संकट में एक और संकट आना।
- परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं।
- अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है।
- किसी अन्य की करनी का फल भोगना।
- बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनाना।
- बुरे आदमी के बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती।
- अनपढ़ होना/निरक्षर होना।
- अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं।
- कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही है।
- किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना
- मूर्ख सभी जगह मिलते हैं।
- परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, सदैव एक-सी नहीं रहती।
- अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं।
- देखा-देखी परिवर्तन आना।
- असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है।

- खोदा पहाड़ निकली चुहिया।
- खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती।
- खुदा देता है तो छप्पर फाड़कर देता है।
- गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास।
- गरीब की जोरू सबकी भाभी।
- गुड़ दिए मेरे तो जहर क्यों दे।
- गुड़ न दे, पर गुड़ की सी बात तो करे।
- गुरु जी गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए।
- गोद में छोरा (लड़का) शहर में ढिंढोरा।
- घड़ी में तोला घड़ी में मासा।
- घर का भेदी लंका ढाए।
- घर की मुर्मी दाल बराबर।
- घर खीर तो बाहर खीर।
- घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने।
- घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या।
- घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध।
- चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भर न काठ।
- चट मंगनी पट ब्याह।
- चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय।
- चाँद को भी ग्रहण लगता है।
- चार दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात।
- चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता।
- चोरी का माल मोरी में।
- चोर-चोर मौसरे भाई।
- अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ।
- ईश्वर किसे, कब, क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता।
- ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी मालामाल हो जाता है।
- सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति।
- कमज़ोर आदमी पर सभी रोब जमाते हैं।
- जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों कीजिए।
- कुछ अच्छा दे न दे पर अच्छी बात तो करे।
- छोटे व्यक्ति का अपने बड़ों से आगे निकलना।
- पास रखी वस्तु को दूर-दूर तक खोजना।
- अस्थिर मनोवृत्ति।
- आपसी फूट का बुरा परिणाम होना।
- अपनी वस्तु की कद न करना।
- अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है।
- झूठा दिखावा करना।
- मजदूरी लेने में संकोच कैसा
- बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना।
- श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है।
- तुरंत कार्य संपादित करना।
- अत्यधिक कंजूस।
- भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं।
- अल्पकालीन सुख।
- निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है।
- बुरी कर्माई का बुरे कार्यों में खर्च होना।
- दुष्ट लोगों में मित्रता होना।

- चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाता।
- चोर को कहे चोरी कर, साहूकार को कहे जागते रहो
- चोर की दाढ़ी में तिनका।
- छल्लूदर के सिर में चमेली का तेल।
- छोटा मुँह बड़ी बात।
- छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभानल्लाह।
- जंगल में मोर नाचा किसने देखा।
- जब तक जीना तब तक सीना।
- जब तक साँस तब तक आस।
- जल में रहकर मगर से बैर।
- जहाँ गुड़ होगा, वहाँ मक्खियाँ होंगी।
- जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि।
- जहाँ मुर्गा नहीं होता, क्या वहाँ सवेरा नहीं होता।
- जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ।
- जिस थाली में खाना उसी में छेद करना।
- जिसकी लाठी उसकी भैंस।
- जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
- जीती मक्खी नहीं निगली जाती।
- जो गुड़ खाये सो कान छिदाए।
- अल्प साधनों से बड़ा काम संभव नहीं होता।
- दो पक्षों को आपस में भिड़ाना।
- दोषी अपने दोष का संकेत दे देता है।
- कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना।
- सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना।
- छोटे की तुलना में बड़े में ज्यादा अवगुण होना।
- गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थल पर ही करना चाहिए।
- जीवन पर्यन्त व्यक्ति को काम धंधा करना होता है।
- अंतिम समय तक आशा बनी रहना।
- साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं।
- जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग एकत्र होते ही हैं।
- कवि की कल्पना का विस्तार सभी जगहों तक होता है।
- संसार में किसी के अभाव में कोई कार्य नहीं रुकता।
- कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव होती है।
- उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना।
- शक्तिशाली की विजय होती है।
- जिसने कभी दुख न भोगा हो, वह दूसरों की पीड़ी नहीं जान सकता।
- जानते हुए गलत को नहीं स्वीकारा जा सकता।
- लाभ के लालच के कारण कष्ट सहना पड़ता है।

- झूठ के पैर नहीं होते।
- झटपट की घानी आधा तेल आधा पानी।
- झोंपड़ी में रहकर महलों के खाब।
- टेढ़ी उँगली किए बिना घी नहीं निकलता।
- टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली।
- ठंडा लोहा गरम लोहे को काट देता है।
- ठोकर लगे पहाड़ की तोड़े घर की सील।
- डूबते को तिनके का सहारा।
- ढाक के तीन पात।
- ढोल के भीतर पोल।
- तीन लोक से मथुरा न्यारी।
- तू डाल-डाल मैं पात-पात।
- तेल देखो तेल की धार देखो।
- तेली का तेल जले मशालची का दिल जले।
- तेते पाँव पसारिये, जेती लंबी सौर।
- तन पर नहीं लत्ता, पान खाये अलबत्ता।
- तबेले की बला बंदर के सिर।
- तेली के बैल को घर ही पचास कोस।
- थका ऊँट सराय ताकता।
- थोथा चना बाजे घना।
- दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है।
- दान की बछिया के दाँत नहीं गिने जाते।
- दाल-भात में मूसलचंद।
- झूठ ज्यादा टिकाऊ नहीं होता।
- जल्दबाजी में किया गया काम बेकार होता है।
- सामर्थ्य से अधिक चाहना।
- सीधेपन से काम नहीं चलता।
- थोड़ी सी हानि के द्वारा धोखेबाज को पहचानना।
- शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है।
- बाहर के बलवान व्यक्ति से चोट खाने का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना।
- संकट के समय में थोड़ी सी सहायता भी लाभप्रद होती है।
- सदा एक सी स्थिति।
- दिखावटी वैभव या शान।
- सबसे अलग विचार रखना।
- एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना।
- कार्य होने व उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना।
- खर्च कोई करे, परेशान कोई और हो।
- सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना।
- अभावों में भी झूठी शान का प्रदर्शन।
- किसी का दोष किसी दूसरे पर मढ़ना।
- घर में ही कार्य की अधिकता होना।
- थकने पर सभी को विश्राम चाहिए।
- अल्पज्ञानी व्यक्ति अधिक डींगें हाँकता है।
- दोषी व्यक्ति अपने से कमज़ोर के आगे भी झुकता है।
- मुफ्त में मिली वस्तु के गुण-दोष नहीं देखे जाते।
- अनावश्यक दखल देने वाला।

- दिल्ली अभी दूर है।
- दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है।
- दुविधा में दोने गए माया मिली न राम।
- दूर के ढोल सुहावने होते हैं।
- देसी कुतिया, विलायती बोली।
- दूध का जला, छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीता है।
- धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।
- धोबिन पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे।
- धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को।
- धन का धन गया, मीत की मीत गई।
- न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी।
- नक्कारखाने में तूती की आवाज।
- न सावन सूखों न भादों हरी।
- न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।
- नाच न जाने आँगन टेढ़ा।
- नेकी कर कुए में डाल।
- नेकी और पूछ-पूछ।
- नीम हकीम खतरे जान।
- नौ नकद तेरह उधार।
- नौ दिन चले अढ़ाई कोस।
- सफलता अभी दूर है।
- जिस व्यक्ति से लाभ हो उसका गुस्सा भी सहना पड़ता है।
- दुविधाग्रस्त स्थिति में कुछ भी फल लाभ संभव नहीं होता।
- दूर से वस्तुएँ अच्छी लगती हैं।
- किस अन्य की नकल करना।
- एक बार ठोकर खाया व्यक्ति आगे विशेष सावधानी बरतता है।
- दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता।
- सामर्थ्यवान पर बस न चलने पर कमज़ोर पर रौब जमाना।
- अपने-अपने नुकसान की चिंता करना।
- उधार के कारण धन व मित्रता दोनों नहीं रहते।
- अनहोनी शर्त रखना।
- बड़ों के बीच छोटे आदमी की बात कोई नहीं सुनता है।
- सदैव एकसी स्थिति।
- झगड़े के कारण को समाप्त करना।
- स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियाँ ढूँढ़ना।
- भलाई करके भूल जाना।
- अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती।
- अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है।
- भविष्य में बड़े लाभ की आशा की अपेक्षा आज होनेवाला छोटा काम बेहतर होता है।
- अधिक समय में थोड़ा काम।

- नौ सौ चूहे खाय बिल्ली हज को चली।
- न ऊर्ध्वा का लेना न माधो का देना।
- नमाज छोड़ने गए रोजे गले पड़े।
- नानी के आगे ननिहाल की बातें।
- नाई की बरात में सब ठाकुर ही ठाकुर।
- नाम बड़े और दर्शन छोटे।
- पढ़े तो हैं किंतु गुने नहीं।
- पराया घर थूकने का भी डर।
- पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती।
- पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं।
- प्यादे से फरजी भयो टेढ़ो-टेढ़ो जाय।
- फटा दूध और फटा मन फिर नहीं मिलता।
- फरा सो झरा, बरा सो बुताना।
- पर उपदेश कुशल बहुतेरे।
- बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
- बकरे की माँ कब तक खैर मनायेगी।
- बासी बचे न कुत्ता खाय।
- बिल्ली के भाग से छींका टूटना।
- बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होय।
- बैठे से बेगार भली।
- बारह बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं।
- बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढोंग करना।
- किसी से कोई मतलब न होना।
- छोटे कार्य से मुक्ति के प्रयास में बड़े कार्य का जिम्मा गले पड़ना।
- जानकार को जानकारी देना।
- सभी बड़े बन बैठते हैं तो काम नहीं हो पाता है।
- प्रसिद्ध अधिक किंतु गुण कम।
- शिक्षित किंतु अनुभवहीन।
- दूसरों के घर हर बात का संकोच रहता है।
- सब लोग एक से नहीं होते।
- पराधीनता में सुख नहीं होता।
- छोटा आदमी बड़ा पद पाकर इतराता है।
- एक बार मतभेद होने पर पुनः पहले-सा मेल नहीं होता।
- जो फला है वह झड़ेगा और जला हुआ भी बुझेगा (सभी का अंत निश्चित है)।
- दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं।
- मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु की महत्ता नहीं जानता है।
- जिसे कष्ट पाना है वह ज्यादा समय तक नहीं बच सकता।
- जरूरत अनुसार कार्य करना।
- बिना प्रयास अयोग्य व्यक्ति को त्रोप्त वस्तु मिलना।
- बुरे काम का अच्छा परिणाम संभव नहीं।
- फालतू या बेकार बैठने की अपेक्षा सामान्य (कम लाभ) कार्य करना भी बेहतर होता है।
- एक न एक दिन सभी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं।

- बाप भला न भइया, सबसे बड़ा रुपइया।
- बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज।
- बिच्छू का मंतर न जाने, साँप के बिल में हाथ डाले।
- भेड़ की लात घुटने तक।
- भागते भूत की लंगोटी ही सही।
- भूखे भजन न होय गोपाला।
- भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराय।
- मन चंगा तो कठौती में गंगा।
- मरता क्या न करता।
- मान न मान मैं तेरा मेहमान।
- मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी।
- मुख में राम, बगल में छुरी।
- मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
- मेरी बिल्ली मुझ से ही म्याँ।
- मन के लड्डओं से पेट नहीं भरता।
- मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक।
- मन भावै मूँड हिलावै।
- मुँह माँगी मौत नहीं मिलती।
- यह मुँह और मसूर की दाल।
- यथा नाम तथा गुण।
- यथा राजा तथा प्रजा।
- रस्सी जल गई पर बल न गया।
- रोज कुआँ खोदना, रोज पानी पीना।
- रिश्तों की अपेक्षा पैसों को अहमियत देना।
- परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना।
- योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा लेना।
- कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता।
- जिनसे कुछ मिलने की अपेक्षा न हो उससे थोड़ा भी मिल जाए तो बेहतर।
- भूख के समय दूसरा कुछ ठीक नहीं लगता।
- मूर्ख के सम्मुख ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है।
- मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है।
- मुसीबत में व्यक्ति गलत कार्य भी करता है।
- जबरदस्ती गले पड़ना।
- दो लोगों में आपसी प्रेम है तो तीसरा रोक भी नहीं सकता।
- मित्रता का दिखावा कर मन में धूरता रखना।
- उत्साह से ही सफलता संभव होती है।
- आश्रयदाता पर रौब जमाना।
- केवल कल्पनाओं से तृप्ति संभव नहीं होती है।
- सीमित सामर्थ्य होना।
- मन से चाहना किंतु ऊपर से दिखावे के लिए मना करना।
- अपनी इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता।
- हैसियत से बढ़कर बात करना।
- नाम के अनुसार गुण होना।
- जैसा स्वामी वैसा सेवक।
- प्रतिष्ठा चले जाने पर भी घमंड बने रहना।
- प्रतिदिन कमाकर जीवन यापन करना।

- लकड़ी के बल बंदर नाचे।
- लोहे को लोहा ही काटता है।
- लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
- लिखे ईसा पढ़े मूसा।
- विनाशकाले विपरीत बुद्धि।
- विधि का लिखा को मेटन हारा।
- साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।
- साँप छछूंदर की गति होना।
- सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है।
- सब धान बाईंस पंसेरी।
- समरथ को नहीं दोष गुसाई।
- सझाँ भए कोतवाल तो अब डर काहे का।
- सहज पके सो मीठा होय।
- हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आ जाये।
- हथेली पर सरसों नहीं उगती।
- हाथ कंगन को आरसी क्या।
- हाथी के दाँत खाने के और तथा दिखाने के और।
- होनहार बिरवान के होत चीकने पात।
- हाथ सुमरिनी बगल कतरनी।
- भय के कारण काम करना।
- बुराई को बुराई से ही जीता जा सकता है।
- दुष्ट व्यक्ति भय से ही मानते हैं मात्र कहने से नहीं।
- ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा न जा सके।
- प्रतिकूल समय में विवेक भी जाता रहता है।
- भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता।
- बिना किसी नुकसान के कार्य पूर्ण करना।
- दुविधा में होना।
- सुख-वैभव में पले व्यक्ति को दूसरों के कष्टों का अनुमान नहीं हो सकता।
- अच्छे-बुरे की परख न कर सबको समान समझना।
- सामर्थ्यवान् व्यक्ति को कोई भी कुछ नहीं कहता।
- अपने व्यक्ति के बड़े पद पर होने पर लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं।
- उचित प्रक्रिया से किया गया कार्य ही ठीक होता है।
- बिना खर्च के कार्य का अच्छी तरह से संपादन करना।
- प्रत्येक कार्य पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है।
- प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
- कपटपूर्ण व्यवहार या कथनी-करनी में अंतर होना।
- महान व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं।
- छल-कपट का व्यवहार।

अभ्यास प्रश्न

- प्र. 1. 'बहुत दिनों बाद दिखाई देना' को दर्शाने वाला मुहावरा है-

 - (अ) ईद का चाँद होना
 - (ब) आँखें चार होना
 - (स) कलेजा ठंडा होना
 - (द) पौ बारह होना

[]

प्र. 2. 'फूला न समाना' मुहावरे का सही अर्थ होगा-

 - (अ) कलंकित करना
 - (ब) बहुत प्रसन्न होना
 - (स) खूब मौज होना
 - (द) उत्तरदायित्व लेना

[]

प्र. 3. 'काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं' को दर्शाने वाली लोकोक्ति है-

 - (अ) अंधेरे नगरी चौपट राजा
 - (ब) कंगाली में आदा गीला
 - (स) अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुगा गई खेत
 - (द) कोयलों की दलाली में हाथ काला

[]

प्र. 4. सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है-

 - (अ) घर का भेदी लंका ढाए
 - (ब) ऊंधौ का लेना न माधो का देना
 - (स) आँख का अंधा नाम नयनसुख
 - (द) गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास

[]

उत्तर-1. (अ) 2. (ब) 3. (स) 4. (द)

प्र. 5. निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए-

 - (i) कमर कसना
 - (ii) चल बसना
 - (iii) घड़ों पानी पड़ना
 - (iv) दाल में काला होना
 - (v) तिल का ताड़ बनाना

प्र. 6. निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए व वाक्यों में प्रयोग कीजिए-

 - (i) अशर्फियाँ लुटे, कोयलों पर मोहर
 - (ii) जैसी करनी वैसी भरनी
 - (iii) छछूंदर के सिर में चमेली का तेल
 - (iv) घर फूँककर तमाशा देखना
 - (v) आप भले तो जग भला

अध्याय-16

अलंकार : अर्थ एवं प्रकार

काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। ‘अलंक्रियते इति अलंकारः’। जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि- “भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है।

अलंकार 3 प्रकार के होते हैं-

- (1) शब्दालंकार
- (2) अर्थालंकार
- (3) उभयालंकार

1. शब्दालंकार-

जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्तिप्रकाश, पुनरुक्तिवदाभास, वीप्सा आदि शब्दालंकार हैं।

2. अर्थालंकार-

जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अर्थालंकार हैं।

3. उभयालंकार-

जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहाँ उभयालंकार होता है। श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष तथा अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष।

1. अनुप्रास-

जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है, जैसे-

चारु चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही थीं जल-थल में।

अनुप्रास के भेद-

अनुप्रास के मुख्यतः चार भेद होते हैं-

1. छेकानुप्रास
2. वृत्यनुप्रास
3. श्रुत्यनुप्रास
4. अंत्यानुप्रास

1. छेकानुप्रास-

जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण-समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो अर्थात् वह वर्ण दो बार आए तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है, जैसे-

- इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती।
- भगवान् भागें दुःख, जनता देश की फूले-फले।

2. वृत्यनुप्रास-

जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण-समूह की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ वृत्यनुप्रास अलंकार होता है, जैसे-

- तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।
 - जदपि सुजाति सुलच्छनी, सुबरन, सरस, सुवृत्त।
- भूषण बिनु न बिराजई, कविता, वनिता मित॥

3. श्रुत्यनुप्रास-

जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तब वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है, जैसे-

उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं-

कंठ्य	-	अ, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह
तालव्य	-	इ, ई, च, छ, ज, झ, झ, य, श
मूर्धन्य	-	ऋ ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष
दंत्य	-	त, थ, द, ध, न, स, ल
ओष्ठ्य	-	उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म
कंठ-तालव्य	-	ए, ऐ
कंठ-ओष्ठ्य	-	ओ, औ
दन्त्य ओष्ठ्य	-	व
नासिक्य	-	ड, झ, ण, ञ, म
• दिनांत था, थे दिन नाथ डूबते।		
• सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे॥ (यहाँ दंत्याक्षर प्रयुक्त हुए हैं।)		

- तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारि निठुराई।
(यहाँ दंत्याक्षर प्रयुक्त हुए हैं।)

4. अंत्यनुप्राप्ति-

जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण तुकांतता बनती हो तो वहाँ अंत्यनुप्राप्ति अलंकार होता है, जैसे—

- बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी॥
- रघुकुल रीत सदा चली आई।
प्राण जाय पर वचन न जाई॥

2. यमक-

एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह दो या दो से अधिक बार भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे—

- कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय।
या खाये बोराय जग, वा पाये बोराय॥
- तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं।
- कुमोदिनी मानस मोदिनी कही।

3. श्लेष अलंकार-

जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है।

श्लेष के दो भेद होते हैं—

1. शब्द श्लेष 2. अर्थ श्लेष

जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ शब्द श्लेष होता है और जब श्लेष का चमत्कार शब्द के स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो तो वहाँ अर्थ श्लेष होता है। अर्थ श्लेष में शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी श्लेष का चमत्कार बना रहता है।

श्लेष के कुछ उदाहरण—

- रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊरे मोती मानस चून॥
- यहाँ पानी शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है – चमक, इज्जत और जल
अजाँ तरयौना ही रह्यो, श्रुति सेवत इक अंग।
नाक बास बेसरि लह्यो बसि मुकुतन के संग॥

यहाँ तरयौना-कान का आभूषण और तरयौ ना-जो भव सागर से पार नहीं हुआ, को दर्शाता है। साथ ही श्रुति शब्द-वेद तथा कान, नाक शब्द स्वर्ण तथा नासिका को दर्शाता है। बेसरि-नीच प्राणी और नाक का आभूषण तथा मुकुतन शब्द मुक्त पुरुष और मोती ये दो अर्थ देता है।

अर्थ श्लोष-

- नर की अरु नल नीर की गति एकै करि जोय।
जेतो नीचो है चलै तेतो ऊँचो होय॥
- यहाँ प्रयुक्त 'ऊँचो' शब्द 'ऊँचाइ' तथा 'महानता' को दर्शाता है।

4. उपमा-

जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है।

उपमा के अंग-

- | | |
|--------------------|---|
| 1. उपमेय | - जो वर्णन का विषय हो या जिसकी तुलना की जाए अर्थात् वर्णित वस्तु। |
| 2. उपमान | - जिससे तुलना की जाए अर्थात् जिससे उपमा की जाए। |
| 3. समतावाचक शब्द | - जिन शब्दों से समता दर्शायी जाए, जैसे-सा, सी, से, सरिस, सम, समान आदि शब्द। |
| 4. साधारण गुण धर्म | - जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे-सुंदरता आदि। |

उपमा के भेद-

1. **पूर्णोपमा**—जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हों।
2. **लुप्तोपमा**—जब चारों अंगों में से कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो।
3. **मालोपमा**—जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए।

उपमा के उदाहरण-

- मुख चंद्रमा के समान सुंदर है।
- पीपर पात सरिस मन डोला।
- हँसने लगे तब हरि अहा
पूर्णदु-सा मुख खिल गया।

5. रूपक-

जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है।

रूपक के तीन भेद होते हैं-

- (1) सांग रूपक
- (2) निरंग रूपक
- (3) परंपरित रूपक

रूपक के उदाहरण-

- चरन-सरोज पखारन लागा।
- बीती विभावरी जाग री

अंबर पनघट में डुबो रही
तारा घट ऊषा नागरी ।

- उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल-पतंग।
बिकसे संत-सरोज सब हरषे लोचन-भृंग ॥

6. उत्प्रेक्षा-

जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ संभावना अभिव्यक्ति हेतु जनु, जानो, मनु, मानो, निश्चय, प्रायः, बहुधा, इव, खलु आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्प्रेक्षा के तीन भेद होते हैं—(1) वस्तूत्प्रेक्षा (2) हेतूत्प्रेक्षा (3) फलोत्प्रेक्षा

उत्प्रेक्षा के उदाहरण—

- तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।
झुके कूल सो जल परसन हित मनहु छुआए ॥
- सोहत आढ़े पीतपट श्याम सलोने गात।
मनहुं नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात ॥
- चमचमात चंचल नयन, बिच धूंघट पट झीन।
मानहु सुर सरिता विमल जल बिछरत दोऊ मीन ॥
- बार-बार उस भीषण रख से, कंपती धरती देख विशेष।
मानो नील व्योभ उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष ॥

7. विरोधाभास-

जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, जैसे—

- या अनुरागी चित्त की गति समुद्दै नहिं कोय।
ज्यों-ज्यों बूड़े स्याम रंग त्यों-त्यों ऊज्ज्वल होय ॥
- तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग
अनबूड़े बूड़े तरे जे बूड़े सब अंग ॥

8. उदाहरण अलंकार-

एक बात कह कर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए तब वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में ज्यों, जिमि, जैसे, यथा आदि वाचक समानता दर्शाने हेतु शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे—

- जो पावै अति उच्च पद, ताको पतन निदान।
ज्यों तपि-तपि मध्याह्न लौं, अस्त होत है भान ॥

- नीकी पै फीकी लगै, बिनु अवसर की बात।
जैसे बरनत युद्ध में, नहिं शृंगार सुहात॥

अध्यास प्रश्न

निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

1. वर्णों की एक बार आवृत्ति होने पर अलंकार होता है-

(अ) छेकानुप्रास	(ब) वृत्यनुप्रास	[]
(स) अंत्यानुप्रास	(द) श्रुत्यनुप्रास	[]
 2. निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शायी जाती है-

(अ) यमक	(ब) श्लेष	[]
(स) रूपक	(द) उपमा	[]
 3. रूपक अलंकार के भेद होते हैं-

(अ) 2	(ब) 3	[]
(स) 4	(द) 5	[]
 4. जनु, जानो, मनु, मानो जैसे वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं-

(अ) विरोधाभास	(ब) यमक	[]
(स) उत्प्रेक्षा	(द) उपमा	[]
- उत्तर-** 1. (अ) 2. (द) 3. (ब) 4. (स)
6. उपमा के अंगों को समझाइए।
 7. उदाहरण अलंकार के लक्षण व उदाहरण लिखिए।
 8. अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं ? सोदाहरण समझाइए।
 9. निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए-
 - (i) कूलन में कलिन में कछारन में कुंजन में।
 - (ii) सारंग ले सारंग चल्यो, सारंग पूर्णो आय।
सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माय॥
 - (iii) कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए।
हिम कणों से पूर्ण मानों हो गए पंकज नए।
 - (iv) जो रहिम गति दीप की कुल कपूत की सोय।
बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय ॥

अध्याय-17

पत्र एवं कार्यालयी अभिलेखन

पत्र-लेखन

मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने जन्म से मृत्यु पर्यन्त अपने भावों और विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करता है। भावों और विचारों के संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता है। आदिकाल में मनुष्य ढोल बजाकर, चिल्लाकर या आग जलाकर अपना संदेश अपने मित्रों या परिचितों तक पहुँचाता था। आज का युग सूचना क्रांति का युग है। संदेश संप्रेषण के कई साधन आज हमारे पास उपलब्ध हैं। इन अत्याधुनिक साधनों को अपनाते हुए भी पत्र का महत्व है।

दैनिक कार्य व्यवहार के संपादन करते समय मनुष्य कई प्रकार के पत्र लिखता है। कई बार वह अपने स्वजनों को बधाई व शुभकामना प्रेषण के लिए पत्र लिखता है तो कई बार रोजगार के लिए आवेदन पत्र लिखता है। कभी किसी कार्य के न हो पाने पर शिकायती पत्र/सरकारी कामकाजों के संपादन के लिए भी एक कर्मचारी को नित्य-प्रति कई प्रकार के पत्र लिखने होते हैं। इसी कारण संदेश प्रेषण के कितने ही अत्याधुनिक विकल्प उपस्थित होने के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है। लेकिन वास्तव में पत्र लेखन भी एक कला है।

अच्छे पत्र की विशेषताएँ-

एक अच्छे एवं प्रभावी पत्र में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-

1. सरलता-

एक अच्छे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए जिससे कि प्राप्तकर्ता को संदेश सरलता से संप्रेषित हो सके। पत्र में अनावश्यक कठिन शब्दों एवं दुरुह अलंकृत शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

2. स्पष्टता-

एक अच्छे पत्र का प्रमुख गुण स्पष्टता होता है। पत्र लेखक को अपनी बात इतनी स्पष्ट लिखनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता आपके संदेश को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सके।

3. संक्षिप्तता-

एक अच्छे पत्र में संक्षिप्तता का गुण भी होता है। पत्र लेखक को अपनी बात कम शब्दों में पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम एक ही बात को अलग-अलग शब्दों में पुनः लिखते जाते हैं। इस वृत्ति से बचना चाहिए।

4. क्रमबद्धता—

पत्र लेखक को अपने पत्र लेखन में क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। जब एक ही पत्र में एकाधिक बातें लिखी जानी हों तब पहले महत्वपूर्ण बातों को लिखते हुए फिर सामान्य बातों की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बात जब लिखना प्रारंभ कीजिए तब उसे पूरी तरह पूर्ण करने के बाद ही दूसरे विषय को लिखना आरंभ कीजिए।

5. संपूर्णता—

पत्र लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह जो-जो संदेश संप्रेषित करना चाहता है, वे सब उसने उस पत्र में समाहित कर दिए हों। कोई भी विषय या बात लिखने से न रह जाए।

6. प्रभावशीलता—

पत्र ऐसा होना चाहिए कि वह पाठक या प्राप्तकर्ता पर अपना प्रभाव छोड़े। इसके लिए पत्र लेखक को प्रभावी भाषा के साथ-साथ प्रभावी शैली को अपनाना चाहिए।

7. बाह्य सज्जा—

उपर्युक्त विशेषताओं के साथ-साथ बाह्य सज्जा का भी पत्र लेखन में अपना महत्व होता है। इस हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए-

- (i) कागज अच्छे किस्म का हो।
- (ii) लिखावट सुंदर व स्पष्ट हो।
- (iii) वर्तनी की त्रुटियाँ न हो।
- (iv) विराम चिह्नों का उचित प्रयोग।
- (v) तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद का उचित प्रयोग आदि।

पत्रों के प्रकार—

पत्र सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं—

- (1) व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र
- (2) कार्यालयी या राजकीय पत्र
- (3) व्यावसायिक पत्र
- (4) अन्य विविध पत्र।

जैसे—प्रार्थना-पत्र, आवेदन-पत्र आदि।

(1) व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र—

किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है, तो उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं।

पिता, माता या मित्र को पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और संवेदना पत्र व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं।

व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप

प्रेषक का पता
दिनांक

अभिवादन / संबोधन

पत्र का प्रारूप

मुख्य विषय या संदेश

पत्र का अंत

प्रेषित का पता

स्नेह/आदरसूचक शब्द
हस्ताक्षर

विशेष बातें—

- व्यक्तिगत पत्रों में पत्रारंभ में ऊपर दाहिनी ओर प्रेषक अपना पता व पत्र लेखन की तिथि लिखता है जिससे कि प्राप्तकर्ता को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उसके किस परिवारजन या मित्र ने उसे पत्र लिखा है।
- पत्र प्राप्तकर्ता से स्वयं के संबंध को ध्यान में रखते हुए तदनुसार पत्र लेखक संबोधन या अभिवादनसूचक शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे—
बड़ों को पत्र लिखते समय : आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, पूजनीया, पूज्या, माननीय आदि।
अपने से छोटों को पत्र लिखते समय : प्रिय, चिरंजीवी, अनुज सुश्री, प्यारी, स्नेहिल आदि।
हमउम्र व्यक्ति के लिए : प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि।
- पत्र का प्रारंभ सामान्य जानकारियों यथा—स्वयं की कुशलता की जानकारी देने और प्राप्तकर्ता की कुशलता की कामना करते हुए फिर पत्र के मुख्य विषय पर आना चाहिए।
- पत्र के अंत में जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उसके परिवार के बड़े परिजनों यथा—माता—पिता को प्रणाम व छोटों के प्रति प्यार प्रेषित करना चाहिए।
- अंत में दाहिनी ओर स्वनिर्देश यथा—आपका, तुम्हारा, शुभेच्छु, कृपाकांक्षी आदि शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और इसके नीचे कोष्ठक में अपना नाम लिख देना चाहिए।
- अंत में पत्र जहां भेजना है, वहां का पता बाई और लिखें।

व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्रों के कुछ उदाहरण—

पुत्र द्वारा पिता को पत्र

उदयपुर

22 जुलाई, 2015

पूज्य पिता जी,

सादर प्रणाम।

मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ मंगलमय होंगे। मेरी परीक्षाएँ संपन्न हो चुकी हैं। सभी प्रश्न-पत्र अच्छे हुए हैं। आशा है मैं स्नातक परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर पाऊँगा।

ग्रीष्मावकाश के दो माह (मई एवं जून) में उदयपुर में ही बिताना चाहता हूँ। इस अवधि में मैं प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ। शहर की कई संस्थाओं में इस परीक्षा की तैयारी की कक्षाएँ प्रारंभ होने जा रही हैं। मैं भी अपनी तैयारी हेतु इन कक्षाओं में जाना चाहता हूँ। मुझे इस हेतु दस हजार रुपयों की आवश्यकता है। कृपया यह राशि शीघ्र मेरे बैंक खाते में जमा करवाने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपना अध्ययन जारी रखते हुए इन कक्षाओं में सम्मिलित हो सकूँ।

माताजी को प्रणाम। सलोनी को ध्यार।

आपका पुत्र

(मनीष)

पिता का पुत्र को पत्र

10, श्याम सदन

कपासन

1 अगस्त, 2015

प्रिय पुत्र मनीष,

शुभाशीष।

तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर प्रसन्नता हुई। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे सभी प्रश्न-पत्र बहुत अच्छे हुए हैं और तुम स्नातक परीक्षा अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण होने की उम्मीद रखते हो।

जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। तुम अपने ग्रीष्मावकाश का उपयोग प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी में करना चाहते हो यह जानकर अच्छा लगा। हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण कर पूरे समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। मुझे आशा है तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो। मैं कल ही तुम्हारे बैंक खाते में दस हजार रुपये जमा करवा दूँगा जिससे कि तुम्हारा अध्ययन निर्बाध रूप से जारी रह सके।

तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करो। इसी कामना के साथ।

तुम्हारा पिता

(प्रमोद कुमार)

मित्र को पत्र

जयपुर

10 जुलाई, 2015

प्रिय सखी सविता,

सप्रेम नमस्ते।

मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त हो गई है।

मैं जानती हूँ कि यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपाधि है। इस उपाधि को प्राप्त करना बड़ी गौरव का विषय है। तुम्हारी इस उपलब्धि से मैं भी गौरव का अनुभव कर रही हूँ। मैं कामना करती हूँ कि तुम निरंतर इसी प्रकार प्रगति करती रहो।

तुम्हारे माताजी-पिता जी को मेरा प्रणाम व छोटे भाई विशाल को ध्यार।

शेष कुशल।

तुम्हारी मित्र
(स्नेहलता)

संवेदना-पत्र

जोधपुर

दिनांक : 5 अगस्त, 2015

प्रिय मयंक,

हार्दिक संवेदना।

तुम्हारे पिता जी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुःख हुआ। तुमने अपने पिछले पत्र में स्वरूप होने का समाचार लिखा था किंतु यह अप्रत्याशित कैसे हो गया? तुम्हारे पिता जी का मुझ पर जो विशेष स्नेह था उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने जयपुर आऊँगा।

दुःख की इस बेला में मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे तुम्हें व तुम्हारे परिवारजनों को इस कष्ट को सहने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए एवं स्वर्गस्थ आत्मा को मोक्ष प्रदान करे।

परिवार का दायित्व अब तुम पर आ गया है। मुझे विश्वास है कि तुम उसे भली प्रकार निर्वाह करोगे।

तुम्हारा शुभेच्छु
महेश

प्रार्थना पत्र : शुल्क मुक्ति हेतु

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
चित्तौड़गढ़

विषय : शुल्क मुक्ति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा-11 का छात्र हूँ। मेरे पिता जी एक गरीब किसान हैं। परिवार में मेरे अलावा तीन और भाई-बहिन इसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं। पिता जी का स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं है। इसी कारण वे मेरा विद्यालय शुल्क जमा कराने में असमर्थ हैं।

मैंने कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षा में इस विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। साथ ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मैंने प्रदेश स्तर पर टीम का नेतृत्व किया और मेरे नेतृत्व में हमारी टीम विजेता रही। विज्ञान मेले में भी मेरे द्वारा बनाये गए मॉडल का दूसरा स्थान रहा।

अतः आपसे निवेदन है कि मेरे विगत श्रेष्ठ परिणामों एवं परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा शुल्क माफ करने का कष्ट कीजिए। आपके इस सहयोग से ही मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूँगा। आशा है आप मेरा शुल्क माफ कर मुझे अनुगृहीत करेंगे।

दिनांक : 10 जुलाई, 2015

आपका आज्ञाकारी शिष्य
रमेश कक्षा-11

निमंत्रण पत्र

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
चेतक सर्किल, उदयपुर

प्रिय महोदय/महोदया

विद्यालय के वार्षिकोत्सव में आप सादर आमंत्रित हैं-

मुख्य अतिथि : श्री -----, अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

अध्यक्ष : श्री -----, जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर

कार्यक्रम :

प्रतिवेदन प्रस्तुति
सांस्कृतिक कार्यक्रम
पारितोषिक वितरण
उद्बोधन : मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष
धन्यवाद
दिनांक : 26 अप्रैल, 2015
स्थान : विद्यालय सभागार
समय : अपराह्न 3.00 बजे

उत्तरापेक्षी
सचिव, शिक्षक अभिभावक संघ

निवेदक
प्राचार्य

शिकायती पत्र

सेवा में,

मेयर महोदय
नगर निगम, अजमेर

विषय : सफाई के संबंध में।

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में विगत कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। सड़कों पर यत्र-तत्र कचरा फैला हुआ है। नलियों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर फैल रहा है। गली में बदबू फैल रही है। मच्छर हो चुके हैं जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इस संबंध में हम अपने जन प्रतिनिधि को भी कई बार सूचित कर चुके हैं किंतु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारी को पाबंद करने का कष्ट कीजिए।
आपके सहयोग की अपेक्षा में।

दिनांक : 17 सितंबर, 2015

भवदीय
(क ख ग)

वार्ड नं. (क ख ग)

2. कार्यालयी पत्र-

वे पत्र जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को किसी विशेष राजकीय कार्य को करने या जानकारी देने हेतु लिखे जाते हैं। वे कार्यालयी या सरकारी पत्र कहलाते हैं, जैसे—

सामान्य सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन आदि।

सामान्य कार्यालयी पत्र-

राजस्थान सरकार
कार्यालय, जिला कलेक्टर, उदयपुर

पत्र क्रमांक : जिका/उदय./2015/1011

दिनांक : 1 अगस्त, 2015

शासन सचिव

वित्त विभाग

राजस्थान सरकार

जयपुर।

विषय—स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति।

महोदय,

हम उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। उदयपुर झीलों का शहर है और अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच बसा होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है। वर्ष भर में लाखों देशी एवं विदेशी पर्यटक यहाँ पर्यटन हेतु आते हैं।

विगत कई वर्षों से झीलों की स्वच्छता हेतु विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण अब अभियान चलाकर इनकी सफाई करने की आवश्यकता है जिससे कि शहर के पर्यटन एवं छवि पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

आगामी स्वतंत्रता दिवस को माननीय मंत्री महोदय द्वारा ‘झील स्वच्छता अभियान’ का शुभारंभ किया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक बजट यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करावें जिससे कि अभियान का सुचारू संचालन किया जा सके।

भवदीय
जिला कलेक्टर

कार्यालय आदेश

किसी कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, दंड या अवकाश स्वीकृति आदि की सूचना के निमित्त जारी किया गया पत्र कार्यालय आदेश कहलाता है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : 715/2015

दिनांक : 11 अक्टूबर, 2015

कार्यालय आदेश

अधोलिखित व्यक्तियों को लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है-

1. सुरेश चंद शर्मा सुपुत्र श्री रमाशंकर
2. ओमप्रकाश बोहरा सुपुत्र श्री राधाकिशन

(हस्ताक्षर)

सचिव

निविदा

सरकारी कायालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण/मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, उसे निविदा कहते हैं।

राजस्थान सरकार

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), नागौर

क्रमांक : जिशिअ/नागौर/2014-15/1560

दिनांक : 12.10.2015

निविदा सूचना संख्या 12 / 2015-16

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

प्रपत्र प्राप्ति : 14.10.2015 से

निविदा प्रेषण अंतिम तिथि : 25.10.2015 सायं 5 बजे तक

निविदा खोलना : 26.10.15 को प्रातः 11.00 बजे

आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण-

क्र.सं.	सामग्री-विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि (रुपये)	निविदा शुल्क	आपूर्ति अवधि
1.	कंप्यूटर	2.00	4000	100	1 माह
2.	स्टील अलमारी	1.00	2000	100	1 माह
3.	कुर्सियाँ	1.00	2000	100	1 माह

हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) नागौर

निविदा-2

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि., वृत्त कोटा
अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 05/1-15

क्रमांक : अ/नि/2014-15/1560

दिनांक : 12.10.2015

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से मय डिफेक्ट लाइब्रिलिटी अवधि के लिए राजस्थान सरकार के ए, बी एवं सी श्रेणी के संवेदकों एवं केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के ए, बी एवं सी श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in., www/diporeeline.org व <http://sppp.raj.nic.in> पर उपलब्ध है।

कुल निविदा के कार्य	1 कार्य
निविदा की लागत	रुपये 132.50 लाख
कुल धरोहर राशि	अनुमानित लागत की दो प्रतिशत 30,700/-
अॉनलाइन निविदा फार्म मिलने की तारीख	अनुमानित लागत की आधा प्रतिशत 76,750/-
	26.10.15 प्रातः 11.00 बजे से 30.10.15 सायं 4.00 बजे तक
अॉनलाइन निविदा खोलने की तारीख	2.11.15 सायं 4.00 बजे
	अधीक्षण अभियन्ता
	सा.नि.वि. वृत्त, कोटा

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुँचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प. 6(4) माशिबो/पा/2015

2.2.2015

विज्ञप्ति संख्या : 6/2015

पाठ्यपुस्तक विक्रेताओं का पंजीयन

बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों केवल उन्हीं पुस्तक विक्रेताओं को विक्रय हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी जिनका पंजीकरण बोर्ड कार्यालय में होगा।

अतः आगामी सत्र हेतु जो पुस्तक विक्रेता पुस्तक विक्रय कार्य करना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन बोर्ड कार्यालय में नहीं कराया है वे दिनांक 20.2.2015 तक अपना पंजीयन करवा लें। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत विवरण मा.शि.बो. के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सचिव

विज्ञप्ति

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
(भारत सरकार द्वारा गठित स्वायत्त निकाय)
बासनी, जोधपुर-342005 (राजस्थान)

विज्ञप्ति-1

क्रमांक : अ/भा/वि/1583

दिनांक : 12.12.2015

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर निम्न पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

क्र.सं.	पदनाम	पद संख्या
1.	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	15
2.	स्टॉफ नर्स ग्रेड-I	50
3.	स्टॉफ नर्स ग्रेड-II	550

विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र संस्थान की वेबसाइट “<http://www.aiimsjodhpur.edu.in>” पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 30 दिन तक रहेगी।

प्रशासनिक अधिकारी

विज्ञप्ति-2

पंजाब नेशनल बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

प क्र वि/2015 10 अक्टूबर, 2015

विज्ञप्ति संख्या : 06/2015

बैंक शाखा का स्थानान्तरण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक का विस्तार-पटल आगरा रोड़, जयपुर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से दिनांक 25.10.15 से स्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देगा।

अतः सर्व साधारण को विशेष रूप से पंजाब नेशनल बैंक विस्तार-पटल शाखा आगरा रोड़, जयपुर के खाता धारकों, जमाकर्ताओं व ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 25.10.15 से लेनदेन हेतु हमारी शाखा जे.एल.एन. मार्ग जयपुर पर संपर्क कीजिए। असुविधा के लिए हमें खेद है।

क्षेत्रीय प्रबंधक

परिपत्र

जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों/विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है, तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं या अधिकारियों को लिखा जाता है।

राजस्थान सरकार
वित्त-विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प. 8(1) वित्त (1) आय व्यय/2015, जयपुर
परिपत्र

दिनांक : 8 जुलाई, 2015

प्रेषित :

समस्त शासन सचिव, राजस्थान।
समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
विषय : राजकीय व्यय में मितव्यता अपनाने हेतु।

महोदय,

राज्य में बाढ़ के कारण हुई भीषण तबाही को देखते हुए शासन द्वारा राजकीय व्यय में मितव्यता अपनाने के उद्देश्य से यह परिपत्र जारी किया जा रहा है। निम्नलिखित निर्णय तुरंत प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे-

1. हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा।
2. राजकीय भोज आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
3. विभागों में नवीन पद सृजन पर प्रतिबंध रहेगा।

आज्ञा से
हस्ताक्षर
नाम-----
वित्त सचिव
वित्त विभाग

अनुस्मारक/स्मरण पत्र

पूर्व में किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही न होने की स्थिति में स्मरण पत्र/अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
भीलवाड़ा
स्मरण पत्र

क्रमांक : जिशिबो/सत्र/2014-15/42
प्रेषक,

दिनांक : 10 जून, 2015

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
भीलवाड़ा

प्रेषित,

प्रधानाचार्य व नोडल अधिकारी
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
भीलवाड़ा
विषय : पाठ्यपुस्तकों हेतु माँग पत्र।
संदर्भ : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 20 मई, 2015

महोदय,

उपर्युक्त विषय व संदर्भ में लेख है कि आपके नोडल केन्द्र से पाठ्यपुस्तकों हेतु माँग पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

उक्त माँग पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित कराएं अन्यथा विलंब हेतु समस्त जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
भीलवाड़ा

अद्वृशासकीय-पत्र (Demi Official Letter)

सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र, अद्वृशासकीय या अद्वृसरकारी पत्र कहलाते हैं।

इस प्रकार के पत्र आपसी सलाह-मशाविरा करने, वैचारिक आदान-प्रदान हेतु तथा कोई सहायता चाहने या देने हेतु लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं।

अद्वृशासकीय पत्र नमूना

भारत सरकार

अ.बा.क्र.सं. 954/6/2014

अवनीश कुमार
सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2014

प्रिय राजेश कुमार,

आपका पत्र क्रमांक 3/6/शिवि/अशि/2015/432 दिनांक 26.9.14 प्राप्त हुआ। आपने राजस्थान में चल रहे सतत साक्षरता अभियान की सफलताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार सतत साक्षरता योजना देश के अन्य प्रदेशों में भी इसी सफलता के साथ चले। आप इस हेतु यदि मंत्रालय को कुछ सुझाव भेज सकें तो उसके आधार पर एक व्यापक योजना बनाई जा सकती है। आपका सहयोग अपेक्षित है। सादर / शुभकामनाएँ।

श्री राजेश कुमार
शासन सचिव
शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
शासन सचिवालय, जयपुर

आपका सद्भावी
अवनीश कुमार

ज्ञापन

सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है।

ज्ञापन की कुछ महत्वपूर्ण बातें-

1. अन्य पुरुष में लिखा जाता है।
2. अभिवादन नहीं होता है।
3. एक ही अनुच्छेद होता है।
4. अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है।
5. प्रेषिति (जिसे भेजा जा रहा है) उसका नाम व पता अंत में बाईं ओर लिखते हैं।

राजस्थान सरकार
चिकित्सा विभाग
शासन सचिवालय

प. 4(6) चिवि/पो./2014/391-465

जयपुर, 15 अक्टूबर, 2014

परिपत्र

विषय—पल्स पोलियो अभियान

8 दिसंबर को हम प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जानी है। इस बड़े अभियान में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से सहयोग की अपेक्षा है। हमें प्रदेश के प्रत्येक गाँव-शहर के हर एक गली-मोहल्ले तक पहुँचना है और यह प्रयास करना है कि एक भी बच्चा दवा पीने से वंचित न रहे। हम हर चिकित्सालय में अपने-अपने क्षेत्र में इस संबंध में योजना बनाएँ और इस बार हमारा यह प्रयास रहे कि एक भी बच्चा दवाई पीने से वंचित न रहे।

ह. कखग
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निदेशक चिकित्सा विभाग
2. सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी
3. सभी चिकित्साधिकारी

ह. कर्खण
पदनाम

अधिसूचना

जब किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र तथा विविध सरकारी नियमों, आदेशों को संबंधित व्यक्तियों या सर्वसंधारण के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तब उसे अधिसूचना कहते हैं।

अधिसूचना (Notification)

राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग
जयपुर

क्रमांक उवि/2013-14/105

दिनांक 15 अक्टूबर 2014

राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1956 की धारा 26 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान हैंडलूम के कुछ कारखाने खोलना चाहती है। अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस कार्य के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने से दो माह की अवधि के अंदर सचिव, राजस्थान राज्य उद्योग विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर सकता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

हस्ताक्षरकर्ता का नाम
उपशासन सचिव
उद्योग विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

- सचिव, राजस्थान उद्योग विभाग, जयपुर
- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर

3. व्यावसायिक पत्र

किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा किसी अन्य व्यावसायिक संस्था को व्यावसायिक कार्य हेतु लिखा गया पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाता है।

इस प्रकार के पत्रों द्वारा व्यावसायिक पूछताछ, मूल्य जानकारी, सामान क्रय-विक्रय-पहुँच आदि के विषय में पत्राचार किया जाता है।

टेलीफोन : 241051
कोड नं.
पत्र क्रमांक : 2015/51

बोहरा ब्रदर्स
गाँधीनगर, चित्तौड़गढ़

सर्व श्री

केशव-माधव प्रकाशन

चौड़ा रास्ता, जयपुर

विषय : प्रस्तक सूची व मूल्य सूची मँगवाने हेतु।

प्रिय महोदय,

हमें यह लिखते हुए प्रसन्नता है कि 3 वर्ष पूर्व हमने पुस्तकों व स्टेशनरी का व्यापार प्रारंभ किया था जो निरंतर प्रगति पर है। हमें ज्ञात हुआ है कि आप जयपुर के प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं में से एक हैं।

हम आपसे व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। कृपया हमें आपके द्वारा विक्रय की जा रही पुस्तकों की सूची (मूल्य सहित) भेजने का कष्ट कीजिए। साथ ही आपकी व्यापारिक शर्तों का विवरण भी प्रेषित कीजिए।

भवदीय

हस्ताक्षर

(नाम क, ख, ग)

अभ्यास प्रश्न

- पत्र लेखन की विशेषता नहीं है-

(अ) स्पष्टता	(ब) संपूर्णता
(स) संक्षिप्तता	(द) विलिप्तता

[]
 - मोहल्ले की सफाई के लिए लिखा गया पत्र कहलाएगा-

(अ) शिकायती पत्र	(ब) पारिवारिक पत्र
(स) प्रार्थना पत्र	(द) व्यावसायिक पत्र

[]
 - एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान मँगवाने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखता है-

(अ) प्रार्थना पत्र	(ब) ज्ञापन
(स) परिपत्र	(द) व्यावसायिक पत्र

[]
 - किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप होता है-

(अ) परिपत्र	(ब) कार्यालय आदेश
(स) आवेदन पत्र	(द) प्रार्थना पत्र

[]

उत्तर- 1. (द) 2. (अ) 3. (द) 4. (स)

 - अधिसूचना किसे कहते हैं?
 - परिपत्र से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए।
 - अपने महाविद्यालय के लिए स्टेनोग्राफरी सामग्री खरीदने हेतु निविदा लिखिए।
 - जिला कलेक्टर बाँसवाड़ा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम परिपत्र जारी कीजिए।
 - नगर निगम को सफाई व्यवस्था हेतु एक पत्र लिखिए।
 - अपने विद्यालय के प्राचार्य से शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति मांगने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए।

अध्याय-18

संक्षिप्तीकरण (सार लेखन) एवं पल्लवन (विस्तार लेखन)

किसी गद्यांश अथवा पद्यांश के मूल पाठ या भावार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे लगभग एक-तिहाई शब्दों में लिखना सार-लेखन अथवा संक्षिप्तीकरण कहलाता है। यह संक्षेप में इस तरह होना चाहिए कि अनुच्छेद की मूल भावना खंडित न हो। संक्षेपण की आवश्यकता मनुष्य के आज के व्यस्ततम जीवन में समयाभाव के कारण उत्पन्न हुई। विस्तृत विवरणों के स्थान पर संक्षिप्त लेखन जीवन की आवश्यकता हो गया। इसलिए संक्षेपण लेखन की ऐसी शैली है जिसमें कम समय और श्रम में सारगर्भित, साभिप्राय लेखन के साथ अनावश्यक वर्णन से बचा जा सकता है।

संक्षिप्तीकरण से संबंधित सामान्य नियम-

1. संक्षिप्तीकरण मूलतः अनुच्छेद के भावार्थ का स्वतःपूर्ण पाठ होता है इसलिए संक्षिप्तीकरण को पढ़ने के बाद मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती।
2. संक्षिप्तीकरण मूल पाठ का लगभग एक-तिहाई सार संक्षेप होता है इसलिए पाठ की मौलिकता को खंडित किए बिना कम शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए।
3. संक्षिप्तीकरण मौलिक रचना को ही कम शब्दों में लिखने की शैली होने के कारण उसमें प्रयुक्त भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मूल पाठ के अनुरूप कम शब्दों में अधिक विवरण व तथ्यों को समेटा जा सके।
4. संक्षिप्तीकरण में 'गागर में सागर' भरने की उक्ति सार्थक होती है अतः भाषा की सामासिकता के साथ भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण तथा स्पष्ट होनी चाहिए।
5. किसी भी अनुच्छेद अथवा पाठ का संक्षिप्ततम रूप उसका 'शीर्षक' ही होता है तथा वही उस पाठ का सार-संकेतक है जिससे पाठक उसके विभिन्न पक्षों का अनुमान कर सकता है। अतः शीर्षक पाठ का केंद्रीय भाव प्रकट करनेवाला, संक्षिप्त तथा आकर्षक होना चाहिए।
6. संक्षिप्तीकरण में वाक्यों को ज्यों का त्यों दोहराना नहीं चाहिए बल्कि उसके क्रिया रूपों में यथोचित परिवर्तन कर उन्हें सरल व सुव्वोध बनाया जाना चाहिए।

संक्षिप्तीकरण को सार, संक्षेप, सार-संक्षेप, सारांश अथवा संक्षेपण भी कहा जाता है।

निम्न अवतरणों का संक्षेपण कीजिए-

1. किसी देश की उन्नति एवं अवनति उस देश के साहित्य पर ही अवलंबित है। चाहे वह देश को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा दे और चाहे तो अवनति के गर्त में गिरा दे। कवि रवि

की पहुँच से भी अधिक प्रकाश करता है। वही निर्जीव जाति में प्राण-प्रतिष्ठा करता है और निराशापूर्ण हृदय में आशा का संचार करता है। वही राजनीति को प्रेरणा देता है तथा राजनीतिज्ञों का पथ-प्रदर्शन करता है। वही अतीत के गौरव-गीत गाता है और साथ ही भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता है; वही सोई हुई जाति को जगाता है और उत्साह का संचार करता है।

संक्षिप्तीकरण—देश का उत्थान-पतन साहित्य पर ही निर्भर है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्य निर्जीव लोगों में प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाला, राजनीति का पथ-प्रदर्शक, अतीत का गायक और भविष्य का स्वप्नदृष्टा होता है।

2. पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है, उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है, तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है। उसके हृदय के भाव मातृभूमि के हृदय में जा मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्वेष की बात नहीं सोचता, मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ होता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। उस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिकगण एक-दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते हैं।

संक्षिप्तीकरण—जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्रेम करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतघ्नता का व्यवहार नहीं करता।

3. आधुनिक जीवन में समाज और राष्ट्र के स्तर पर समाचार-पत्रों का बहुत ही विशिष्ट और ऊँचा स्थान है। समाचार-पत्र मानो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदण्ड बन गए हैं। जिस देश में जितने अच्छे और जितने अधिक समाचार-पत्र होते हैं वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है, बहुत-से क्षेत्रों में जो काम समाचार-पत्र कर जाते हैं वे बड़ी सेनाएँ और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते। समाचार-पत्र एक ओर तो जनता का मत सरकार तक पहुँचाते हैं और दूसरी ओर सुदृढ़ एवं संतुष्ट लोकमत तैयार करते हैं। देश को सभी प्रकार से सजग रखने में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है और इसके मुकाबले कोई अन्य माध्यम इतना सशक्त नहीं कहा जा सकता।

संक्षिप्तीकरण—समाचार-पत्रों का देश और समाज में बड़ा महत्व है। ये राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदण्ड होते हैं। ये सुदृढ़ लोकमत तैयार करने के सशक्त साधन हैं। समाचार-पत्र सरकार पर भी नियंत्रण रखते हैं और देश को सजग तथा सजीव बनाये रखते हैं।

अभ्यास हेतु अनुच्छेद (संक्षिप्तीकरण कीजिए)—

1. आज के भागदौड़ के इस युग में न केवल व्यापारी, वकील, अभिनेता, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनीयर और प्रबंधक ही तनाव के शिकार हैं, बल्कि अपने केरियर और परीक्षा से चिन्तित छात्र-छात्राएँ भी कम तनावग्रस्त नहीं हैं। इसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुछ लोग आर्थिक तंगी के कारण तनावग्रस्त हैं तो कुछ सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न होते हुए उन्हें बनाए रखने और निरंतर बढ़ाने की भाग-दौड़ से तनावग्रस्त हैं। यह तनाव हृदय-रोग, अल्सर, मधुमेह और दूसरी बीमारियों का भी कारण बन रहा है। इस तनाव और भागदौड़ के कारण व्यक्ति अपने

खानपान तक की उपेक्षा करता है और कभी-कभी तो दिन-भर भोजन तक नहीं कर पाता। गंभीर समस्याओं से जूझते हुए उसे इतना भी समय नहीं मिल पाता कि वह अपने घर-परिवार, सगे-संबंधियों के साथ फुरसत से बैठ सके।

2. लोक गीतों की मूल बोली अथवा भाषा का पता लगाना कठिन ही नहीं, असंभव-सा है, क्योंकि लोकगीत लोक-जीवन से उत्पन्न होकर भाषा के प्रवाह में तैरते चलते हैं। मनुष्य के कंठ ही उनके घाट हैं। उपयुक्त कंठ पाकर कोई कहीं बसेरा ले लेता है। लोकगीतों पर उनके आसपास का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि उनका मूल रूप कायम नहीं रहता। इससे जहाँ वे गाये जाने लगते हैं, वहाँ के बहुत-से शब्द, जो पर्यायवाची होते हैं, उनमें बैठ जाते हैं और उनके मूल शब्दों को स्थान छ्युत कर देते हैं। इसमें कौनसा गीत पहले-पहले कहाँ बना इसका पता नहीं लगाया जा सकता। केवल इस बात का पता लग सकता है कि कौनसा गीत कहाँ गया जाता है।

भाव विस्तार / पल्लवन (वृद्धीकरण)

भाव विस्तार, विस्तार लेखन, पल्लवन, वृद्धीकरण अथवा संवर्द्धन का आशय किसी संक्षिप्त, गूढ़, पंक्ति, काव्य-सूक्ति, गद्य-सूक्ति अथवा विचार-सूक्ति की विस्तारपूर्वक, सोदाहरण विवेचना करने से है जिसमें लेखक सामान्य पाठक के लिए उस सूक्ति की विस्तृत बातों को बोधगम्य बनाता है। यद्यपि उस काव्य-सूक्ति या गद्य-सूक्ति में छिपा हुआ अर्थ-विस्तार पाठक को संकेत तो करता है किंतु पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता जिसे लेखक खोलकर प्रकट करता है।

वास्तव में संक्षिप्तीकरण की गागर में सागर भरने की उक्ति के विपरीत वृद्धीकरण या पल्लवन में गागर में भरे उस सागर को बाहर निकालकर पूरे प्रवाह के साथ पाठक के सामने प्रकट करना होता है।

भाव विस्तार के सामान्य नियम-

1. भाव विस्तार अथवा वृद्धीकरण में किसी निष्कर्ष वाक्य या सूक्ति वाक्य से संबंधित विचारों अथवा भावों को प्रस्तुत किया जाता है अतः उस शीर्षक-कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना व समझना चाहिए।
2. उक्ति अथवा कथन के आशय को प्रकट करने वाले दूसरे तथ्यों को विस्तारपूर्वक प्रकट करना चाहिए।
3. केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने वाले समकक्ष उदाहरणों तथा अन्य विद्वानों के कथनों से आशय की पुष्टि करना चाहिए।
4. वृद्धीकरण की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए।
5. भाव विस्तार में शब्दों के अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं होती और न ही अनावश्यक तथा विषय से असंगत तथ्यों को देना चाहिए।
6. वृद्धीकरण अन्य पुरुष शैली में करना चाहिए, उत्तम पुरुष शैली (मैं यह मानता हूँ, मेरी राय में ऐसा है आदि) में नहीं।
7. वाक्य छोटे हों, आलंकारिक तथा सामासिक शैलियों से बचा जाना चाहिए।

उदाहरण :

1. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत

किसी भी लक्ष्य की आधी प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बनी रहने वाली आशा और उत्साह का संचार ही है। जब मनुष्य अपने मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लिए चलता है तब मार्ग में

आने वाली बाधाओं, तकलीफों का प्रभाव कम होता रहता है, क्योंकि उसे निरंतर अपने आप ही से मंजिल तक पहुँच सकने का निश्चय मिलता रहता है। बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, किंतु मनुष्य जब तक खुद को प्रेरित न करे तब तक लाख अनुकूलताएँ एवं सुअवसर सामने हों, लक्ष्य की प्राप्ति असंभव-प्राय ही रहती है। घातक बीमारी से भी व्यक्ति की भीतर से लड़ने की शक्ति उसमें नवीन प्राणों का संचार कर देती है। इसलिए जीत का संबंध शारीरिक-भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणा से अधिक है।

2. करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान-

बार-बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि या मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाते हैं; अर्थात् अभ्यास व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक है। बोधिचर्यावतार ने कहा कि “कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अभ्यास करने पर भी दुष्कर हो।” अँगरेजी में भी एक कथन है कि ‘Practice Makes a Man Perfect’ अर्थात् अभ्यास मनुष्य को अपने कार्य में दक्ष बना देता है। वास्तव में निरंतर अभ्यास ही ज्ञानार्जन का मूल मंत्र है। अल्प बुद्धि जन यदि निरंतर अभ्यास कीजिए तो भी विद्वान बन सकते हैं। अभ्यास की बारम्बारता से स्मरण शक्ति और समझ का दायरा बड़ा होता है। ज्ञान आदत बनने लगता है। कवि वृद्ध ने इस कथन के उदाहरण के रूप में दूसरी पंक्ति यह कही है—‘रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान’ अर्थात् रस्सी का बार-बार आना-जाना तो पत्थर की सिल पर भी अपने निशान छोड़ देता है जबकि मनुष्य तो एकदम जड़ तो होता ही नहीं, उसमें बुद्धि का कुछ तत्त्व तो अवश्य होता ही है।

3. जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन-

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे किसी-न-किसी साथी की आवश्यकता अवश्य होती है, परंतु यह संगति ही उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। जिस प्रकार स्वाति की बूँद सीप के संपर्क में आने पर मोती और सर्प के संपर्क में आने पर विष बन जाती है, उसी प्रकार सत्संगति में रहकर मनुष्य का आत्म-संस्कार होता है, जबकि बुरी संगति उसके चारित्रिक पतन का कारण बनती है। अच्छी संगति में रहकर मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है। उसकी बुद्धि परिष्कृत होती है। बुरी संगति हमारे भीतर के दानव को जाग्रत करती है। शुक्लजी ने ठीक ही कहा है—कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। दुर्जन का साथ पग-पग पर हानि देता है। अपमान और अपयश देता है।

4. मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है—

अंधकार है वहाँ, जहाँ आदित्य नहीं है।

मुर्दा है वह देश, जहाँ साहित्य नहीं है॥

मनुष्य स्वभावतः क्रियाशील प्राणी है। चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय-समय पर क्रोध, घृणा, भय, आश्चर्य, शांति, उत्साह, करुणा, दया, आशा तथा हर्षोल्लास का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के उसका जीवन नहीं और बिना उसके समाज का अस्तित्व नहीं। समाज का केंद्र मनुष्य है तथा साहित्य का केन्द्र भी मनुष्य ही है। मनुष्य समाज के बिना साहित्य का कोई महत्व नहीं। यह कहना गलत न होगा कि साहित्य और समाज का संबंध शरीर और आत्मा की तरह अटूट है। साहित्य का जन्म समाज के बिना असंभव है तथा एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज की कल्पना साहित्य के बिना अधूरी है। समाज को साहित्य से ही सद्प्रेरणा मिलती है तथा साहित्य समाज के द्वारा ही गौरवान्वित होता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रवाहित और प्रेरित होता है। साहित्य किसी

भी समाज व राष्ट्र की नींव होता है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो उस पर बना भवन भी सुदृढ़ और मजबूत होगा।

अध्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन / सूक्तियाँ जिनका भाव विस्तार या पल्लवन / वृद्धीकरण करना है-

1. अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम।
2. अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन तें होई।
3. अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
4. आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
5. मान सहित विष खाय के शंभु भयो जगदीश।
6. का वर्षा जब कृषि सुखाने।
7. आलस्य ही मनुष्य का परम शत्रु है।
8. वृच्छ कबहु नहिं फल भखें, नदी न संचै नीर।
9. आचरण ही सज्जनता की कसौटी है।
10. कर्म प्रथान विश्व करि राखा।
11. ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।
12. प्रेम मुक्त भी है और स्वाधीन भी।
13. पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं।
14. जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।
15. जो तोको कांटा बुवै ताहि बोय तू फूल।
16. पर उपदेश कुशल बहुतेरे।
17. लघुता से प्रभुता मिलै प्रभुता से प्रभु दूर।
18. क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो।
19. श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है।
20. भाषा विचार की पोशाक है।
21. निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।

अध्याय-20

निबंध-लेखन

निबंध एक ऐसी गद्य-रचना है जिसमें किसी विषय का वर्णन किया जाता है तथा यह वर्णन सरल, स्पष्ट तथा अपने शब्दों में किया गया हो। निबंध संस्कृत की मूल धारु 'बंध' में 'नि' उपसर्ग के लगाने से बना है। नि + बंध का अर्थ है—संग्रह करना, बाँधना अथवा एक ही स्थान पर रोकना। निबंध में किसी विषय विशेष पर विचारों का संग्रह तथा उनकी उदाहरण सहित पुष्टि एक ही स्थान पर की जाती है। निबंध लेखन में लेखक किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक अथवा धार्मिक विषय पर अपने मस्तिष्क में छिपे गम्भीर विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त करता है।

गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की गम्भीर कसौटी होता है। मूलतः निबंध दो प्रकार के होते हैं—(1) विषय प्रधान (2) व्यक्ति प्रधान।

कुछ निबंध निम्नानुसार हैं—

1. भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व

हमारा देश प्राचीनतम देश है और हमारी संस्कृति भी अत्यंत प्राचीन है। जहाँ प्राचीन संस्कृति होती है वहाँ जीवन के कुछ मानवीय मूल्य होते हैं, कुछ जाँचे-परखे मूल्य होते हैं जिन्हें एकाएक बदला नहीं जा सकता। हमारा आज का समय कठिनाइयों से भरा है तथा हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ हैं किंतु इन सबके बावजूद हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ आधारभूत तत्त्व ऐसे हैं जिनसे यह देश महान परंपराओं का देश कहलाता है। आज जब चारों तरफ हिंसा-प्रतिहिंसा तथा द्वेष का वातावरण है, ऐसे में 'अहिंसा' भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने विशिष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी तथा अन्य परवर्ती चिंतकों ने देश और दुनिया में अहिंसा का प्रसार किया।

यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण ही है, जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके रूप, रंग, आकार, बोलचाल, विचार, खान-पान, आचरण आदि को जानना जरूरी होता है वैसे ही किसी जाति की, देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास की सभी दिशाओं को जानना आवश्यक है। किसी मनुष्य-समूह अथवा देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके साहित्य, कला, दर्शन के साथ उसके प्रत्येक व्यक्ति का साधारण शिष्याचार भी जानना आवश्यक है। हमारे देश में 'अतिथि देवो भवः' की संस्कृति है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि—'अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा'

अर्थात् भारत में आनेवाले हर दूसरे देश के निवासी का पूरा सम्मान किया जाता रहा है। ‘वसुधैव कुटुंबकम’ तथा ‘विश्व बंधुत्व’ का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्त्व हैं। हम घर परिवार में भी अतिथि-सत्कार को विशेष महत्त्व देते हैं। संस्कृतियों का निर्माण किसी भी देश में उपलब्ध उसके भौतिक साधन, जैसे-नदी, वन, पहाड़, मिट्टी, कृषि, जलवायु, पशुपालन तथा पेड़-पौधों की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है क्योंकि संस्कृति का खान-पान, आचरण तथा व्यवहार से गहरा संबंध है। संस्कृति एक ऐसी बहती नदी के समान होती है जिसमें आने वाला हर नया व्यक्ति अपने को निर्मल करता है तथा नदी स्वयं भी अपने बहाव के साथ अपने में एकत्रित हुई गंदगी रूपी कमियों को बहाकर साफ कर देती है।

दुनिया की बहुत-सी संस्कृतियाँ इसलिए लुप्त हो गईं क्योंकि उनके मूल तत्त्वों में कुछ दोष समा गए किंतु भारत की संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों में उसकी विविधता तथा विविधता में एकता सबसे महत्त्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम स्वरूप आज भी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। अनेक पंथों और मतों के अनुयायी होने के बाद भी भक्तिकाल के अनेक संतों और भक्तों ने अपनी भक्ति की विभिन्न धाराओं के माध्यम से राष्ट्रीय समन्वय की स्थापना की थी। ज्ञान और कर्म के दो भिन्न-भिन्न क्षेत्र भी जीवन की साधना के ही ‘दो मार्ग लेकिन मंजिल एक’ दिखाई देते हैं। ‘अहिंसा’ हमारे सभी धार्मिक और वैष्णव मतों का आधार रहा है किंतु यह अहिंसा हमारी दुर्बलता कभी नहीं रही है।

‘करुणा’ भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्वों में से एक है। हम एक-दूसरे के सुख-दुख में सहयोग और सद्भाव रखते रहे हैं। स्त्री का सम्मान, संकट के समय साहस न खोना, उदारता तथा अनेक विचारों के आदान-प्रदान के साथ हमारी समन्वयात्मक दृष्टि आदि ऐसे तत्त्व हैं जिन्हें हम अपने दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को केवल भू-भाग नहीं माना बल्कि अपनी माता से भी बढ़कर माना गया है—‘माता भूमि: पुत्रोहं पृथिव्या:’ अर्थात् भूमि माता है तथा मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, धर्मग्रंथ भी संस्कृति के तत्त्वों के पोषक और प्रसारक रहे हैं जिनमें जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत समाहित हैं। हमारे साहित्य में भारतीय जीवन-दर्शन के तत्त्व समाहित हैं।

अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि माता-पिता, गुरु, अतिथि आदि का सम्मान, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव, अहिंसा, प्रकृति की रक्षा, समन्वयकारी दृष्टि तथा विविधता में एकता आदि भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व हैं।

2. आतंकवाद : एक समस्या

आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका भारत में हम पिछले कई दशकों से सामना कर रहे हैं। आज आतंकवाद को ऐसी समस्या माना जाता है जो न केवल राष्ट्रीय किंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी अस्थिर कर सकती है। जिन कारकों ने आतंकवाद को कट्टरपंथियों द्वारा अवांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण साधन बनाया, वे हैं—उददेश्य में दृढ़ विश्वास, कट्टरता, अपने सरगनाओं के प्रति निष्ठा, हिंसात्मक आदर्शवाद आत्म बलिदान की इच्छा तथा विदेशों से मिलती वित्तीय सहायता आदि।

आतंकवाद एक हिंसक व्यवहार है जो समाज या उसके बड़े भाग में राजनीतिक उद्देश्यों से भय पैदा करने के इरादे से किया जाता है। आतंकवाद का राजनीतिक उद्देश्य होता है। यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है। यह अवैध और गैरकानूनी होता है। यह न केवल निशाना बनाए जानेवाले व्यक्ति को अपितु सामान्य व्यक्तियों को डराने और उनमें भय एवं आतंक उत्पन्न करने की चेष्टा से फैलाया जाता है। यह जनसाधारण में बेबसी और लाचारी की भावना पैदा करता है।

उद्देश्य—आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य अपनी विचारधारा का प्रसार करना है। इस प्रक्रिया में यह विचार जनसमर्थन प्राप्त करना चाहता है। वह शासन की सैन्य शक्ति व मनोवैज्ञानिक शक्ति को विघटित करना चाहता है। आतंकवाद किसी भी देश/क्षेत्र की आंतरिक स्थिरता को तोड़ना और उसके सतत् विकास को रोकना चाहता है। वह अपने विचार रूपी आंदोलन को बढ़ाना चाहता है। इस आंदोलन की रुकावट चाहे वह व्यक्ति हो या संस्था उसे हटाने की कोशिश करता है। यह शासन को प्रतिक्रिया दिखाने के लिए उकसाता है।

‘अहिंसा परमो धर्मः’ तथा ‘वसुधैव कुरुंबकम्’ जैसे महामानवता के सिद्धांत वाले हमारे देश भारत में पिछले अनेक वर्षों से साम्प्रदायिक हिंसा तथा आतंकवाद की विकाराल समस्या बनी हुई है। बंगाल में नक्सलियों द्वारा की गई हिंसा तथा आगे जाकर पंजाब में खालिस्तान बनाने की माँग के चलते असंख्य बेगुनाहों का रक्तपात हुआ। आज देश में जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा उत्तर भारत के अनेक शहर आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं। बीते वर्षों में हमारी संसद पर किया गया आतंकवादी हमला एक प्रकार से हमारे संविधान तथा हमारे स्वाभिमान पर ही किया गया हमला था। यदि समय रहते हमारे जवानों ने उन आतंकवादियों पर काबू नहीं पाया होता तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उसके कितने भयानक दुष्परिणाम हो सकते थे।

यह सच है कि बेकारी तथा बेरोजगारी के कारण परेशान युवाओं को धन का लालच देकर तथा धर्म के नाम पर उकसाने तथा उनको आतंकवादी बनाने का काम धार्मिक कट्टरपंथी संस्थाएँ करती रहती हैं। ये संस्थाएँ अपने द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों के माध्यम से देश में अस्थिरता का वातावरण बनाते रहते हैं। मुंबई, दिल्ली, जयपुर तथा अहमदाबाद में आतंकवादियों द्वारा ‘सीरियल ब्लास्ट’ तथा ‘साइकिल बम ब्लास्ट’ जैसी घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया, इसलिए आज आतंकवादियों के खिलाफ कठोरता के साथ पेश आने की आवश्यकता है।

आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय—राष्ट्रीय समस्याओं पर आम सहमति तैयार की जानी चाहिए, न्याय व्यवस्था से संबंधी महत्वपूर्ण सुधार करना, शासक तथा जनता में संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पुलिस तथा सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाना चाहिए तथा शिक्षा एवं रोजगार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।

आतंकवाद जब अपने आत्मघाती हथियारों तथा बमों से लोगों के घर उजाड़ते हैं तब यही कहने को मन करता है कि-

“लोग सारी उम्र लगा देते हैं एक घर बनाने में।

उनको शर्म नहीं आती बस्तियाँ जलाने में॥”

3. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था

वर्तमान समय में भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह 1947ई. में स्वतंत्र हुआ। उस समय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता व प्रबुद्धजन भारत की नई शासन व्यवस्था के बारे में चिंतित थे। उन्होंने कई वर्षों के अथक प्रयासों से पूरे विश्व से शासन व सुशासन प्रक्रिया के विचार लेकर उन्हें एक जगह संगृहीत किया। इन विचारों व शासन की कार्यविधि को बताने वाले दस्तावेज को ही संविधान कहा गया। लगभग सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था रखने वाले देशों का अपना संविधान होता है। भारतीय संविधान में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता भारतीय जनता के राष्ट्रीय लक्ष्य माने गए हैं। हमारे देश के संविधान ने यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति की स्थापना की है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत मनमाने ढंग से निर्णय लिये जाने की संभावना नहीं होती है। यह लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिये गए हैं। हर वयस्क नागरिक को मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति एक अंग तक सीमित नहीं होती है। यहाँ शक्ति विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विकेन्द्रित कर दी जाती है। भारत की कार्यपालिका एवं विधायिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय वयस्क जनता द्वारा ही चुनी जाती है। लोकतंत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं जो अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारती हैं। इन पार्टियों में से जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है वह अपनी सरकार बनाती है। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो 2 या अधिक पार्टियाँ मिलकर सरकार बनाती हैं जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में इतने अधिक लोग रहते हैं कि हर बात के लिए सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला नहीं किया जा सकता। इसलिए एक निश्चित क्षेत्र से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। भारत में लोकतंत्र सभी नागरिकों की समानता की वकालत करता है। यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है।

लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार के क्रिया-कलापों पर विचार-विमर्श करने और उसकी त्रुटियों की आलोचना करने का अधिकार है। भारत में जनता को सूचना का अधिकार (RTI) दिया गया है। सूचना का अधिनियम, 2005, हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। इसके द्वारा सामान्य नागरिक सरकारी कार्यालयों से उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा है।

4. महिला सशक्तीकरण का वर्तमान स्वरूप

हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत में महिलाओं का अति प्राचीनकाल से ही सम्मानजनक स्थान रहा है। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। लेकिन उत्तरवैदिक काल आते-आते पर्दा-प्रथा, अशिक्षा तथा अन्य कुरीतियाँ फैलती गई और नारी सिर्फ घर की चहारदीवारी में कैद होने लगी तथा पुरुष की निजी स्वामित्व वाली वस्तु मानी जाने लगी। सामाजिक अंथविश्वास, पाखंड, अशिक्षा तथा पितृ प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई।

आधुनिक काल में शिक्षा के प्रसार, समाज सुधारकों के प्रयासों से महिलाओं के सम्मान तथा अधिकारों के लिए आवाज उठने लगी तथा महिला सशक्तीकरण जोर पकड़ने लगा। महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की सकारात्मक सहभागिता अत्यावश्यक है। महिलाओं के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाकर पुराने रूढ़ सामाजिक मूल्यों के रूपान्तरण की आवश्यकता है।

सशक्तीकरण से तात्पर्य ऐसा बातावरण सूचित करने से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने जीवन व कार्यों के लिए स्वयं निर्णय ले सके। वर्तमान में नारी विकास के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों व नीति-निर्देशक तत्वों में भी कई प्रावधान हैं जिनमें स्त्री को पुरुष के समान अधिकार दिये गए हैं। 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन से बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार प्रदान किए गए हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पहचान बनाई है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष आदि पदों पर महिलाएँ अपना स्थान बना रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाएँ आगे रही हैं जिनमें रमावाई पंडित ने स्त्री शिक्षा पर कार्य किया तो मदर टेरेसा ने सर्वधर्म सम्भाव से सभी गरीबों के लिए मुफ्त में सेवा कार्य किया। आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर व्यापार में हाथ आजमा रही हैं व सफल भी हो रही हैं इनमें चंदा कोचर इंदिरा नूर आदि महिलाओं के नाम आते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में मानवीय संवेदना को गहराई तक महसूस कर लिखने में महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू जैसी महिला लेखिकाएँ मुख्य हैं। खेल के क्षेत्र में भी सानिया मिर्जा, साईना नेहवाल, अपूर्वी चंदेल जैसी खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

सरकार द्वारा भी महिला सशक्तीकरण के लिए 8 मार्च, 2010 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटिल द्वारा शुरू किया गया। राज्य सरकारों ने भी महिला सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएँ शुरू की जैसे स्वास्थ्य सर्वी योजना, कामधेनु योजना, स्वावलंबन योजना, स्वशक्ति योजना आदि। वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में स्वयं महिला भी जागरूक हो गयी हैं। यह शिक्षा के प्रसार का प्रभाव है।

5. पर्यावरण प्रदूषण : समस्या और समाधान

वर्तमान समय में हमारा पर्यावरण प्रदूषण की विकाल समस्या से जूझ रहा है। ज्यों-ज्यों मानव प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है यह समस्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। वास्तव में प्रदूषण है

क्या? इसके बारे में कहा जा सकता है कि वे तत्त्व जो अपनी अधिकता से वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव परिलक्षणों में अनपेक्षित परिवर्तन करते हैं वे प्रदूषण कहलाते हैं और अनपेक्षित परिवर्तन ही प्रदूषण है। यह प्रदूषण, प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। ये परिवर्तन हमारे संसाधनों की कच्ची सामग्री तथा पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं या उनका हास कर रहे हैं। प्रदूषण का, जैविक प्रजातियों सहित मानव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह हमारी औद्योगिक विधियों, रहन-सहन एवं सांस्कृतिक पूँजी को नुकसान पहुँचाता है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में कई परिवर्तन होते हैं।

आज विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ हमारे जीवन में वस्तु के उपयोग की अधिकता व्यापक रूप से बढ़ी है। कल-कारखानों से निकलने वाला धुआँ, वनों की अंधाधुंध कटाई, विषेली गैसों तथा रेडियोधर्मी किरणों से वायुमण्डल प्रदूषित हो गया है। मनुष्य ने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए पहाड़ों, वनों तथा नदी-तालाबों का अंधाधुंध दोहन किया है जिससे हमारे आसपास की वायु, जल आदि प्रदूषित हो गए हैं जिससे जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। आज मनुष्य ही नहीं बल्कि इस प्रदूषित जल, वायु तथा वातावरण का दुष्प्रभाव प्राणिमात्र (जिसमें पशु-पक्षी भी शामिल हैं) पर भी पड़ रहा है।

मुख्यतः प्रदूषण का प्रभाव प्रकृति के जिन तत्त्वों पर पड़ता है, वे हैं—जल, वायु तथा ध्वनि। इन्हीं के आधार पर प्रदूषण को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण आदि क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है।

उद्योगों से निकलने वाले गन्दे अपशिष्ट तथा विषेले कचरे को शहरों-कस्बों के पास बहने वाली नदियों में बहाना सबसे ज्यादा घातक है, जिससे पीने के शुद्ध पानी के प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित हो गए हैं। वनों की जो रही अंधाधुंध कटाई के कारण हमारा वर्षा-चक्र प्रभावित हो गया है तथा वर्षा की कमी के कारण भूगर्भ के जल-स्तर में तेजी से गिरावट हो गई है। जो पानी नलकूपों आदि से 400-500 फुट की गहराई से लिया जा रहा है वह न मनुष्यों के लिए उपयोगी रहा और ना ही कृषि के लिए। फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा ने पानी को और अधिक प्रदूषित कर दिया है।

वायु मंडल में ध्वनि-तरंगों का अधिक शोर, शादी-विवाह आदि कार्यक्रमों में बजने वाले लाउडस्पीकरों, भोंपुओं, कारखानों तथा बड़ी मशीनों से निकलने वाली ध्वनि तरंगें मनुष्य में चिड़चिड़ापन, बहरापन तथा स्वभाव में उत्तेजना पनपाने का काम कर रही हैं। जिससे लोगों में रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक तनाव जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

इसलिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से बचने लिए पहला कार्य तो हमें यह करना चाहिए कि हम इस समस्या को ठीक से पहचानें। साथ ही प्रदूषण के मुख्य कारकों व कारणों को चिह्नित कीजिए जिससे उनका सीधा समाधान निकाल सकें। वनों की कटाई को रोकने के साथ ही आस-पास नये पेड़-पौधे लगाकर तथा हरियाली को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। कल-कारखानों के अपशिष्ट तथा कचरे का अन्यत्र प्रबंध किया जाना चाहिए जिससे नदियों का जल प्रदूषित न हो।

6. शिक्षा का उद्देश्य

‘सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् विद्या अथवा शिक्षा वही है जो हमें मुक्ति दिलाती है। यह मुक्ति अज्ञान से, अंधकार से तथा अकर्मण्यता से है। बालक जन्म से लेकर जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता

रहता है किंतु औपचारिक शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य उसके सामने स्पष्ट होना आवश्यक है। आज हमारी शिक्षा-नीति केवल जीवन निर्वाह की शिक्षा-व्यवस्था ही दे रही है जबकि होना यह चाहिए कि शिक्षा जीवन-निर्वाह की अपेक्षा जीवन-निर्माण का उद्देश्य पूर्ण करे। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का मेरुदण्ड कही जा सकती है जो संस्कारवान, स्वस्थ, श्रमनिष्ठ, संस्कृतनिष्ठ, साहसी तथा कुशल नागरिकों का निर्माण कर सके। इसलिए शिक्षा एक तरफ व्यक्ति-निर्माण का कार्य करती है तो दूसरी ओर राष्ट्र-निर्माण का भी अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है।

यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना है तो उसकी शिक्षा का सोदेश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गाँधीजी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे—शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए।

आज शिक्षा के स्वरूप व शिक्षा प्रणाली में आई गिरावट के कारण ही अपने संचित ज्ञान तथा देश की महान परंपराओं के प्रति उपेक्षा का भाव, माता-पिता व गुरुजनों के प्रति आदर के भाव में कमी, विलासिता व सुविधाओं की ओर बढ़ता आकर्षण, प्रदर्शनप्रियता व उपभोक्तावाद आदि का प्रभाव जीवन में बढ़ रहा है। सत्य, अहिंसा, करुणा, अपरिग्रह, सहिष्णुता, ईमानदारी तथा उदारता जैसे महान मानवीय मूल्य जीवन से लुप्त हो रहे हैं। मूलतः शिक्षा वह नहीं है जो हमने सीखी है बल्कि शिक्षा वह है जो हमें योग्य बनाती है। ‘नास्ति विद्या समं चक्षु’ अर्थात् विद्या के समान दूसरा नेत्र नहीं है। शिक्षा ही वह नेत्र है जो जीवन-संघर्ष को जीतना सिखाती है।

7. “स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीयता बोध”

भारत की सभ्यता और संस्कृति अतीव प्राचीन हैं। भारत प्राचीन काल से अखंड भारतवर्ष के नाम से जाना जाता रहा है। जिसकी सीमाएँ सुदूर पूर्व से लेकर पश्चिम की अरब की खाड़ी तक जाती थी। राजनीतिक कारणों से तथा विदेशी आक्रमणों के चलते, विशेष रूप से भारत विभाजन की बड़ी घटना के बाद हमारे देश में राष्ट्रीयता बोध में कई प्रकार के बदलाव देखे और महसूस किए हैं। भारत पर किए गए मुगलों के आक्रमणों द्वारा भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गहरी चोट की गई जिससे भारतीय समाज में एक प्रकार की निराशा व्याप्त हो गयी थी। उस काल में भक्तिकालीन संतों, कवियों ने भारतीय समाज में एकीकरण की अलख जगाई। लेकिन ईस्ट इण्डिया कंपनी के माध्यम से अँगरेजी हुकूमत की गुलामी के कारण हमारे देश की जनता स्वयं को और भी अधिक आहत महसूस करने लगी। जिसके परिणामस्वरूप समूचे भारत देश में आजादी का आंदोलन फैल गया और प्रत्येक नागरिक देश को आजाद कराने के लिए एक समान राष्ट्रीयता बोध में रम गया। गुलामी में हारी हुई मानसिकता आंदोलन की क्रांति में एक नजर आने लगी। परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ तथा एक राष्ट्र और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों के आजाद होने का सपना साकार हुआ।

जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, पलते, बड़े होते हैं-वह हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि तथा हमारा राष्ट्र होती है। उसके प्रति गहरा प्रेम ही राष्ट्र-बोध की भावना या राष्ट्रीयता की भावना होती है। हम सदैव उसके गौरव की रक्षा कीजिए तथा साथ ही उसकी संस्कृति, उसके प्राकृतिक संसाधनों तथा उसकी आर्थिक समुद्धि में योगदान करने का दायित्व प्रत्येक नागरिक का है। यह भी आवश्यक है कि हम ऐसी किसी प्रकार की धार्मिक, राजनीतिक या उच्छृंखल प्रवृत्ति अथवा धारणा से बचें जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुँचती हो।

स्वतंत्रा प्राप्ति के बाद देश की जनता के समक्ष आजादी की लड़ाई जैसा कोई महान लक्ष्य न होने के कारण समाज पुनः राष्ट्रबोध की कमी महसूस करने लगा है। आज नागरिकों के मन में राष्ट्र की सम्पत्ति, राष्ट्र के विकास, स्वच्छता, समर्पण जैसे राष्ट्रीय भावों में कमी आई है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है जिन्होंने हिरोशिमा व नागासाकी जैसे परमाणु परीक्षण में उजाड़े हुए शहरों का परिश्रम से पुनर्निर्माण किया है इसलिए आज भारत के प्रत्येक नागरिक को वहाँ के प्रत्येक संसाधन को अपने देश का, अपना मानना चाहिए तथा अपने छोटे-छोटे स्वार्थों से ऊपर राष्ट्र को मानना चाहिए तथा अपने सारे कार्य पूरी राष्ट्र निष्ठा से करने चाहिए जिससे देश दुनिया के सामने मजबूती से स्थापित हो सके।

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।

वह नर नहीं, पशु है निरा और मृतक समान है॥

8. “विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्त्व”

अनुशासन का जीवन में गहरा महत्त्व है। अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्यप्रति एक ही दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण हैं। चंद्रमा, तारे, बादल, बिजली, सबका अपना अनुशासन है। इनमें भी जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रतीक्षित तथा विध्वंसकारी घटनाएँ घटित होती हैं। एक क्रम से ही वस्तुओं का आना-जाना होता है। समुद्र में ज्वार-भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्रकर लगाना या अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उनके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्त्व है। कहा गया है कि-

काक चेष्टा बको ध्यानम् श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम्।

विद्यार्थी के ये पाँचों गुण उसके अनुशासन की ही विभिन्न सीढ़ियाँ हैं। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है। जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्माण करता है।

अनुशासन दो प्रकार का होता है—पहला—आत्मानुशासन, दूसरा—बाह्यानुशासन। आत्मानुशासन का अर्थ है आत्मा के द्वारा अनुशासन अर्थात् इसमें किसी अन्य व्यक्ति का बाध्यकारी दबाव नहीं होता तथा विद्यार्थी

अपने जीवन को स्वप्रेरणा से अनुशासित करता है। इसमें समय पर उठना अपनी दिनचर्या के आवश्यक कार्यों का निष्पादन कर अध्ययन के प्रति जागरूक रहना तथा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आदि शामिल हैं।

हम जानते हैं कि—“स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः आत्मानुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है।” दूसरी ओर बाह्यानुशासन स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने तथा उसके अधिकारों के कारण माना जानेवाला अनुशासन है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ ही अनु + शासन है। अनु का अर्थ है अनुरूप या अनुसार तथा शासन का अर्थ है शासित होना या परिचालित होना। इसका आशय यह हुआ कि विद्यार्थी बहुत से कार्यों में स्वयं के द्वारा परिचालित होता है तथा बहुत से दूसरे कार्यों में शिक्षक, माता-पिता अथवा विद्यालय द्वारा परिचालित होता है। चूँकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है। इसलिए इस अवस्था में जो वह सीखता है वे उसके जीवन के स्थाई मूल्य बन जाते हैं। संसार में अनेक महापुरुषों ने अनुशासित रहकर ही समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया है।

9. “साहित्य हमें संस्कारवान बनाता है”

किसी राष्ट्र या समाज के सांस्कृतिक स्तर का अनुमान उसके साहित्य के स्तर से लगाया जा सकता है। साहित्य समाज का न केवल दर्पण होता है बल्कि वह दीपक भी होता है। जो समाज का उसकी बुराइयों की ओर ध्यान दिलाता है तथा एक आदर्श समाज का रूप प्रस्तुत करता है। विद्वानों ने किसी देश को बिना साहित्य के मृतक के समान माना है। कहा गया है—

अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है

मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।

यह माना जाता है कि किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति के इतिहास को पढ़ने के लिए उसके साहित्य को ही पढ़ना पर्याप्त होता है। इसीलिए साहित्य किसी देश, समाज तथा उसकी सभ्यता या संस्कृति का दर्पण होता है। भारतीय साहित्य की महान परंपराओं के कारण ही इस देश का गौरव विश्व के मानचित्र पर अक्षुण्ण बना रहा है। जिससे साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से विश्व समाज का सदैव मार्गदर्शन किया है। कालिदास, पाणिनी याज्ञवल्क्य, तुलसी, कबीर, सूर, मीरा आदि प्राचीन तथा मध्यकालीन कवियों के द्वारा फैलाए गए प्रकाश से भारतीय समाज सदैव आलोकित होता रहा है। साहित्य ही वह क्षेत्र है जो मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि, पद लोलुपता, अज्ञानता तथा अराजकता, कपट तथा धूर्तता जैसे दुर्गुणों से दूर कर परमार्थ, समाज सेवा, करुणा, मानवीयता, सदाचरण तथा विश्व-बंधुत्व जैसे उदात्त मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना सिखाता है। संस्कारवान व्यक्ति वही है जो हृदय से उदार हो, निष्कपट व्यवहार करनेवाला हो तथा अपने लिए किसी प्रकार के लोभ लालच की अपेक्षा न करता हो।

साहित्य सदैव ऐसे ही महान मानवीय मूल्यों की रचना करता है जो प्राणिमात्र के सुखद जीवन की कल्पना करते हों। तुलसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में ऐसी अनेक सूक्ति परक चौपाइयों की रचना की है जो व्यक्ति तथा समाज को सीधे-सीधे निर्देश करती हैं, जैसे-का वर्षा जब कृषि सुखाने,

कर्म प्रधान विश्व करि राखा आदि। भारतेन्दु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध जैसे अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज में सदाचार के संस्कार, श्रम साधना के संस्कार, राष्ट्रभक्ति के संस्कार, निःस्वार्थ समाज सेवा के संस्कार, आचरण की सभ्यता के संस्कार तथा विश्व मानवता के संस्कार, सामाजिक समरसता के संस्कार आदि की स्थापना की है। अतः यह कहा जा सकता है कि साहित्य ही वह उपकरण है जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र को संस्कारवान बनाता है।

10. “यातायात सुरक्षा”

विज्ञान के आधुनिक विकास, सड़कों के होते विस्तार तथा यातायात के बढ़ते साधनों ने मनुष्य के सामने एक नई प्रकार की चुनौती प्रस्तुत की है और वह चुनौती है—यातायात सुरक्षा। यातायात सुरक्षा से आशय सड़क पर चलते हुए प्रत्येक पैदल यात्री, वाहन चालक अथवा गंतव्य पर जानेवाले प्रत्येक यात्री की सुरक्षा। आजकल यातायात के साधनों के बढ़ते दबाव के साथ-साथ यातायात के साधनों के अत्यधिक उपयोग का आकर्षण भी बढ़ा है। इसी के साथ वाहन चालकों तथा पैदल यात्रियों के द्वारा यातायात के नियमों की अवहेलना करना भी असुरक्षा का महत्वपूर्ण कारण है।

प्रायः यह देखा जाता है कि घनी आबादी वाले छोटे-बड़े नगर महानगरों में दुपहिया तथा चौपहिया वाहनों की भारी भीड़ रहती है जिसमें बहुत से लोग ऐसे मिल जायेंगे जिनके पास वाहन चलाने का लाइसेंस भी नहीं होता। ऐसा होने पर उन्हें लाइसेंस प्रदाता एजेंसियों द्वारा दिया जानेवाला प्रशिक्षण तथा यातायात सुरक्षा के नियमों की जानकारी नहीं होती तथा वे सड़कों पर वाहन चलाते समय नियमों की अवहेलना करते हैं। जिसमें हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, बत्ती का ध्यान नहीं रखना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, अवयस्क बच्चों द्वारा वाहन चलाना आदि शामिल हैं। परिणामस्वरूप आए दिन हमें दुर्घटनाओं के दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिससे यात्री गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, गंभीर चोट लग जाती है तथा कभी-कभी तो चालकों या यात्रियों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है। यह सर्वविदित है कि—‘सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।’

आज की आधुनिक दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है उसके पास अपना स्वयं का वाहन हो बल्कि उभरते हुए मध्यवर्गीय तथा उच्च मध्यवर्गीय परिवारों में तो एक ही घर में कई-कई वाहनों का प्रयोग किया जाने लगा है। यदि एक परिवार के लोग उचित अवसरों पर एक ही वाहन का उपयोग करने का दृष्टिकोण रखेंगे तो सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा तथा दुर्घटनाओं की संभावना भी कमतर होगी। इसी क्रम में वाहन चालकों को अपने वाहनों की समय-समय पर जाँच भी करानी चाहिए जिससे उनमें अचानक आने वाली खराबी से होनेवाली दुर्घटनाएँ भी टाली जा सकें।

सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी तथा यातायात पुलिस द्वारा दी जाने वाली जागरूकता की हमें गंभीरता से अनुपालना करनी चाहिए। छोटे बच्चों को वाहन चलाने से बचाना चाहिए तथा हेलमेट, शीशा इत्यादि उपयोगी तथा गुणवत्ता पूर्ण होने चाहिए। सड़क पार करते समय लाल बत्ती आदि यातायात के संकेत चिह्नों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि यातायात के नियमों तथा सड़क सुरक्षा की जानकारी हमारे बच्चों को उनके पाठ्यक्रमों में जोड़कर देना उपयोगी हो सकता है।

हमारी सरकारों को चाहिए कि ऊबड़-खाबड़ तथा गहरे गड्ढों वाली सड़कों का रखरखाव तथा निर्माण उचित समय पर कराया जाना चाहिए।

11. “महिला शिक्षा की ओर देश के बढ़ते कदम”

भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति आदर का भाव प्राचीन काल से ही रहा है। शिक्षा की भूमिका स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण रही है। आजादी के बाद से, विशेष रूप से पिछले दो-दौर्दा दशकों से केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे सतत् साक्षरता अभियान तथा 6 से 14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा दिलाने की अनिवार्यता ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यदि हम देखें तो पायेंगे कि भारत के अतीत में विशेष रूप से वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्रा आदि कतिपय विद्युपी नारियाँ स्त्री शिक्षा के सर्वोत्तम उदाहरण हैं जिनका उल्लेख प्राचीनतम् साक्ष्यों में मिलता है। इसी क्रम में बौद्धकाल में भी स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने व शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। कालान्तर में अनेक विदेशी आक्रान्ताओं के आने से स्त्री सुरक्षा का प्रश्न स्त्री शिक्षा की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया तथा स्त्रियों पर बहुत से सामाजिक बंधन बढ़ने लगे। परिणामतः समाज में स्त्रियाँ हर क्षेत्र में पिछड़ गई तथा समाज पुरुष प्रधान हो गया। जिससे शिक्षा की दृष्टि से स्त्रियों और पुरुषों में विषमता फैल गई। पर्दा प्रथा, सती-प्रथा, दास प्रथा आदि कुरीतियों ने स्त्रियों की स्थिति में गिरावट लाने का ही काम किया। आधुनिक काल में भारत में आए सामाजिक नवजागरण के साथ ही स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था का नया सूत्रपात हुआ तथा राजाराममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे समाज सुधारकों की प्रेरणा से तथा साथ ही कुछ मिशनरियों द्वारा बालिका शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय स्थापित किए। 1904 में श्रीमती ऐनीबेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिन्दू बालिका विद्यालय की स्थापना की।

आजादी के बाद भारतीय संविधान में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के स्त्री-पुरुषों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया तथा स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्, हंसा मेहता समिति आदि का गठन कर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। आज ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान रूप से बालिका शिक्षा का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ रहा है। सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, अभियांत्रिकी, तकनीक, विज्ञान, खेल, प्रबंधन, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, राजनीति तथा समाज सेवा के क्षेत्रों में अनेक शिक्षित महिलाओं ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्र के निर्माण में योगदान किया है। कहते हैं—एक पुरुष के शिक्षित होने पर केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है जबकि एक महिला के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है। हमारी वर्तमान भारत सरकार ने भी बालिका शिक्षा को लेकर कई उपक्रम चलाए हैं तथा अनेक शिक्षण संस्थान स्त्रियों के लिए विशेष रूप से स्थापित किए गए हैं। आज शिक्षा के हर क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरुषों से आगे निकल रही हैं।

अध्यास प्रश्न

निम्नलिखित शीर्षकों पर निबंध लिखिए—

1. आधुनिक जीवन में समाचार-पत्र—

- (i) समाचार-पत्र का परिचय
- (ii) समाचार-पत्र की परिभाषा एवं प्रकार
- (iii) समाचार-पत्रों का दैनिक जीवन में उपयोग
- (iv) समाचार-पत्रों के विविध क्षेत्र
- (v) उपसंहार

2. दीपावली—

- (i) त्योहारों का जीवन में महत्व
- (ii) भारत में त्योहार और उल्लास
- (iii) दीपावली का अर्थ एवं ऐतिहासिक महत्व
- (iv) दीपावली का धार्मिक, पौराणिक सामाजिक तथा आर्थिक महत्व
- (v) दीपावली एक सांस्कृतिक पर्व
- (vi) दीपावली मनाने में ध्यान रखने योग्य बातें
- (vii) उपसंहार

3. दूरदर्शन : वरदान या अभिशाप—

- (i) दूरदर्शन तथा दैनिक जीवन
- (ii) दूरदर्शन का अर्थ तथा वर्तमान स्वरूप
- (iii) दूरदर्शन का जीवन पर प्रभाव
- (iv) दूरदर्शन पर कार्यक्रमों में विविध रूप
- (v) दूरदर्शन के दुष्प्रभाव
- (vi) दूरदर्शन द्वारा शिक्षा प्रसार
- (vii) उपसंहार

4. मेरा प्रिय कवि—

- (i) काव्य और समाज
- (ii) कविता और प्रेरणा
- (iii) प्रिय कवि दिनकर
- (iv) उत्साह व क्रांति के विचार
- (v) दिनकर की प्रमुख रचनाएँ
- (vi) विश्व मानवता तथा समानता का भाव
- (vii) उपसंहार

5. मेरी अविस्मरणीय यात्रा—

- (i) यात्रा का जीवन में महत्व
- (ii) यात्रा के समय ध्यान रखने योग्य बातें
- (iii) यात्रा का स्थान तथा उसकी विशेषताएँ
- (iv) यात्रा में घटित विशेष घटनाएँ
- (v) यात्रा की उल्लेखनीय बातें
- (vi) उपसंहार

6. मातृभाषा और उसका महत्व—

- (i) मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा
- (ii) विश्व के विभिन्न देश व उनकी मातृभाषाएँ
- (iii) शिक्षा का मातृभाषा से संबंध
- (iv) रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान
- (v) सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा का महत्व
- (vi) मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा
- (vii) उपसंहार

अध्याय-21

अपठित गद्यांश-पद्यांश

गद्य या पद्य का ऐसा अनुच्छेद जो पाठ्य-पुस्तक में समाहित नहीं किया गया हो या जिसे कभी पढ़ा न गया हो, अपठित कहा जाता है। यह अपठित यदि गद्य में है तो अपठित गद्यांश तथा काव्य में है तो अपठित पद्यांश या अपठित काव्यांश कहलाता है। इन दोनों ही प्रकार के अनुच्छेदों को सावधानीपूर्वक पढ़कर इनसे संबंधित प्रश्न करने को कहा जाता है। इसमें छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन पद्यावतरणों को तत्काल पढ़कर उनमें वर्णित उत्तर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कीजिए। इससे उनमें विषय बोधगम्यता तथा रचनात्मकता का विकास होता है। अपठित किसी विशेष क्षेत्र में न होकर कृषि, विज्ञान, कला, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण या किसी भी अन्य विषय पर आधारित हो सकता है।

अपठित से संबंधित सामान्य नियम-

- प्रश्न में दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्व दो-तीन बार पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को चिह्नित करना चाहिए।
- अनुच्छेद को पुनः पढ़कर उसके महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित करना चाहिए।
- शीर्षक का चुनाव करते समय संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए।
- अपठित में पहले से रेखांकित किए गए वाक्यांशों का अर्थ तथा भाव सावधानीपूर्वक समझना चाहिए।
- अपठित का सार लिखते समय भाषा अवतरण के अनुकूल हो तथा सारगर्भित हो।

अपठित गद्यांश-1

तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त-कवि हैं। वे भक्ति-आंदोलन के निर्माता हैं, वे उसी भक्ति-आंदोलन की उपलब्धि हैं। उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है, उससे पूरी तरह संबद्ध है।

इस भक्ति-आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि वह अखिल भारतीय है। देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं है। इसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिह्न पाये जाते हैं। गुप्त-सम्राटों के युग में विष्णु नारायण-वासुदेव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया। पाँचवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति-आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गयी। कश्मीर में ललदेद, तमिलनाडु में आंदाल, बंगाल में चण्डीदास, गुजरात में नरसी मेहता-भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्ति-कवि लगभग डेढ़ हजार वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृत वाणी से सिंचते रहे।

अभ्यास प्रश्न—

- प्र. 1. उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए।
- प्र. 2. भक्ति आंदोलन की कोई एक विशेषता लिखिए।
- प्र. 3. आन्ध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के संकेत कब मिले?
- प्र. 4. पाँचवीं से नवीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन का प्रमुख केन्द्र रहा था।
- प्र. 5. चंडीदास व नरसी का संबंध भारत के किस प्रांत से रहा?

अपठित गद्यांश-2

रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक ही घर की कथा वृहद-रूप से वर्णन की गई है। पिता-पुत्र में, भाई-भाई में, पति-पत्नी में जो धर्म-बन्धन होता है—जो प्रीति और भक्ति का संबंध होता है वह इसमें इतना ऊँचा दर्शाया गया है कि सहज ही में महाकाव्य के अनुरूप कहा जा सकता है। अन्य महाकाव्यों का गौरव उनमें वर्णन किए हुए विजय, शत्रु दमन और दो विरोधी पक्षों का आपस में रक्तपात आदि घटनाओं के वर्णन से होता है परंतु रामायण की महिमा राम-रावण के युद्ध के कारण नहीं। इस युद्ध-घटना का वर्णन तो केवल राम और सीता के उज्ज्वल दाम्पत्य प्रेम का दर्शन कराने के लिये है। रामायण में केवल यही दिखाया गया है कि पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन, भाई का भाई के लिये आत्म-त्याग, पत्नी की पति के प्रति निष्ठा और राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य कहाँ तक हो सकता है। किसी देश के महाकाव्य में इस प्रकार व्यक्ति विशेष का पारिवारिक संबंध इतना वर्णनीय विषय नहीं समझा गया है।

पूर्वोक्त बातों से केवल कवि का ही परिचय नहीं मिलता, सारे भारतवर्ष का परिचय मिलता है। इससे यह मालूम होता है कि भारत में गृह और गृह-धर्म कितने महान समझे जाते थे। इस महाकाव्य में यह बात स्पष्टतापूर्वक सिद्ध होती है कि हमारे देश में गृहस्थाश्रम का स्थान कितना ऊँचा है। गृहस्थाश्रम हमारे ही सुख और सुभीते के लिये नहीं; गृहस्थाश्रम सारे समाज को धारण करनेवाला है। वह मनुष्य के यथार्थ भावों को दीप्त करता है। वह भारतवर्षीय समाज की नींव है। रामायण उसी गृहस्थाश्रम के महत्व को दिखाने वाला महाकाव्य है।

अभ्यास प्रश्न—

- प्र. 1. उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए।
- प्र. 2. गद्यांश के आधार पर किन दो प्रमुख गुणों के कारण रामायण को महाकाव्य के अनुरूप कहा जा सकता है?
- प्र. 3. राम-रावण का युद्ध किस पक्ष को दर्शाता है?
- प्र. 4. रामायण में भारतीय जीवन की किस विशेषता को प्रमुखता से वर्णित किया गया है।
- प्र. 5. भारतवर्षीय समाज की नींव किसे माना गया है।

अपठित गद्यांश-३

वे सिद्ध-वाणी के अत्यन्त सरस हृदय कवि थे। इससे एक ओर तो उनकी लेखनी से शृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण मर्मस्पर्शी कवित-सवैये निकलते थे, जो उनके जीवन-काल में ही इधर-उधर लोगों के मुँह से सुनाई पड़ने लगे थे, दूसरी ओर स्वदेशप्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएँ चारों ओर देश के मङ्गल का मन्त्र-सा फूँकती थीं। अपने सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंगदेश के मध्यसूदनदत्त और हेमचंद की श्रेणी में; एक ओर तो राधा-कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए ‘नई भक्तमाल’ गौथरे दिखाई देते थे, दूसरी ओर टीकाधारी बगुला भगत की हँसी उड़ाते तथा स्त्री-शिक्षा, समाज-सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए-नए या बाहरी भावों को पचाकर इस ढंग से मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित अङ्ग से लगें। प्राचीन और नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल और मृदुल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल और मृदुल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ; इसमें सन्देह नहीं।

अभ्यास प्रश्न-

- प्र. 1. उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताइये?
- प्र. 2. भारतेंदु के काव्य की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।
- प्र. 3. भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य क्या है?
- प्र. 4. भारतेंदु का उदय किस समय हुआ।

अपठित गद्यांश-४

भारतीय भाषाओं और साहित्य में अग्रस्थान ग्रहण करने का हिंदी ने आग्रह नहीं किया। यह इन सबकी संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। हिंदी का यह विनय हिंदी के हीन भाव के कारण नहीं है। अब वह समय आ गया है जब हम हिंदी की संतानों को क्षमा-प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य स्थापना के स्वर में यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि राज-भाषा होने के लिए हिंदी अब अपने को अपमानजनक शर्तों पर बेचने को तैयार नहीं है। राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। हिंदी का साहित्यकार राजस्तुति को, प्राकृतजन के गुणगान को हमेशा तुच्छ और हेय कविकर्म मानता आया है। वह हमेशा से तेज का उपासक रहा है—वह तेज चाहे छोटे-छोटे से आदमी में हो पर हो। वह ऐसा कि उसमें समग्र विश्व का तेज प्रतिबिंबित हो। हम शासन के दबाव के कारण नहीं, अपने दायित्व के बोध के कारण समग्र भारत के जीवन के संस्पर्श से हिंदी को पुलकित कर रहे हैं और कीजिएगे। प्रकाश की किरण विदेश के किसी भी कौन से आए उसे ग्रहण कीजिएगे, पर उसके साथ ही हम प्रत्येक ऐसी बाधा का या दीवार का भंजन भी कीजिएगे जो हमें घेरती हों, जो हमारे प्राणों को बन्धन में डालती हैं तथा जो हमारे प्रकाश रुँधती हों।

अभ्यास प्रश्न—

- प्र. 1. उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए?
- प्र. 2. हिंदी किस रूप में बनी रहना चाहती है?
- प्र. 3. हिंदी का साहित्यकार किसे तुच्छ कविकर्म मानता आया है।
- प्र. 4. हिंदी के रचनाकार किस प्रकार के तेज का उपासक रहा है?

अपठित पद्यांश-1

भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ?
 फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ
 संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है?
 उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है॥
 हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है,
 ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है?
 भगवान की भव-भूतियों का यह प्रथम भण्डार है।

अभ्यास प्रश्न—

- प्र. 1. उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक दीजिए?
- प्र. 2. प्रथम दो पंक्तियों की व्याख्या कीजिए।
- प्र. 3. कवितांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।

अपठित पद्यांश-2

हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार।
 उषा ने हँस अभिनन्दन किया और पहनाया हीरक हार॥
 जागे हम, लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक।
 व्योम-तम-पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक॥
 विमल वाणी ने वीणा ली कमल-कोमल कर में सप्रीत।
 सप्त स्वर सप्तसिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम-संगीत॥
 बचा कर बीज-रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत।
 अरुण-केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अभीत॥

अभ्यास प्रश्न—

- प्र. 1. काव्यांश का शीर्षक लिखिए।
- प्र. 2. प्रथम चार पंक्तियों की व्याख्या कीजिए।
- प्र. 3. कविता के अंश का भावार्थ लिखिए।

अपठित पद्यांश-३

नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मतवाले हैं?
गति की तृष्णा और बढ़ती पड़ते पद में जब छाले हैं।
जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले!
लेना अनल-किरीट भाल पर जो आशिक होनेवाले!

अभ्यास प्रश्न—

- प्र. 1. उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक बताइए?
 - प्र. 2. अनल-किरीट से क्या अभिप्राय है?
 - प्र. 3. आखिरी चार पंक्तियों की व्याख्या कीजिए।
 - प्र. 4. कविता के अंश का भावार्थ लिखिए।
-

परिशिष्ट

पारिभाषिक शब्दावली

सरकारी काम-काज तथा विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक शब्द ऐसे प्रचलित हैं जिनके हिंदी तथा अँगरेजी दोनों रूप प्रचलन में हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हो जिनके दोनों भाषा-रूप हम जान सकें। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं जो अँगरेजी से हिंदी के क्रम में हैं-

A

Abandonment	=	परित्याग/कमी
Abbreviation	=	संक्षेप/संक्षेपण
Ability	=	योग्यता
Abnormal	=	असामान्य
Abolition	=	उन्मूलन/समाप्ति
Abridge	=	संक्षेप करना
Absence	=	अनुपस्थिति
Absentee Statement	=	अनुपस्थिति पत्रक (विवरण)
Abstract	=	सार
Abuse	=	दुरुपयोग
Academic	=	शैक्षणिक/अकादमिक
Academic Council	=	विद्या-परिषद
Academic year	=	शैक्षणिक वर्ष
Acknowledgement	=	पावती पर्ची/प्राप्ति रसीद
Acquire	=	अवाप्त करना
Acting	=	कार्यकारी
Action	=	कार्यवाही
Activities	=	कार्यकलाप/गतिविधियाँ
Additional	=	अतिरिक्त
Ad hoc	=	तदर्थ
Adjourn	=	स्थगित करना
Adjustment	=	समायोजन
Administration	=	प्रशासन

Appear	=	उपस्थित होना
Appendix	=	परिशिष्ट
Applicant	=	आवेदक
Apply	=	आवेदन करना
Applied	=	अनुप्रयुक्त/व्यावहारिक
Appointee	=	नियुक्ति पाने वाला/नियुक्त व्यक्ति
Appointing Authority	=	नियोक्ता/नियुक्ति अधिकारी
Appointment	=	नियुक्ति
Appreciation	=	प्रशंसा
Appropriation	=	विनियोजन
Approval	=	अनुमोदन
Arbitration	=	पंच फैसला
Arrears	=	बकाया
Acceptance	=	स्वीकृति
Accident	=	दुर्घटना
Account	=	लेखा/हिसाब
Accountability	=	जवाबदेही
Accuse	=	अभियोग लगाना
Admissible	=	स्वीकार्य/ग्राह्य
Amount	=	राशि
Annual	=	वार्षिक
As Follows	=	निम्नलिखित
Assent	=	अनुमति
Assets	=	परिसम्पत्ति
Association	=	संघ
Assume	=	कल्पना/अनुमान
As Usual	=	नित्यवत्
B		
Backward Classes	=	पिछड़ा वर्ग
Bad Conduct	=	दुराचरण
Balance Sheet	=	तुलन-पत्र
Basic Pay	=	मूल वेतन
Bench (Law)	=	न्याय पीठ
Bibliography	=	संदर्भ ग्रंथ-सूची

Bilateral	=	द्विपक्षीय
Bill	=	विधेयक
Black List	=	काली सूची
Blue Print	=	रूपरेखा
Board	=	मंडल/बोर्ड/परिषद
Board of Studies	=	पाठ्यक्रम–समिति
Bond	=	बंधपत्र
Bonus	=	अधिलाभांश
Body	=	निकाय
Bribe	=	घूस/रिश्वत
Brief	=	संक्षेप
C		
Cabinet	=	मंत्रिमण्डल
Cadre	=	संवर्ग
Camp	=	शिविर
Cancel	=	निरस्त/रद्द
Candidate	=	उम्मीदवार
Capital	=	पूँजी
Case	=	प्रकरण/मामला/विषय
Cash	=	नकद
Casual Leave	=	आकस्मिक अवकाश
Caution	=	सावधानी/चेतावनी
Census	=	जनगणना
Collaboration	=	सहयोग
Column	=	स्तंभ
Commission	=	आयोग
Committee	=	समिति
Compensatory	=	क्षतिपूरक
Compliance	=	अनुपालना
Condition	=	स्थिति
Conduct	=	आचरण
Confirm	=	पुष्टि/अनुरूप
Contingencies	=	आकस्मिक व्यय
Convene	=	संयोजन

Convey	=	सूचित करना
Corresponding	=	तदनुरूप
Corrigendum	=	शुद्धिपत्र
Council	=	परिषद
Counter Foil	=	दूसरी प्रति
Counter Signature	=	प्रति हस्ताक्षर
Covering Letter	=	आवरण पत्र/मुख्य-पत्र
Credit	=	उधार/साख़
Cumulative	=	संचित/उपचयी
D		
Daily Allowance	=	दैनिक भत्ता
Dearness Allowance	=	महंगाई भत्ता
Debar	=	वर्जन करना/रोकना
Deed	=	विलेख
Delegate	=	प्रतिनिधि
Demote	=	पदावनत
Depart	=	प्रस्थान
Design	=	अभिकल्प/रूपांकन
Diagram	=	आरेख/मानचित्र
Despatch	=	प्रेषण
Directory	=	निर्देशिका
Discount	=	बट्टा
Dismiss	=	बखास्त करना
Disposal	=	निष्पादन
Division	=	विभाजन
Drawing	=	रेखाचित्र/चित्रांकन
Duplicate	=	अनुलिपि/नकल प्रतिरूप
Duty	=	कार्य
Duration	=	अवधि/कालावधि
E		
Ear Mark	=	चिह्नित/चिह्नित
Economy	=	अर्थव्यवस्था
Educational	=	शैक्षणिक
Efficiency	=	दक्षता

Electoral	=	निर्वाचक-सूची
Eligible	=	पात्र
Eliminate	=	निकाल देना
Employee	=	कर्मचारी
Employment	=	रोजगार
Endorse	=	पृष्ठांकन
Enforcement	=	प्रवर्तन
Enrolment	=	नामांकन
Evaluation	=	मूल्यांकन
Excess	=	अधिकता/आधिक्य
Exclusive	=	अनन्य/एकांतिक
Explosion	=	व्याख्यात्मक/विवरणात्मक
F		
Fair Copy	=	स्वच्छ प्रति
Favourable	=	अनुकूल
Finance	=	वित्त
Fiscal	=	राजस्व संबंधी
Fixation	=	स्थिरीकरण
Fixed Deposit	=	सावधि जमा
Follow up Action	=	अनुवर्ती कार्यवाही
Foot Note	=	पाद टिप्पणी
Foreign Affairs	=	विदेशी मामले
Forwarding Note	=	अग्रेषण पत्र
Freight	=	भाड़ा
Frequency	=	बारंबारता
Fundamental	=	मौलिक/आधारभूत
Further Action	=	अगली कार्यवाही
G		
Gazett	=	राजपत्र
Gazett Notification	=	राजपत्र अधिसूचना
Gazetted	=	राजपत्रित
Glossary	=	शब्द-संग्रह/शब्दावली
Grace Period	=	अनुग्रह अवधि
Grant	=	अनुदान

Grievance	=	शिकायत/परिवेदना
Gross	=	सकल/कुल
Guarantee	=	प्रत्याभूति/जमानत
	H	
Habitual	=	आध्यासिक/स्वाभाविक
Handicape	=	विकलांग
Handicraft	=	हस्तकला
Head	=	प्रधान/शीर्ष
Head of Office	=	कार्यालयाध्यक्ष
Heritage	=	धरोहर/पैतृक सम्पत्ति
Holding	=	खेत/जोत
Homage	=	होमेज/श्रद्धांजलि
Host	=	होस्ट/आतिथेय/परितोषी
Honorarium	=	ऑनररियम/मानदेय
Horticulture	=	होर्टिकल्चर/बागवानी
House of People	=	हाउस ऑफ पीपल = लोकसभा
House Rent	=	मकान किराया
Humanitarian	=	मानवीय
Hypothesis	=	परिकल्पना
	I	
Identity	=	परिचय/पहचान
Ideotogy	=	विचारधारा
Ignorance	=	अनभिज्ञता
Illegal	=	अवैध
Illegible	=	अपाठ्य
Illiteracy	=	निरक्षरता
Impose	=	अधिरोपित
Incidental	=	आनुषंगिक/प्रासंगिक
Incentive	=	प्रोत्साहन
Incharge	=	प्रभारी
Increment	=	वेतन वृद्धि
Incurred	=	व्यय किया गया
Indespensable	=	अपरिहार्य
Initial	=	लघु हस्ताक्षर
Interview	=	साक्षात्कार

Introduction	=	प्रस्तावना
Invoice	=	बीजक
Inspection	=	निरीक्षण
Installment	=	किश्त
Integration	=	एकीकरण
Interim	=	अंतरिम
Investigation	=	अनुसंधान/खोज
J		
Job	=	कार्य/नौकरी
Join	=	कार्यग्रहण
Joining Report	=	कार्यग्रहण प्रतिवेदन
Joint	=	संयुक्त
Journal	=	दैनिक/पत्रिका
Judicial	=	न्यायिक
Junior	=	कनिष्ठ
K		
Key	=	आधारभूत/मूल/कुंजी
Key Board	=	कुंजी पटल
Key Map	=	मूल नक्शा
Knowledge	=	ज्ञान
L		
Labour Relations	=	श्रम संपर्क
Labour Welfare	=	श्रम कल्याण
Land Mark	=	सीमा चिह्न
Layout	=	खाका/योजना
Lease	=	पट्टा
Leasedeed	=	पट्टे पर विलेख
Legal	=	वैध
Legal Notice	=	विधिक सूचना
Licence	=	अनुज्ञापि
Liason	=	संपर्क
Lock out	=	तालाबंदी
Lodging	=	वासगृह
Log Book	=	कार्यपंजी

Law and Order	=	विधि-व्यवस्था/कानूनी व्यवस्था
Lingua France	=	जनभाषा/संपर्क भाषा
	M	
Maiden Speech	=	प्रथम भाषण
Maintenance	=	अनुदान
Manifesto	=	घोषणा पत्र
Majority	=	बहुमत
Memorandum	=	ज्ञापन
Merger	=	विलयन
Migration	=	प्रवास/प्रवर्जन
Minutes	=	कार्यवृत्त
Miscellaneous	=	विविध
Mortgage	=	बंधक/गिरवी
Motion	=	प्रस्ताव
Municipality	=	नगरपालिका
Mutation	=	नामांतरण
	N	
Nation	=	राष्ट्र
National Anthem	=	राष्ट्रगान (जनगण मन)
National Song	=	राष्ट्र गीत (वन्दे मातरम्)
Native Place	=	जन्म स्थान
Negligence	=	उपेक्षा/अवहेलना
Net	=	शुद्ध
Note	=	टिप्पणी
Nursery	=	पौधशाला
Nutrition	=	पोषण
Notification	=	आधिसूचना
	O	
Oath	=	शपथ
Object	=	उद्देश्य/प्रयोजन
Objection	=	आपत्ति/आक्षेप
Obligatory	=	अनिवार्य/बाध्यकारी
Observer	=	प्रेक्षक/पर्यवेक्षक
Offence	=	दोष/अपराध

Official	=	कार्यालयी/शासकीय
Official Language	=	राजभाषा
On deputation	=	प्रतिनियक्ति पर
Operation	=	प्रचालन/शल्य क्रिया
Overage	=	अधिक आयु
P		
Pact	=	समझौता
Paradox	=	विरोधाभास, मिथ्याभास
Participate	=	भाग लेना/सहभागिता
Parliament	=	संसद
Part Time	=	अंशकालिक
Permit	=	अनुमति
Permissible	=	अनुज्ञेय
Philosophy	=	दर्शनशास्त्र
Petition	=	याचिका
Port Folio	=	संविभाग
Posting	=	पदस्थापन
Post Pone	=	मुल्तवी/स्थगित
Preliminary	=	प्रारंभिक
Premises	=	परिसर/अहाता
Prescribed	=	निर्धारित
Presumption	=	प्रकल्पना/अनुमान
Principal	=	प्रधान
Principle	=	सिद्धांत
Probation	=	परिवीक्षा
Protocol	=	आदिलेख/नयाचार/रुदाद
Project	=	परियोजना
Provisional	=	अस्थाई
Public Fund	=	लोक-निधि
Q		
Qualification	=	अहर्ता/योग्यता
Quality	=	गुणवत्ता
Quantity	=	मात्रा
Quarterly	=	त्रैमासिक

Quorum	=	गणपूर्ति
Quote	=	उद्धरण देना
	R	
Race	=	दौड़
Radius	=	अर्द्धव्यास
Random	=	अनियमित/सांयोगिक
Rank	=	पद/श्रेणी
Rebate	=	छूट
Receipt	=	रसीद/आवती
Record	=	अभिलेख
Recurring	=	आवर्ती
Reference	=	संदर्भ
Register	=	पंजीबद्ध करना
Registry	=	पंजीयन
Recruitment	=	भर्ती
Remuneration	=	पारिश्रमिक
Removal	=	निष्कासन
Replace	=	प्रतिस्थापन
Resolution	=	संकल्प
Review	=	समीक्षा/पुनरीक्षण
Retirement	=	सेवा-निवृत्ति
	S	
Sanction	=	स्वीकृति
Schedule	=	अनुसूची
Security	=	प्रतिभूति
Setup	=	व्यवस्था
Section	=	अनुभाग
Senior	=	वरिष्ठ
Slum	=	गंदी बस्ती
Signature	=	हस्ताक्षर
Standard	=	मानक/स्तर
Stenographer	=	आशुलिपिक
Stipend	=	वृत्ति
State	=	राज्य

Subject	=	विषय
Subordinate	=	अधीनस्थ
Surplus	=	अधिशेष
	T	
Tabulation	=	टेबुलेशन, सूचीकरण, सारणीयन
Tariff	=	दर सूची
Testimonial	=	प्रशंसा पत्र
Technique	=	टेक्नीक, तकनीक, क्रियाविधि
Time Table	=	समय-सारणी
Toll Tax	=	पथकर
Tender	=	निविदा
Term	=	अवधि, मियाद, शब्द
Terror	=	आतंक, भय
Theatre	=	रंगशाला, नाट्यशाला
Thesis	=	शोध प्रबंध
Time Bared	=	कालातीत, अवधिपार
Tribe	=	जनजाति
Trust	=	न्यास, प्रन्यास
	U	
Ultimate	=	अंतिम / चरम
Ultra Vires	=	शक्ति बाह्य, अधिकारातीत
Undue	=	अनुचित
Under Laying	=	अंतर्निहित
Unique	=	यूनिक, अनुपम, अपूर्व
Utilisation	=	उपयोगिता
Utopia	=	आदर्श लोक / काल्पनिक आदर्श
	V	
Vague	=	अनिश्चित, अस्पष्ट
Valid	=	विधिमान्य
Vigilance	=	सतर्कता